



छत्तीसगढ़ शासन

जिला आपदा प्रबंधन योजना (डी.डी.एम.पी.)

रायपुर

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

रायपुर

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन,
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

जयसिंह अग्रवाल
मंत्री



छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन
अटल नगर रायपर




संदेश (प्रारूप)

जिले की आपदा प्रबंधन योजना प्रदेश सरकार की एक नवीन पहल है। इस योजना का लक्ष्य जिले में घटने वाली संभावित आपदाओं से होने वाले व्यापक हानि को कम करना है। यह योजना अपने दायरे में व्यापक है और यह प्रशासन के सभी वर्गों को विस्तृत निर्देश देता है।

पिछले कुछ वर्षों में आपदा जोखिम प्रबंधन सभी राज्यों व जिलों के लिए एक चुनौती बन गया है। किसी महाविनाशकारी स्थिति से निपटना एक कठिन कार्य है। जिसमें विभिन्न प्रकार से कार्य निष्पादन, जोखिम आंकलन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण, पर्याप्त आधारभूत संरचना हेतु योजना एवं क्रियान्वयन, आपदा की तैयारी, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन तथा नीति बनाना अहम कार्य है।

चूंकि आपदा प्रबंधन योजना एक स्थायी प्रक्रिया है तथा इस परिपेक्ष्य में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं सहयोगी द्वारा जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया जाना आपदाओं से सशक्त तौर पर निपटने के लिए अति महत्वपूर्ण कदम है।

मैं, विभाग के इस सराहनीय पहल का स्वागत करता हूँ, मुझे विश्वास है कि यह योजना जिले के नागरिकों की आपदाओं से बचाव तथा जिले की क्षमता में वृद्धि करने में सफल होगी।


(जय सिंह अग्रवाल)

सुनील कुमार कुजूर
मुख्य सचिव



छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय महानदी भवन
अटल नगर रायपुर
दिनांक




संदेश

प्रदेश के सभी 27 जिले परम्परागत रूप से प्राकृतिक एवं मानव जनित अपदाओं तथा विभिन्न प्रकार की संवेदशीलताओं और उनकी विशालता से प्रभावित रहें हैं। इन बढ़ती आपदाओं से जिलों के नागरिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े है, जिसके कारण भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

आपदाओं के नुकसान को रोकने या कम करने के लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक, व्यावहारिक और लचीली योजनायें बनाई जाये ताकि स्थिति के अनुरूप उनमें परिवर्तन किया जा सके और समय पर सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जा सके। ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिलों की आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गयी है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा उनके सहयोगी विभाग द्वारा जिले की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के सफल प्रयास की प्रशंसा करता हूँ तथा कामना करता हूँ कि सभी विभागों के आपसी सहयोग से जिले में बेहतर आपदा प्रबंधन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण कर जिले को एक आपदा प्रतिरोधी जिला व छत्तीसगढ़ को एक आपदा प्रतिरोधी राज्य बनाने में सफल होंगे।


(सुनील कुमार कुजूर)
मुख्य सचिव



संदेश

आपदाओं के कारण व्यापक रूप से जन-जीवन एवं विकास कार्य प्रभावित होता है। अतः आपदा पूर्व प्रयासों जैसे तैयारी, क्षमता-वर्धन, उचित ट्रेनिंग और पुनर्निर्माण से जान और माल के नुकसान को कम किया जा सकता है।

सम्पूर्ण जिले के नागरिकों के साथ ही अत्यधिक संवेदनशील वर्ग जैसे बच्चे, महिलायें, बुजुर्ग, दिव्यांग एवं मजदूर वर्ग पर आपदा के प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु जन भागीदारी, जागरूकता, प्रतिक्रिया एवं समन्वय बढ़ाने के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गयी है जो कि प्रशंसनीय है।

आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से प्रदेश एवं जिले में एक ऐसा तंत्र विकसित होगा जो भविष्य में घटित होने वाली किसी भी घटना/आपदा से निपटने में सहायक होगा।

सचिव

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

आभारोक्ति

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उन सभी सहभागियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में अपना योगदान दिया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दिशा-निर्देश के अनुसार इस योजना को तैयार किया गया है जिससे इसे जनोपयोगी बनाया जा सके।

इस बात को ध्यान में रखते हुए की इसका प्रमुख लाभ 'समुदाय' को पहुंचेगा, आपदा प्रबंधन योजना के लिए विभागानुसार ढांचा तैयार किया गया है। जिसमें प्रत्येक की भूमिका का निर्धारण किया गया है, जिससे आपदा से पूर्व और आपदा के बाद सही तरीके से आपसी समन्वय, तैयारी एवं उचित कार्यवाही सुनिश्चित किया जा सके।

श्रीमती रीता यादव, उप सचिव/उपायुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा योजना तैयार करने में विशेष सहयोग रहा।

जिला आपदा प्रबंधन योजना का वास्तविक ढांचा तैयार करने में आपदा प्रबंधन सलाहकार श्री दिलीप सिंह राठौर, सुश्री चेतना, श्री प्रशांत कुमार पाण्डेय, सुश्री जया साहू, श्री जीतेन्द्र सोलंकी एवं श्री एस. श्रीजीत का विशेष योगदान है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के जिला प्रभारी अधिकारी एवं सम्बंधित विभागों के अधिकारियों का योजना हेतु दस्तावेज तैयार कराने में भरपूर योगदान रहा।

अंग्रेजी एवं इसके संक्षिप्त शब्दों का हिन्दी अर्थ :-

BSNL	Bharat Sanchar Nigam Limited	भारत संचार निगम लिमिटेड
CAF	Central Armed Forces	केन्द्रीय सुरक्षा बल
CBO	Community Based Organizations	सामुदायिक संगठन
CE	Chief Engineer	मुख्य अभियंता
CEO	Chief Executive Officer	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
CMO	Chief Medical Officer	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
CMRF	Chief Minister Relief Fund	मुख्य मंत्री राहत कोष
CSO	Civil Society Organization	नगर संस्था
DM-ACT	Disaster Management Act 2005	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005
DDMA	District Disaster Management Plan	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
DDMP	District Disaster Management Plan	जिला आपदा प्रबंधन योजना
DDRF	District Disaster Response Force	जिला आपदा प्रत्युत्तर बल
DM	District Magistrate	जिला कलेक्टर
DMT	Disaster Management Team	आपदा प्रबंधन दल
DRR	Disaster Risk Reduction	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
EOC	Emergency Operation Center	आपातकालीन परिचालन केन्द्र
ESF	Essential Service Functions	आवश्यक सेवा कार्य
EWS	Early Warning System	पूर्व चेतावनी प्रणाली
FRT	First Response Team	प्रथम प्रत्युत्तर टीम
GIS	Geographic Information System	भौगोलिक सूचना प्रणाली
GP	Gram Panchayat	ग्राम पंचायत
GPS	Global Position System	स्थिति निर्धारण वैश्विक प्रणाली
HFA	Hyogo Framework for Action	हयोगो कार्रवाई निर्णय
HRVCA	Hazard Risk Vulnerability Capacity Analysis	खतरा, जोखिम, सम्बेदनशीलता (भेद्यता) क्षमता विश्लेषण
HVCA	Hazard Vulnerability Capacity Analysis	खतरा, सम्बेदनशीलता (भेद्यता) क्षमता विश्लेषण
IAF	Indian Armed Force	भारतीय सशस्त्र बल
IAG	Inter-Agency Group	इन्टर एजेंसी ग्रुप
IAP	Immediate Action Plan	तात्कालिन कार्य योजना
ICDS	Integrated Child Development Services	समेकित बाल विकास सेवायें
IMD	Indian Metrological Department	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
IMT	Incident Management Teams	घटना (आपदा) प्रबंधन टीम
IRS	Incident Response System	घटना (आपदा) प्रत्युत्तर प्रणाली
IRT	Incident Response Team	घटना (आपदा) प्रत्युत्तर टीम
IYA	Indira Awas Yojna	इंदिरा आवास योजना
LSG	Lower Selection Grade	निम्न प्रवर कौटि
MGNREG	Mahatma Gandhi National Rural	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

S	Employment Guarantee Scheme	योजना
MI&CT	Ministry of Information & Communication Technology	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय
MLA	Member of Legislative Assembly	विधान सभा सदस्य
MNREGA	Mahatma Gandhi National Rural and Education Guarantee Action	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
MoAFW	Ministry of Agriculture and Farmers Welfare	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
MoCI	Ministry of Commerce and Industry	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
MoEF&CC	Ministry of Environment forest Climet change	पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MoHFW	Ministry of Health & Family Welfare	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
MHA	Ministry of Home Affairs	गृह मंत्रालय
MoHRD	Ministry of Human Resources Development	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
MoL&E	Ministry of Labour & Employment	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
Mop	Ministry of Power	विद्युत मंत्रालय
MoPR	Ministry of Panchayati Raj	पंचायती राज मंत्रालय
MoRD	Ministry of Rural Development	ग्रामिण विकास मंत्रालय
MoRTH	Ministry of Road Transport and Highway	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
MoWF	Ministry of Water Resources	जल संसाधन मंत्रालय
MoUD	Ministry of Urban Development	भाहरी विकास मंत्रालय
MP	Member of Parliament	संसद सदस्य
MPLADS	Member of Parliament Local Area Development Schemes	सांसद क्षेत्रीय विकास योजना
NABARD	National Bank for Agriculture and Rural Development	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
NCC	National Cadet Corps	राष्ट्रीय छात्र सेना
NDMA	National Disaster Management Authority	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
NDRF	National Disaster Response Force/ Relief Fund	राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर बल/ राहत कोष
NIDM	National Institute of Disaster Management	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
NGOs	Non- Government Organizations	गैर-सरकारी संगठन
NRSC	National Remote Sensing Center	राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र
NREGA	National Rural Employment Guarantee Act	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
NREGS	National Rural Employment Guarantee Scheme	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
NRHM	National Rural Health Mission	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
NSV	National Service Volunteer	राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक
NYK	Nehru Yuva Kendra	नेहरू युवा केन्द्र
PDS	Public Distribution Shop	जनवितरण दूकानें
PHC	Primary Health Center	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

PHED	Public Health Engineering Department	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
PMRF	Prime Minister Relief Fund	प्रधानमंत्री राहत कोष
PWD	Public Works Department	लोक यांत्रिकी विभाग
Q&A	Quality and Accountability	गुणवत्ता एवं जवाबदारी
QRT	Quick Response Team	त्वरित प्रत्युत्तर टीम
SDMA	State Disaster Management Plan	राज्य आपदा प्रबंधन योजना
SDRF	State Disaster Response Force/ Relief Fund	राज्य आपदा प्रत्युत्तर बल/राहत कोष
SHG	Self Help Group	लघु एवं मध्यम उद्योग/उपक्रम
SME	Small and Medium Enterprise	लघु एवं मध्यम उद्योग/उपक्रम
SOP	Standard Operating Procedure	मानक परिचालन पद्धति
SP	Superintendent of Police	पुलिस अधीक्षक
WRD	Water Resources Department	जल संसाधन विभाग
WHO	World Health Organisation	विश्व स्वास्थ्य संगठन

प्रस्तावना

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (डीएम अधिनियम 2005) राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत और समन्वय तंत्र प्रदान करता है। इस अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से, भारत सरकार ने एक बहु-स्तरीय संस्थागत प्रणाली बनाई जिसमें प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) तथा स्थानीय निकायों को सह-अध्यक्षता की अध्यक्षता में की जाती है।

आपदा, प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों का परिणाम है, यह एक समाज के कामकाज में गंभीर व्यवधान को उत्पन्न करती है, जिससे मानवीय, भौतिकसीय या पर्यावरणीय व्यापक हानि होती है। जिसका सामना करने के लिए उपलब्ध सामाजिक तथा आर्थिक संरक्षण कार्यविधियां अपर्याप्त होती हैं अर्थात् आशंकित विपत्ति का वास्तव में घटित होना आपदा है।

जिला आपदा प्रबंधन योजना में सभी संभावित प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं को ध्यान में रखा गया है। योजना में विभिन्न आपदाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उपाय विस्तारित किया गया है। यह जिला आपदा प्रबंधन योजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। इसे 4 खण्डों में विभाजित किया गया है।

खण्ड 01 में जिले की पृष्ठभूमि, जिले में आपदा की संवेदनशीलता, क्षमता व जोखिम का आंकलन, के साथ जिले में योजना की आवश्यकताएं, योजना के लक्ष्य एवं उद्दे य, जिले का संक्षिप्त परिचय, जिले के संभावित आपदाओं की पहचान, जोखिम विश्लेषण, जिले में घटित आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, दुर्घटनाएं, महामारी आदि को दर्शाया गया है। संस्थागत व्यवस्थाओं के अंतर्गत आपदा प्रबंधन की संरचना जिसमें जिले स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक आपदा प्रबंधन समिति के गठन प्रक्रिया, जिला आपातकालीन संचालन केंद्र की जानकारी को दर्शाया गया है।

खण्ड 02 को आपदा के समय बचाव रोकथाम, तत्परता, प्रशिक्षण, संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक क्षमता निर्माण श्रेणी में विभाजित किया गया है। जिसमें सामान्य तैयारियां एवं उपाय, नियंत्रण कक्ष की स्थापना, योजनाओं का नवीनीकरण, संचार तंत्र, आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण, विभिन्न आपदाओं पर सामुदायिक जागरूकता के साथ-साथ तत्काल पूर्व आपदा की स्थिति में, आपदा के दौरान एवं आपदा

के बाद की स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय तंत्र को सम्मिलित किया गया है। जिले में संभावित खतरे के आधार पर संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक निवारण उपाय, आपदा जोखिम न्युनीकरण योजना, संस्थागत क्षमता निर्माण, प्रत्येक विभागों की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ दर्शायी गई है।

खण्ड 03 में आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वय के लिए वित्तीय संसाधन एवं आपदा के समय विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है। इस योजना में आपदा पूर्व राहत व प्रतिक्रिया, आपदा की स्थिति में राहत व प्रतिक्रिया एवं आपदोत्तर राहत व प्रतिक्रिया की स्थिति के साथ पुनर्निर्माण और पुनर्वास प्रक्रिया को दर्शाया गया है। जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु वित्तीय संसाधन एवं जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्रोत, जिला आपदा प्रबंधन योजना का निरीक्षण, मूल्यांकन एवं आधुनिकीकरण, जिला स्तर पर मॉकड्रिल का आयोजन तथा क्रियान्वयन हेतु समन्वय एवं समन्वित तंत्र का उल्लेख किया गया है।

खण्ड 04 में जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार किसी भी आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की आवश्यक जानकारी जैसे सम्पर्क सूची, वाहन सूची, स्वास्थ्य केन्द्रों, पुलिस थानों, अग्निशमन विभाग की सूची के साथ-साथ जिले के आपदा ग्रसित क्षेत्रों के मानचित्र, इत्यादि सम्मिलित किया गया है।

यह योजना आपदा से पूर्व एवं आपदा के पश्चात जिला प्रशासन, अन्य हितधारकों के बेहतर समन्वय, आयोजन और कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शिका के रूप में उपयोगी है। यह योजना राहत कार्यों में कार्यरत प्रक्रिया व्यवस्था का मार्गदर्शन करता है और आपदा से निपटने की सामुदायिक क्षमता में वृद्धि करता है। जिला आपदा प्रबंधन योजना की परिकल्पना तत्परता योजना के रूप में किया गया है, जो कि समुपस्थित आपदा के बारे में सूचना मिलते ही सक्रिय होता है एवं प्रतिक्रिया की व्यवस्था को बिना कोई समय गंवाये क्रियाशील बनाता है।

खण्ड – 1

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन योजना)

विषय-सूची

क्रं.	विषय	पेज संख्या
1	पृष्ठभूमि	1-23
1.1	जिला आपदा प्रबंधन योजना	2
1.2	योजना की आवश्यकता	2-3
1.3	जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य	3
1.4	योजना का क्षेत्र	4
1.5	प्राधिकरण और संदर्भ	4
1.6	योजना विकास	4
1.7	हित धारक एवं जिम्मेदारियां	5
1.8	योजना का अनुमोदन तंत्र	5
1.9	जिले का संक्षिप्त परिचय	6-23
2	जिले में आपदा की संवेदनशीलता, क्षमता व जोखिम का आंकलन	24-45
2.1	संभावित आपदाओं की पहचान	26-27
2.1.1	सात मुख्य आपदाएँ	26-27
2.2	आपदाओं का इतिहास	28-33
2.3	जोखिम प्रोफाइल	34-35
2.4	जोखिम विश्लेषण	35
2.5	संवेदनशीलता विश्लेषण	35-37
2.6	बालोद जिले में घटित आपदाएं	37-45
2.6.1	सूखा	37-39
2.6.2	बाढ़	40-42
2.6.3	दुर्घटनाएँ	43-44
2.6.4	महामारी	45
3	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005	46-54
3.1	संस्थागत व्यवस्था	46
3.2	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	46-47
3.3	जिला आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति	47-48
3.4	शहरी क्षेत्र आपदा प्रबंधन समिति	48-49
3.5	तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति	49
3.6	ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति	49

3.7	जिला आपातकालीन संचालन केंद्र	50
3.8	घटना (हादसा) प्रत्युत्तर प्रणाली (आइआरएस)	51-54
3.9	जिला नियंत्रण केन्द्र	54-55

तालिका-सूची

क्रं.	तालिका	पेज संख्या
1	तालिका 1: जिले का संक्षिप्त परिचय	7
2	तालिका 2: भौगोलिक स्थिति	8
3	तालिका 3: जलाशय	8
4	तालिका 4: जनसांख्यिकी विवरण	11
5	तालिका 5: वर्ष 2009 से वर्ष 2017 के दौरान औसतन वर्षा	11
6	तालिका 6: मौसम की जानकारी	11
7	तालिका 7: नमी की जानकारी	12
8	तालिका 8: सापेक्षिक आद्रता की जानकारी	12
9	तालिका 9: बादल की जानकारी	12
10	तालिका 10: हवा की रफ्तार की जानकारी	12
11	तालिका 11: वर्षवार जिले का तापमान	13
12	तालिका 12: जल संसाधन	13
13	तालिका 13: आर्थिक विवरण	13
14	तालिका 14: प्रमुख फसलें	14
15	तालिका 15: पशुधन विवरण	15
16	तालिका 16: सांस्कृतिक विवरण	15
17	तालिका 17: स्कूल का विवरण	16
18	तालिका 18: अन्य अधोसंरचना विवरण व सेवाएं	17
19	तालिका 19: कार्यालयों की जानकारी	17
20	तालिका 20: संपर्क	17
21	तालिका 21: सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र	18
22	तालिका 22: उद्योग और सेवाएं	18
23	तालिका 23: औद्योगिक विवरण	18
24	तालिका 24: औद्योगिक दुर्घटनाएं	19
25	तालिका 25: बैंक	19
26	तालिका 26: जिले में उचित मूल्य दुकान धारक	19
27	तालिका 27: सड़क नेटवर्क	20
28	तालिका 28: ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र	22

29	तालिका 29: जिले में खान एवं खनिज की जानकारी	23
30	तालिका 30: मौसमी कैलेंडर	27
31	तालिका 31: पिछले 10 वर्षों में घटित आपदाओं का आंकलन	33
32	तालिका 32: वर्ष 2017-18 में घटित आपदाएं माहवार	33
33	तालिका 33: जोखिम प्रोफाइल	34
34	तालिका 34: जोखिम विश्लेषण	35
35	तालिका 35: संवेदनशीलता विश्लेषण	37
36	तालिका 36: वर्ष 2017-18 में सूखे से उत्पन्न क्षति और सीमा	38
37	तालिका 37: सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की सूची	39
38	तालिका 38: जिले में घोषित सूखे की पिछली घटना की रूपरेखा	39
39	तालिका 39: जिले की नदियां जो बाढ़ या जल प्रवेश की दृष्टि से अतिसंवेदनशील हैं	40
40	तालिका 40: जिले की नाले जो बाढ़ या जल प्रवेश की दृष्टि से अतिसंवेदनशील हैं	41
41	तालिका 41: जिले में नगर निगम में भारी वर्षा से प्रभावित वार्ड एवं स्थान	42
42	तालिका 42: जिले में भारी वर्षा से प्रभावित तहसीलवार स्थान	42
43	तालिका 43: जिले में सड़क दुर्घटनाएं	43
44	तालिका 44: वर्ष 2008 से वर्ष 2017 के दौरान जिले में महामारी	45
45	तालिका 45: तहसील स्तर पर आशंका वाले क्षेत्र और संवेदनशील गांव	45
46	तालिका 46: DDMA की संरचना	46
47	तालिका 47: आपदा प्रबंधन सहलाकार समिति की संरचना	48
48	तालिका 48: शहरी क्षेत्र आपदा प्रबंधन समिति	49
49	तालिका 49: तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का ढांचा	49
50	तालिका 50: ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति	49
51	तालिका 51: जिला नियंत्रण केन्द्र	54
52	तालिका 52: आपदाओं का वार्षिक कैलेण्डर	56-66

चित्र-सूची

क्रं.	चित्र	पेज संख्या
1	चित्र 1: Disaster Management Cycle	2
3	चित्र 2: जिले का तहसील मानचित्र	9
8	चित्र 3: जिले का रोड मैप	20

लेखाचित्र-सूची

क्रं.	लेखाचित्र	पेज संख्या
1	लेखाचित्र 1: सूखा से प्रभावित गाँव की संख्या	39
2	लेखाचित्र 2: नदी द्वारा बाढ़ या जल प्रवेश से संवेदनशील गांव	41
3	लेखाचित्र 3: नालों के द्वारा बाढ़ या जल प्रवेश से संवेदनशील गांव	41
4	लेखाचित्र 4: जिले में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	44
5	लेखाचित्र 5: महामारियों की दृष्टि से संवेदनशील गांवों की संख्या	45

प्रवाहचित्र-सूची

क्रं.	प्रवाहचित्र	पेज संख्या
1	प्रवाह चित्र 1: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रवाह चित्र	47
2	प्रवाह चित्र 2: आपदा प्रबंधन हेतु संगठनात्मक स्वरूप ढांचा	50
3	प्रवाह चित्र 3: घटना प्रत्युत्तर प्रणाली	51

परिचय

1. पृष्ठभूमि

आपदा, प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों का परिणाम है, यह एक समाज के कामकाज में गंभीर व्यवधान को उत्पन्न करती है, जिससे मानव, भौतिक या पर्यावरणीय व्यापक हानि होती है। जिसका सामना करने के लिए उपलब्ध सामाजिक तथा आर्थिक संरक्षण कार्यविधियां अपर्याप्त होती हैं अर्थात् आशंकित विपत्ति का वास्तव में घटित होना आपदा है।

मजबूत संचार, कुशल डेटाबेस, दस्तावेज और अभ्यास के साथ एक प्रभावी जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) सबसे कम संभव समय में सक्रिय होने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सभी स्तरों पर सरकार के साथ-साथ समुदाय की सक्रिय भागीदारी से उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करके जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करता है। डीडीएमपी का लक्ष्य रायपुर जिले की क्षमता का विकास करना, आपदा व गैर-आपदा स्थितियों के दौरान जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना है।

आपदाओं का वर्गीकरण

उत्पत्ति के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं को निम्नलिखित विभिन्न प्रकारों के रूप में देखा जा सकता है :

- जलवायु सम्बन्धित – बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, लू व शीतलहर, तूफान एवं बिजली का गिरना।
- भूगर्भ सम्बन्धित – भूकम्प, भूस्खलन, बाँध का टूटना, खान में आग लगना।
- रसायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धित – रासायनिक एवं औद्योगिक विपदा एवं परमाणु विपदा।
- दुर्घटना सम्बन्धित – आग, बम, विस्फोट, वायु, सडक एवं रेल दुर्घटना, खान में बाढ़ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
- जैविक आपदाएँ – महामारी, टिड्डी दल आक्रमण, जानवरों की महामारी इत्यादि।

वही मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत औद्योगिक दुर्घटना, पर्यावरणीय ह्रास आदि को शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ नक्सली गतिविधियों से भी प्रभावित है।

1.1 जिला आपदा प्रबंधन योजना

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (डीएम अधिनियम) की धारा 31 के अनुसार, राज्य के हर जिले के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) होगी। प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों के परामर्श से डीडीएमपी की तैयारी, कार्य, समीक्षा और अद्यतन के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा, जिला स्तर पर आपदाओं की रोकथाम और शमन के लिए आवश्यक उपायों के नियोजन, आयोजन, समन्वय और कार्यान्वयन की सतत और एकीकृत प्रक्रिया डीडीएमए में शामिल होंगे। डीडीएमपी के कुशल निष्पादन के लिए, चित्र 1 अनुसार दिखाए गए चार चरणों में योजना आयोजित की गई है—



चित्र 1: Disaster Management Cycle

- i. **Preparedness** :- आपदा से निपटने के लिए, जनसमूदाय को सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षण एवं आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वन।
- ii. **Mitigation** :- न्यूनीकरण से तात्पर्य संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक उपायों से आपदा के प्रभाव को कम करना।
- iii. **Response** :- आपदा के समय राहत कार्यों का संचालन।
- iv. **Recovery** :- आपदा के कारण प्रभावित जनजीवन की स्थिति में सुधार लाना।

1.2 योजना की आवश्यकता

रायपुर जिला विशेष रूप से बाढ़, सूखा, भगदड़ और महामारी जैसे खतरों से कमजोर है। जिले में इन संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए जो जीवन, आजीविका और संपत्ति हानि को बढ़ाता है, उन्हें कम

करने के लिये एक ऐसी योजना विकसित करने को महत्वपूर्ण समझा गया जो आपदाओं के प्रति जिला की प्रतिक्रिया में सुधार करता है तथा आपदा जोखिमों को कम करने और तैयार योजना को लागू करके समुदाय की क्षमता में वृद्धि करता है।

1.3 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य :-

- i. जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले तैयारियों को निर्धारित करना।
- ii. जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका उपयोग प्रशासन की क्षमता बढ़ाने के लिए करना।
- iii. आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओं क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
- iv. जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
- v. आपदा के समय विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वन करना।
- vi. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान देते हुए अन्य जो कि महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है, ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबंधन योजना अति-आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है:-

- (क) प्रतिक्रिया कार्यों का सही क्रम में पूर्व योजना तैयार करना।
- (ख) भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
- (ग) कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
- (घ) उपलब्ध सुविधा और स्रोतों की सूची तैयार करना।
- (ङ) स्रोतों के प्रभावी प्रबंधन की रचना करना।
- (च) सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।
- (छ) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

1.4 योजना का क्षेत्र

सरकार, उद्योग और कृषि पर आपदा के प्रभाव को देखते हुए किसी भी जिले के लिए आपातकालीन योजना प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना का दायरा व्यापक होगा जो की निम्नलिखित है :-

- जिलो में खतरों के प्रति संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र,
- विभिन्न सरकारी विभागों, एजेंसियों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां,
- आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों जैसे रोकथाम, तैयारी, न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया (निकासी और अस्थायी आश्रय सहित) से संबंधित उपायों का सुझाव दें। यह आकस्मिक योजना जन एवं संपत्ति हानि को कम करने में मददगार होता है।

1.5 प्राधिकरण और संदर्भ

जिला और सहायक योजनाओं की आवश्यकता डीएम अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। अधिनियम के अनुसार आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए जिला कलेक्टर, अन्य पार्टियों से सहायता लेने हेतु अधिकृत है। जिला कलेक्टर और सरकारी प्राधिकरण, एसडीएमए, राहत आयुक्त (सीओआर), और अन्य सार्वजनिक, निजी पार्टियों के समर्थन के साथ जिले में आपदाओं और जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। कलेक्टर और अन्य पार्टियों की भूमिका, जिम्मेदारियां और दायित्व अधिनियम में विस्तार से निर्धारित किए गए हैं।

1.6 योजना विकास

योजना बनाने में शामिल विभिन्न कदम:

- i. डेटा संग्रह और योजना – सभी लाइन विभागों से डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण (खतरे की पहचान और समझ, जिले में जोखिम का आकलन) और एक योजना टीम का गठन।
- ii. विकास – सभी लाइन विभागों की आवश्यकताओं और विकास की विश्लेषण तथा जरूरत एवं संसाधनों की पहचान करना।
- iii. तैयारी – योजना की तैयारी, समीक्षा, अनुमोदन और प्रसार।
- iv. कार्यान्वयन और रखरखाव – योजना का कार्यान्वयन, मूल्यांकन, समीक्षा और अद्यतन।

1.7 हितधारक एवं जिम्मेदारियां –

राज्यस्तर – राज्यस्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक महत्वपूर्ण संस्था है। जो किसी भी आपदा से निपटने में सक्षम है। सभी राज्य शासन के मुख्य लाइन विभाग एवं आपतकालीन सहायता कार्य संचालन करने वाली ऐजेंसी, आपदा के समय राज्य आपतकालीन ई.ओ.सी. से सहायता प्रदान करती है।

जिलास्तर – जिलास्तर पर आपदा से निपटने के लिए एवं जन समूदाय को सुरक्षित रखने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक महत्वपूर्ण संस्था है। जिला कलेक्टर प्राधिकरण का अध्यक्ष होते हैं जो आपदा के समय जिलास्तर के विभिन्न विभागों को आपदा से निपटने के लिए निर्देशित कर सकते हैं। जिला आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन तैयारी ,प्रशिक्षण, में समूदाय एवं गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

1.8 योजना का अनुमोदन तंत्र –

अधिसूचना संख्या एफ 8(4) डीएम एण्ड आर/डीएम/023 दिनांक 06.09.2007 के तहत सभी जिलों के लिए डिस्ट्रीक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन । डीडीएमए के तहत जिला स्तर पर सभी विभागों द्वारा रोकथाम, शमन एवं रेस्पॉस संबंधी एनडीएमए/एसडीएमए/एसईसी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी इसका दायित्व होगा ।

1.9 जिले का संक्षिप्त परिचय

ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से रायपुर जिला एक बार दक्षिणी कोशल का हिस्सा था और इसे मौर्य साम्राज्य के तहत माना जाता था। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक किलों को लंबे समय तक नियंत्रित करने के लिए रायपुर शहर, हैहाया किंग्स की राजधानी थी। 9 वीं सदी के बाद से रायपुर शहर का अस्तित्व रहा है, शहर की पुरानी साइट और किले के खंडहर शहर के दक्षिणी भाग में देखे जा सकते हैं। सतवाहन किंग्स ने दूसरी और तीसरी शताब्दी तक इस हिस्से पर शासन किया।

चौथी शताब्दी ईस्वी में राजा समुद्रगुप्त ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और पांचवीं छठी सेंचुरी ईस्वी तक अपने प्रभुत्व की स्थापना की थी जब यह हिस्सा सरभपुरी किंग के शासन के अधीन आया था। पांचवीं शताब्दी में कुछ अवधि के लिए, नाला राजाओं ने इस क्षेत्र का वर्चस्व किया। बाद में सोमनवानी राजाओं ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और सिरपुर (श्रीपुर—द सिटी ऑफ वेल्थ) के साथ उनकी राजधानी शहर के रूप में शासन किया। महाशिवगुप्त बलराजुण इस वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। उनकी मां, सोमवंश के हर्ष गुप्ता की विधवा रानी, रानी वसता ने लक्ष्मण के प्रसिद्ध ईंट मंदिर का निर्माण किया। तुमान के कलचुरी राजा ने इस हिस्से को एक लंबे समय के लिए रतनपुर को राजधानी बना दिया। रतनपुर, राजिम और खल्लारी के पुराने शिलालेख कालचुरी राजाओं के शासनकाल का उल्लेख करते हैं। यह माना जाता है कि इस वंश के राजा रामचंद्र ने रायपुर शहर का निर्माण किया और बाद में इसे अपने राज्य की राजधानी बना दिया।

रायपुर के बारे में एक और कहानी है कि राजा रामचंद्र के पुत्र ब्रह्मदेव राय ने रायपुर की स्थापना की थी। उनकी राजधानी खलवतिका (अब खल्लारी) थी। नव निर्मित शहर का नाम ब्रह्मदेव राय के नाम पर 'रायपुर' रखा गया था। यह अपने समय के दौरान 1402 ए.डी. में हुआ था। हजराज नायक, हाटकेश्वर महादेव का मंदिर, खारुन नदी के किनारे का निर्माण किया गया था। राजा अमरसिंह देव की मृत्यु के कारण इस राजवंश के शासन में कमी आयी। अमरसिंह की मौत के बाद यह क्षेत्र भोसले राजाओं का क्षेत्र बन गया था। रघुजी तृतीय की मृत्यु के साथ, ब्रिटिश सरकार ने नागपुर के भोंसला से ग्रहण किया था और छत्तीसगढ़ को 1854 में रायपुर मुख्यालय के साथ अलग सचिव घोषित किया गया था। आजादी के बाद रायपुर जिले को केन्द्रीय प्रांतों और बरार में शामिल किया गया था।

जिला रायपुर								
तहसील	भौगोलिक क्षेत्रफल हे0 में	शहरों की संख्या	गांवों की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या	नगर निगम की संख्या	नगर पालिका की संख्या	नगर पंचायत की संख्या	जनपद पंचायत की संख्या
रायपुर	289198	05	488	408	02	03	04	04
आरंग		(रायपुर,						
तिल्दा		आरंग,						
अभनपुर		अभनपुर, तिल्दा, नयापारा)						

तालिका 1: जिले का संक्षिप्त परिचय

जिला रायपुर में 04 तहसील—रायपुर, तिल्दा, आरंग, अभनपुर, 02 नगर निगम— रायपुर, बिरगांव, 03 नगर पालिका— तल्दा—नेवरा, गोब्रनावापारा, आरंग, 04 नगर पंचायत— खरोरा, कुर्रा, माना, अभनपुर, 04 जनपद पंचायत— है जो कि रायपुर, कुरुद, मगरलोड, नगरी है, 5 नगर पंचायत— धरसीवा, तिल्दा, आरंग, अभनपुर है। जिले में 32 पुलिस थाने एवं 07 पुलिस चौकी व कुल 30 राजस्व निरीक्षक सर्कल, 263 पटवारी सर्कल एवं 05 रायपुर, आरंग, अभनपुर, नेवेरा, गोवरा नवापारा कृषि उपज मण्डी है।

भौगोलिक स्थिति

जिला रायपुर छत्तीसगढ़ प्रान्त के मध्य में स्थित होने के फलस्वरूप जिला रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया गया। जिला रायपुर अक्षांश 21°23" एवं देशांश 81°65" के मध्य स्थित है। वर्ष 1998 में जिला रायपुर 3 भागों में विभक्त हुआ, जिसके विभक्त होने से जिला महासमुंद एवं धमतरी का निर्माण किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2011 में रायपुर को पुनः विभक्त कर 2 नये जिले बलौदाबाजार—भाटापारा एवं गरियाबंद का निर्माण किया गया। रायपुर जिले के अंतर्गत धरसीवा, आरंग, अभनपुर एवं तिल्दा मैदानी क्षेत्र शामिल है। जिला रायपुर 6 पडोसी जिले क्रमशः दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार—भाटापारा, महासमुंद, रायपुर एवं धमतरी से घिरा हुआ है। जिले की समुद्र तल से ऊँचाई 305 मीटर है। रायपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 3257.331 हे0 है। यहां वृक्ष अच्छादित क्षेत्रफल 1279.121 हे0 है। जिले में कृषि योग्य भूमि 166635 हे0 व गैर कृषि भूमि 51296 हे0 है।

अक्षांश और देशांतर	21.1797° N, 81.7787° E
प्रमुख नदियां	खारुन नदी, महानदी व कोल्हान
पर्वत	निरंक
पड़ोसी जिले	उत्तर- बालोदा बाजार दक्षिण- धमतरी पूर्व- महासमुंद पश्चिम- दुर्ग दक्षिण-पूर्व- गरियाबंद उत्तर-पश्चिम- बेमेतरा
अन्य राज्यों से सीमावर्ती क्षेत्र	निरंक

तालिका 2: भौगोलिक स्थिति


जिला रायपुर में मुख्यतः महानदी एवं खारुन नदी प्रवाहित होती है। महानदी छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम धमतरी जिले के नगरी-सिहावा तहसील में स्थित श्रृंगी पर्वत से हुआ है। इसी प्रकार खारुन नदी रायपुर एवं दुर्ग जिले में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम दुर्ग जिले के पेटेचुवा के पहाड़ी से हुआ है।

जलाशय	लघु	मध्यम	वृहद्
कुल संख्या	150	02	00
पेयजल (नलकूप एवं कुओं की संख्या)	15827, हेन्डपंप-8083		
नहर	17 (120 km)		

तालिका 3: जलाशय

रायपुर जिले का औसत अधिकतम तापमान 44.3° एवं न्यूनतम तापमान 12.5° है जिले की कुल औसत वर्षा 1166.30 मिमी. हैं । रायपुर में उष्णकटिबंधीय गीला और शुष्क जलवायु है ।

MAP OF RAIPUR DISTRICT



चित्र 2: जिले का तहसील मानचित्र

भौतिक स्वरूप –

क्षेत्रफल –

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 2160876 है व घनत्व 698 प्रति वर्ग कि.मी. है।

मृदा (मिट्टी) –

जिले में सामान्यतः मटासी – 53 प्रतिशत, काली मिट्टी – 41 प्रतिशत, भाटा – 04 प्रतिशत, पीली मिट्टी – 05 प्रतिशत अन्य 0.5 प्रतिशत पायी जाती है।

जनसांख्यिकीय विवरण

जिले की कुल जनसंख्या लगभग 21.61 लाख है। इस जिले में विभिन्न जनजातीय समुदाय रहते हैं। जिले में बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और छत्तीसगढ़ी हैं। साक्षरता दर 80.52% है। जिले की दशक वृद्धि दर 29.66% है।

जनसांख्यिकीय विवरण		
1	कुल जनसंख्या	2160876
	अनुसूचित जाति	358674
	अनुसूचित जनजाति	93010
	कुल ग्रामीण जनसंख्या	884224
	पुरुष	444797
	महिलाएं	439427
	कुल शहरी जनसंख्या	1276652
	पुरुष	656064
	महिलाएं	620588
	कुल बच्चों की संख्या (0-6 वर्ष)	304044
	पुरुष	155199
	महिलाएं	148845
2	जनसंख्या घनत्व	698 प्रति वर्ग कि.मी.
3	दशक वृद्धि दर	29.66%
	ग्रामीण	32.06%
	शहरी	–
4	लिंग अनुपात (No. females per 1,000 males)	963
	ग्रामीण	988
	शहरी	946
	बच्चे (0-6 वर्ष)	959

4	साक्षरता दर	80.52%
	2011 की जनगणना के अनुसार कुल पुरुष साक्षर	831882
	2011 की जनगणना के अनुसार कुल महिला साक्षर	663263
	2011 की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण साक्षर	554039
	2011 की जनगणना के अनुसार कुल शहरी साक्षर	941106
5	Crude Birth Rate (Per 1000 population)/ अशोधित जन्म दर 2017	21.2 / 1000
6	Crude Death Rate (Per 1000 population)/ अशोधित मृत्यु दर 2017	6.1 / 1000
7	Infant Mortality Rate (Per 1000 live birth)/ शिशु मृत्यु दर 2017	37 / 1000
8	Maternal Mortality Rate (Per 1000 live birth)/ मातृ मृत्यु दर 2017	112 / 100000
9	Natural Growth Rate (Per 1000 population)/ सामान्य विकास दर 2017	3.47% per year

तालिका 4: जनसांख्यिकी विवरण

वर्षा -

जिले में औसत वर्षा 1166.30 mm होती है।

वर्ष 2009 से वर्ष 2017 के दौरान औसतन वर्षा										
क्र.	तहसील	सामान्य वर्षा	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17
1	रायपुर	1323.30	1357.50	1246.60	1469.80	1408.60	1599.60	1094.00	1263.80	1422.20
2	आरंग	1220.50	1206.00	1144.00	1336.60	1372.10	1959.00	1217.00	805.00	877.40
3	अभनपुर	1032.10	1028.00	995.70	1228.00	1224.40	1539.60	1179.20	627.00	937.00
4	तिल्दा	1089.30	869.90	1101.70	1235.80	963.60	1702.30	1293.30	1162.00	910.40
	औसत (पिछले 10 वर्षों के औसत वर्षा के आधार पर)	1166.30	1115.40	1122.00	1327.60	1242.20	1700.00	1195.90	964.50	1036.8

तालिका 5: वर्ष 2009 से वर्ष 2017 के दौरान औसतन वर्षा

मौसम			
	तापमान		
	न्यूनतम	मध्यम	अधिकतम
सदी	18.02	NA	30.7
गर्मी	26.01	NA	40
मानसून	25.9	NA	33.2

तालिका 6: मौसम की जानकारी

नमी			
	तापमान		
	न्यूनतम	मध्यम	अधिकतम
सदी	NA	NA	NA
गर्मी	NA	NA	NA
मानसून	NA	NA	NA

तालिका 7: नमी की जानकारी

सापेक्षिक आद्रता			
	तापमान		
	न्यूनतम	मध्यम	अधिकतम
सदी	9	NA	98
गर्मी	4	NA	94
मानसून	2600	NA	100

तालिका 8: सापेक्षिक आद्रता की जानकारी

बादल			
	तापमान		
	न्यूनतम	मध्यम	अधिकतम
सदी	NA	2	3
गर्मी	NA	3	4
मानसून	1	6	8

तालिका 9: बादल की जानकारी

हवा की रफ्तार			
	तापमान		
	न्यूनतम	मध्यम	अधिकतम
सदी	0	2	4
गर्मी	0	8	20
मानसून	1	7	20

तालिका 10: हवा की रफ्तार की जानकारी

वर्षवार जिले का तापमान													
वर्ष/ महीना	—	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
2008	—	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2009	—	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2010	—	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2011	—	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2012	—	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2013	—	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2014	—	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2015	अधिकतम	27.4	32.2	34.5	34.8	37.9	36.2	32	31.8	32.6	34.1	32.4	29.8
	न्यूनतम	18.9	17.7	19	21.8	24	26.4	25.6	25.3	25.3	23.2	19.4	17
2016	अधिकतम	37.3	33.6	36.6	41.5	41.4	38.4	31.1	30.4	31.4	32.2	31	29
	न्यूनतम	15.1	20.7	22.9	27.6	28.2	28.1	25.1	25.2	25.2	22.2	16.9	14.5
2017	अधिकतम	29	33	35.8	41.6	42.6	37.4	31.1	31.7	32.7	32.8	32.2	29.3
	न्यूनतम	15.2	18	22.2	26.8	29.3	27.2	25.3	25.5	25.6	24.1	18.1	14.8

तालिका 11: वर्षवार जिले का तापमान

जल संसाधन	क्षेत्रफल (हे0)
सिंचाई क्षमता	139570 हे0
शासकीय	118843 हे0
निजी	20,727 हे0

तालिका 12: जल संसाधन

आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति –

आर्थिक विवरण		
मुख्य व्यवसाय	संख्या	
कृषि	लघु एवं सीमांत कृषक	अन्य बड़े कृषक
	44055	19534
औद्योगिक कर्मी (Industries workers)	—	
उद्योग (Business)	मध्यम –54 वृहद –47	
अन्य	कुटीर –2134	

तालिका 13: आर्थिक विवरण

प्रमुख फसलें –

कृषि	
खाद्यान उत्पादकता	उत्पादन हजार टन में
चावल	376459
गेहू	3754
मक्का	244
जौ	—
बाजरा	—
कोदो कुटकी	—
अन्य	—
दाल उत्पादकता	
अरहर	255
उडद दाल	58
चना	—
मूंग दाल	27
मसूर दाल	602
तिवरा	6090
अन्य	—
तेलीय बीज उत्पादकता	
सोयाबीन	123
मूंगफली	5
अलसी	7
सरसों	482
सूरजमुखी	0.04
अन्य	—
मुख्य सब्जियों की उत्पादकता	
मसालें	535
अन्य	—

तालिका 14: प्रमुख फसलें

पशुधन विवरण –

कुल पशुओं की संख्या	दुधारू पशु	सूखे पशु
गाय	42673	42490
भैंस	14528	10144
भेड़	6434	
बकरी	48029	
घोड़े	NA	
गधे	NA	
सुअर	5571	
दुग्ध उपदान	318.164 (मैं. प्रति टन)	
मछली उत्पादन	24230 (मैं. प्रति टन)	
मुर्गी पालन केन्द्र	153	
अन्य	—	

तालिका 15: पशुधन विवरण

सांस्कृतिक विवरण	
भाषा / बोली	छत्तीसगढ़ी, हिन्दी
पहनावा	साड़ी, लुगरा, धोती, कुरता, पेंट, शर्ट, लुंगी
खाना	चावल, बोरे बासी, चीला, मोटा रोटी, ठेठरी खुरमी
बाजार (दैनिक / साप्ताहिक / अन्य)	शहरी क्षेत्र—दैनिक, ग्रामीण क्षेत्र—साप्ताहिक
उत्सव एवं त्यौहार (मुख्य उत्सव का संक्षिप्त विवरण)	हरेली .तीजा—पोला, माघी—पुन्नी, छेरछेरा
घर	
कच्चे मकानों की संख्या	—
छत प्रणाली	—
पक्के मकानों की संख्या	—
छत प्रणाली	—

तालिका 16: सांस्कृतिक विवरण

अधोसंरचना विवरण व सेवाएं –

शिक्षा –

क्र0	स्कूल का विवरण					
	तहसील का नाम	अभनपुर	आरंग	रायपुर	तिल्दा	कुल
1	प्राथमिक स्कूलों की संख्या	211	295	968	215	1689
2	माध्यमिक स्कूलों की संख्या	142	173	709	130	1154
3	हाई स्कूलों की संख्या	41	40	275	29	385
4	उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या	42	44	252	34	372
योग		436	552	2204	408	3600
5	ग्रामीण स्कूलों की संख्या	353	500	459	338	1650
6	शहरी स्कूलों की संख्या	83	52	1745	70	1950
7	जोखिम संभावित स्कूलों की संख्या	-	-	-	-	-
योग		436	552	2204	408	3600

तालिका 17: स्कूल का विवरण

अन्य –

आंगनबाडी	1886
इंस्टिट्यूट / कॉलेज	128
यूनिवर्सिटी	शासकीय – 05, अशासकीय-05 कुल-10
अन्य ढांचे	(संख्या)
बांध	मध्यम-02 लघु-41
पुल	01
उद्यान	—
खुले मैदान	—
ऊँची इमारतें	NA
सामुदायिक भवन (क्षमता, स्थान व संख्या)	—
कार्यालयों की संख्या	—
गोदाम	—

शीतगृह	—
बस स्टैंड	5
कुल सड़क की लंबाई	2354.1 कि0मी0
ग्रामीण	—
शहरी	—
रेलवे स्टेशन तथा जंक्शन की संख्या	04 (रायपुर, माढर, सिलयारी, तिल्दा, सरस्वती नगर, सरोना)
कुल लंबाई	—
हवाई पट्टी	01 माना कैप
हेलिपेड	—
अक्षांश	—
दक्षांश	—

तालिका 18: अन्य अधोसंरचना विवरण व सेवाएं

कार्यालयों की जानकारी	(संख्या)
शासकीय	69
अर्धशासकीय	3
निजी	0
सिविल सोसाइटी/NGO	0
पेट्रोल पंप की संख्या	180

तालिका 19: कार्यालयों की जानकारी

संपर्क –

संपर्क		
क्र.	संचार	संख्या
1	डाकघर	137
2	टेलीफोन केन्द्र	44
3	पी.सी.ओ. ग्रामीण	49
4	पी.सी.ओ. एस.टी.डी.	186
कुल		416

तालिका 20: संपर्क

स्वास्थ्य –

रायपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से मुख्यतः 01 जिला चिकित्सालय, 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 08 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा 14 एम्बुलेंस उपलब्ध है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र –

क्र0	अस्पताल के प्रकार	संख्या	बेड की संख्या / क्षमता
1	एलोपैथिक अस्पताल	10	490
2	आयुर्वेदिक अस्पताल	49	0
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	36	216
4	उपस्वास्थ्य केन्द्र	163	0
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	08	240 बेड
6	एम्बुलेंस की संख्या	14	–
7	अन्य – शव वाहन	06	–

तालिका 21: सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र

उद्योग –

उद्योग और सेवाएं		
क्र0	शीर्ष	संख्या
1	पंजीकृत उद्योगों की संख्या	75
2	कुल उद्योग की संख्या	75
3	कर्मचारियों की संख्या	949

तालिका 22: उद्योग

औद्योगिक विवरण				
क्र0	लघु	मध्यम्	वृहद	रिमार्क
1	2134	54	47	2017 के परिपेक्ष्य में
कुल	2134	54	47	2017 के परिपेक्ष्य में

तालिका 23: औद्योगिक विवरण

औद्योगिक दुर्घटनाएं				
क्र.	वर्ष	विवरण	घायल	मृतक
1	2015-16	—	5	9
2	2016-17	—	10	17
3	2017-18	—	5	3
कुल		—	20	29

तालिका 24: औद्योगिक दुर्घटनाएं

बैंक —

बैंक			
क्र0	बैंक की श्रेणी	बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या
1	वाणिज्यिक बैंक	392	—
2	ग्रामीण बैंक	116	—
3	सहकारी बैंक	04	19
4	प्राथमिक भूमि विकास बैंक शाखाएं	01	—
कुल		513	19

तालिका 25: बैंक

जिले में उचित मूल्य दुकान धारक —

जिले में उचित मूल्य दुकान धारक		
क्र0	तहसील	उचित मूल्य की दुकान की संख्या
1	रायपुर	222
2	अभनपुर	103
3	तिल्दा	109
4	आरंग	145
कुल		579


तालिका 26: जिले में उचित मूल्य दुकान धारक

संचार एवं यातायात –

सड़क नेटवर्क									
मार्च 2018 तक पीडब्ल्यूडी के तहत सड़क की लम्बाई									
क्र.	सड़क का प्रकार	कुल लम्बाई (7+10)	सतह पर				अन्सर्फबल		
			डब्ल्यूबीएम	बीटी	सीसी	कुल (4+5+6)	यातायात के योग्य	यातायात के योग्य नहीं	कुल (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राष्ट्रीय हाईवे	144.4	—	—	—	—	योग्य	निरंक	—
2	राज्य राजमार्ग	58.3	—	—	—	—	योग्य	निरंक	—
3	अन्य पीडब्ल्यूडी सड़के	112.36	4.50	72.08	35.78	112.36	योग्य	निरंक	—
4	प्रमुख जिला सड़के	218.51	—	203.32	15.19	218.51	योग्य	निरंक	—
कुल		533.57	4.50	275.40	50.97	330.87	—	—	—

तालिका 27: सड़क नेटवर्क

रायपुर जिले का रोड मैप –



चित्र 3: जिले का रोड मैप

मुख्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र –

रायपुर जिले की स्थानीय भाषा छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति दिलचस्प एवं समृद्ध है। इस संस्कृति में संगीत और नृत्य की अनोखी शैली है। राउत नाचा, देवर नाचा, पंथी एंड सुवा, पदकी और पांडवानी कुछ संगीत शैलियों और नृत्य नाटक हैं। पांडवानी इस क्षेत्र में महाभारत गायन का एक प्रसिद्ध संगीत तरीका है। इस विशेष संगीत शैली को प्रसिद्ध तीजन बाई और युवा रितु वर्मा द्वारा रोशनी में लाया गया।

महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न सजावटी वस्तुओं में बांधा, सुता, फुली, बाली और खूंटी, अइन्टी, पट्टा, छुरा, कमर पट-कर्धणी, ऊपरी बांह की पुंजची एक अंगूठी और पैर की चोटी पर बिचिया। पुरुष भी नृत्य जैसे अवसरों पर कोंडी और कढह से सजते हैं।

गौरी-गौरा, सुरती, हरेली, पोला और तीजा इस क्षेत्र का मुख्य उत्सव हैं। सावन हरेली के महीने में मनाया जाता है जो की हरियाली का एक प्रतीक होता है। इस अवसर पर किसान भी कृषि उपकरण और गायों की पूजा करते हैं एवं खेतों में भेलवा (एक पेड़ जैसे काजू के पेड़ और इस जिले के जंगलों और गांवों में पाए जाते हैं) की शाखाओं और पत्तियों की को रख कर अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग मौसमी बीमारियों की घटनाओं को रोकने के लिए इस अवसर पर घरों के मुख्य प्रवेश द्वार पर छोटे नीम की शाखाएं भी लटकाते हैं।

बच्चे हरेली के त्योहार से पोला तक गेड़ी (बांस पर चलना) खेलते हैं व गेड़ी पर विभिन्न उपलब्धियां प्रदर्शित करते हैं और गेड़ी दौड़ में भाग लेते हैं। हरेली इस क्षेत्र में त्योहारों की शुरुआत भी है। पोला में लोग बैल की पूजा करते हैं। बैल दौड़ भी त्योहार की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चे मिट्टी के बने नंदी-बैल (नंदी भगवान शिव का वाहन) के साथ खेलते हैं जिसमें मिट्टी के पहिये लगे होते हैं। तीजा महिलाओं का त्योहार है सभी विवाहित महिलाएं इस अवसर पर अपने पति के कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं जिसे मायके में मनाने की प्रथा होती है। एकजुटता और सामाजिक सद्भाव की भावना हर त्योहार और छत्तीसगढ़ संस्कृति की कला में भरी हुई है।

रायपुर जिला एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला जिला है जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटक स्थान हैं। जिले में प्रमुख पर्यटन स्थल अर्थात् उदांति और सीतामडी अभयारण्य। रायपुर में तीन स्मारक हैं जो की गरोध और चंदगुरी में शिव मंदिर और नवगांव में पुराने ईंट मंदिर हैं।

कुछ अन्य प्रमुख स्थान निम्न प्रकार से है :-

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र			
क्र.	स्थान / साइटें/समारक	विवरण	खतरा और जोखिम
1	महंत गुरुघासीदास संग्रहालय	सांस्कृति विभाग द्वारा संचालित इस संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के पुरात्व से संबंधित मूर्तियां, मुद्राएं, अन्य ऐतिहासिक साक्ष्य संरक्षित कर रखे गये हैं।	निरंक
2	महादेव घाट	खारून नदी के तट पर रायपुरा ग्राम में घाट एवं पूल का निर्माण किया गया है। यहां विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर स्थापित है।	बाढ़ के समय दर्शकों द्वारा असावधानी बरतने पर बहने या डूबने का खतरा है। संवेदनशील है।
3	दूधाधारी मठ	16चर शताब्दी का प्राचीन भगवान रामचन्द्रजी का मंदिर है। जिसमें साधु संत विद्यार्थी निवास करते हैं।	निरंक
4	पुरखौती मुक्तांगन	ग्राम उपरवारा नया रायपुर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ की आदिम संस्कृति का जीवंत, कलाकृतियों के माध्यम से प्रदर्शन किया गया है जो पूर्णतः मानव निर्मित कृत्रिम सांस्कृतिक केन्द्र है।	निरंक
5	जंगल सफारी	नया रायपुर क्षेत्र में मानव निर्मित एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी है। जिसमें विभिन्न प्रकार के वन्य जीव सुरक्षित रखे गये हैं।	दर्शकों की असावधानी पर खतरा
6	अन्य	सदाणी दरबार, नंदनवन, ऊर्जा पार्क,	-

तालिका 28: ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र

खनिज –

जिले में खान एवं खनिज की जानकारी						
क्र.	खान व खनिज के नाम	उत्पादन (टन में)	क्षेत्र जहां पाया जाता है	पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या	शासकीय/निजी से प्राप्त राशि	Onsite & Offsite plan
1	लौह आयस्क	—	—	—	—	—
2	गोल्ड	—	—	—	—	—
3	टिन	—	—	—	—	—
4	फ्लोराइट	—	—	—	—	—
5	डोलोमाइट	—	—	—	—	—
6	डॉक्साइट	—	—	—	—	—
7	लाइमस्टोन	4225000 MT	रायपुर, अभनपुर, तिल्दा, आरंग	1200	शासकीय/निजी	—
8	ब्लैक स्ओन	—	—	—	—	—
9	ग्रेनाइट	—	—	—	—	—

तालिका 29: जिले में खान एवं खनिज की जानकारी

2. जिले में आपदा की संवेदनशीलता, क्षमता व जोखिम का आंकलन

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वास्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्न स्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रुकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि से सभी लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

प्राकृतिक आपदायें –

प्राकृतिक घटनाएं जो लोगों, संरचनाओं या आर्थिक संपत्तियों के लिए खतरा पैदा करती हैं साथ-साथ मानवीय जीवन पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। मुख्य रूप से बाढ़, भूकंप, सुखा, ज्वालामुखी, वनीय आग, सुनामी, भू-स्खलन इत्यादि प्राकृतिक खतरे हैं।

मानवीय आपदायें –

आपदाएं जो मानव जनित कारणों से घटित होती हैं तथा ऐसी स्थितियां जो समाज के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकती हैं, मानवीय आपदायें कहलाती हैं इनमें मुख्य रूप से औद्योगिक दुर्घटना, विस्फोट, पर्यावरणीय ह्रास, जहरीली गैसों का रिसाव, युद्ध एवं दुर्घटनाएँ इत्यादि को सम्मिलित किया गया है।

खतरे की आवृत्ति बढ़ने या गंभीरता के रूप में आपदा का खतरा बढ़ने, लोगों की भेद्यता बढ़ने और परिणामों के साथ सामना करने की लोगों की क्षमता में कमी आने से जोखिम बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है।

Hazard (H) x Vulnerability (V) x Exposure(E)

$$\text{Risk} = \frac{\text{Hazard (H) x Vulnerability (V) x Exposure(E)}}{\text{Capacity to Cope (C)}}$$

Hazard (खतरा) – खतरा ऐसी स्थिति है जहां जीवन, स्वास्थ्य, पर्यावरण या संपत्ति के नुकसान की आशंका होती है। यह प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना हो सकती हैं, जिसे रोका नहीं जा सकता है। यह राज्य व जिले में जीवन एवं संपत्ति का भारी नुकसान करता है।

Vulnerability (भेद्यता) – खतरे वाले इलाकों या आपदा प्रवण क्षेत्रों के लिए उनकी प्रकृति, निर्माण और निकटता के कारण, किस हद तक एक समुदाय, संरचना, सेवा या भौगोलिक क्षेत्र को विशेष खतरे के प्रभाव से क्षतिग्रस्त या बाधित होने की संभावना है।

Risk (जोखिम) – खतरे की घटना होने पर जोखिम किसी समुदाय का अपेक्षित नुकसान होता है। इसमें जीवन की हानि, व्यक्तियों को चोट, संपत्ति का नुकसान और/या आर्थिक गतिविधियों और आजीविका में व्यवधान शामिल हो सकता है।

Capacity (क्षमता) – प्रतिकूल स्थिति, जोखिम या आपदा का प्रबंधन करने के लिए उपलब्ध कौशल और संसाधनों का उपयोग करके लोगों की योग्यता, संगठन और प्रणालियों की योग्यता बढ़ाना ही क्षमता है। किसी स्थिति से सामना करने के लिए सामान्य समय के साथ-साथ आपदाओं या प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान लगातार जागरूकता, संसाधनों का प्रबंधन क्षमता के विकास के लिए आवश्यक होती है।

Exposure (अनावृत्ति) – खतरनाक क्षेत्रों में स्थित लोगों, संपत्ति, बुनयादी ढांचे, आवास, उत्पादन क्षमताएं, आजीविका, प्रणालियां व अन्य तत्वों की मौजूदगी और संख्या को एक्सपोजर के रूप में जाना जाता है।

2.1 संभावित आपदाओं की पहचान –

आपदाओं को मुख्यतः पांच भागों में विभक्त किया है।

- जलवायु सम्बन्धित
- भूगर्भ सम्बन्धित
- रसायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धित
- दुर्घटना सम्बन्धित
- जैविक आपदाएँ

रायपुर जिले की आपदा व जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों ने जिला आपदा प्रबंधन योजना पर बैठक में जिले में होने वाली संभावित आपदाएं, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया।

जिले में संभावित 12 आपदाएं चिन्हित की गयी। इनमें से मुख्य सात आपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य आपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी।

2.1.1 छह मुख्य आपदाएँ निम्न हैं—

1. सूखा
2. बाढ़
3. भूकम्प
4. दुर्घटना
5. आग
6. मौसमी बीमारियां

अन्य 5 आपदाएं साम्प्रदायिक दंगे, ओलावृष्टि, बांध टूटना, लू व शीतलहर है तथा इसके साथ ही छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से भी प्रभावित है।

रायपुर जिला विभिन्न आपदाओं से संवेदनशील है, घटनाओं के पैटर्न में औद्योगिक खतरे, सड़क दुर्घटनाएं, बिजली से आग, भगदड़ जैसे आपदाएं साल के दौरान किसी भी समय घटनाएं हो सकती हैं। बाढ़, सूखा, बिजली, लू जैसे खतरे आमतौर पर मौसमी महीनों के दौरान होते हैं।

मौसमी कैलेंडर

जोखिम	माह											
	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टुबर	नवंबर	दिसंबर
बाढ़	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—
सूखा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—
तूफान	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
जल भराव	—	—	—	—	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓
आग	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
सड़क दुर्घटनाएं	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
लू	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—

तालिका 30: मौसमी कैलेंडर

2.2 आपदाओं का इतिहास –

रायपुर जिले में सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के अलावा, अन्य आपदाएं जैसे – महामारी, सड़क दुर्घटनाएं, बिजली और तूफान भी हैं। जिले में हुई विभिन्न आपदाओं का इतिहास निम्नानुसार है :-

खतरें, भेद्यता, क्षमता और जोखिम आंकलन (HVCRA)																					
पिछले 10 वर्षों में घटित आपदाओं का आंकलन																					
क्र.	आपदा	घटना वर्ष	घटना स्थल		जन हानि									पशु हानि			संपत्ति हानि	फसल क्षति			
			तहसील	गांव	मृतक			घायल			लापता			मृतक	घायल	लापता		सिंचित	असिंचित		
					पुरुष	महिला	बच्चे	पुरुष	महिला	बच्चे	पुरुष	महिला	बच्चे								
1	बाढ़	2011-12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127	—	—	
2	सूखा	2015-16	तिल्दा	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1317	
		2017-18	तिल्दा	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7381
3	आग	2008-09	रायपुर	—	6	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अभनपुर	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2009-10	रायपुर	—	6	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			अभनपुर	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2010-11	रायपुर	—	13	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			अभनपुर	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			तिल्दा	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2011-12	रायपुर	—	8	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			अभनपुर	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
तिल्दा	3		—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—		

	आरंग	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2012-13	रायपुर	—	6	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	अभनपुर	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	तिल्दा	6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	आरंग	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2013-14	रायपुर	—	8	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	अभनपुर	1	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	तिल्दा	4	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	आरंग	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2014-15	रायपुर	—	8	5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	अभनपुर	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	तिल्दा	16	18	17	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	आरंग	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2015-16	रायपुर	—	13	8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	अभनपुर	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	तिल्दा	21	3	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	आरंग	—	5	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2016-17	रायपुर	—	16	10	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	अभनपुर	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	तिल्दा	7	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	आरंग	—	7	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2017-18	रायपुर	—	17	3	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	अभनपुर	1	6	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

			तिल्दा	10	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			आरंग	—	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	आकाशीय बिजली / गाज	2008-09	आरंग	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2010-11	आरंग	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2011-12	तिल्दा	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			आरंग	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2012-13	तिल्दा	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2013-14	तिल्दा	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			आरंग	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2014-15	अभनपुर	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			तिल्दा	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			आरंग	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2015-16	अभनपुर	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2016-17	तिल्दा	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2017-18	अभनपुर	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	सर्पदंश / बिच्छु / मधुमक्खी / गुहेरा दंश	2008-09	रायपुर	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2009-10	रायपुर	—	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अभनपुर	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2010-11	रायपुर	—	13	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अभनपुर	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			तिल्दा	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		आरंग	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2011-12	रायपुर	—	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

		अभनपुर	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		तिल्दा	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		आरंग	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2012-13	रायपुर	—	8	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		अभनपुर	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		तिल्दा	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		आरंग	—	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2013-14	रायपुर	—	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		अभनपुर	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		तिल्दा	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		आरंग	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2014-15	रायपुर	—	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		अभनपुर	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		तिल्दा	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		आरंग	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2015-16	रायपुर	—	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		अभनपुर	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		तिल्दा	4	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2016-17	रायपुर	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		अभनपुर	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
तिल्दा		4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
आरंग		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2017-18	रायपुर	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

6	डूबने से		अभनपुर	2	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			तिल्दा	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			आरंग	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2010-11	रायपुर	—	5	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			अभनपुर	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			आरंग	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2011-12	रायपुर	—	18	7	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			अभनपुर	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			आरंग	—	7	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2012-13	रायपुर	—	30	11	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			अभनपुर	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			आरंग	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2013-14	रायपुर	—	15	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			अभनपुर	1	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			आरंग	—	7	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2014-15	रायपुर	—	25	8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			अभनपुर	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			आरंग	—	3	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2015-16	रायपुर	—	20	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			अभनपुर	—	5	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			आरंग	—	7	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2016-17	रायपुर	—	15	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	अभनपुर	1	3	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

		आरंग	—	7	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2017-18	रायपुर	—	17	3	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		अभनपुर	1	8	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		आरंग	—	7	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

तालिका 31: पिछले 10 वर्षों में घटित आपदाओं का आंकलन

क्रं	जनहानि	वर्ष 2017-18 में घटित आपदाएं माहवार												
		जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टुबर	नवंबर	दिसंबर	योग
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	पुरुष	1	0	0	2	3	0	0	0	1	0	0	0	7
2	महिला	0	1	1	1	4	0	0	2	0	0	0	0	9
3	बच्चे	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	बचाए गए लोगों का विवरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	1	1	1	3	7	0	0	2	1	0	0	0	16

तालिका 32: वर्ष 2017-18 में घटित आपदाएं माहवार

2.3 जोखिम प्रोफाइल –

रायपुर में पहचाने गए प्रत्येक जोखिम के लिए एक जोखिम प्रोफाइल विकसित की गई है। एक जोखिम प्रोफाइल में खतरे के बारे में निम्नलिखित जानकारी शामिल है :-

1. घटना की आवृत्ति – कितनी बार होने की संभावना है।
2. तीव्रता और संभावित तीव्रता – यह कितना बुरा हो सकता है।
3. स्थान – जहां उत्पन्न होने की संभावना है।
4. अवधि – यह कितनी देर तक रह सकती है।
5. मौसमी पैटर्न – वर्ष का वह समय जिसके दौरान यह होने की संभावना अधिक होती है।
6. शुरुआत की गति – कितनी तेजी से होने की संभावना है।

जोखिम	संभावित आवृत्ति (समुदाय % जो प्रभावित हो सकता है)	घटना की आवृत्ति	प्रभावित होने की संभावना	सबसे संभावित अवधि	वर्ष का संभावित समय	शुरुआत की संभावित गति (चेतावनी समय की संभावित अवधि)
बाढ़	सीमित	संभाव्य	पूरा जिला	1-3 सप्ताह	जून – सितंबर	24 घंटे से अधिक
सूखा	गंभीर	बहुधा	पूरा जिला	1-3 महीने	साल भर	न्यूनतम या कोई चेतावनी नहीं
आग	गंभीर	बहुधा	पूरा जिला	कुछ घंटों का समय	साल भर	न्यूनतम या कोई चेतावनी नहीं
महामारी	सीमित	बहुधा	पूरा जिला	कुछ दिन	साल भर	न्यूनतम या कोई चेतावनी नहीं
सड़क दुर्घटनाएं	सीमित	बहुधा	पूरा जिला	कुछ सेकंड	साल भर	न्यूनतम या कोई चेतावनी नहीं

तालिका 33: जोखिम प्रोफाइल

नोट: संभावित परिमाण 1. आपदाजनक: 50% से अधिक। 2. गंभीर: 25–50%। 3. सीमित: 10–25%। 4. नगण्य: 10% से कम। घटना की आवृत्ति 1. बहुधा: अगले वर्ष में लगभग 100% संभव है। 2. संभाव्य: अगले वर्ष में 10–100% संभावना या अगले वर्ष में कम से कम एक बदलाव के बीच। 3. कभी–कभी/संभावित: अगले वर्ष में 1–10% संभावना या अगले 100 वर्षों में कम से कम एक बदलाव के बीच। 4. असंभव: अगले 100 वर्षों में 1% से कम संभावना।

2.4 जोखिम विश्लेषण –

जोखिम, समुदाय में लोगों, सेवाओं, विशिष्ट सुविधाओं और संरचनाओं पर एक खतरा हो सकता है। जोखिम को कम करने से जिला उन खतरों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जो जीवन, संपत्ति और पर्यावरण के लिए उच्च खतरा पैदा करते हैं। प्रतिक्रिया प्राथमिकताओं को विकसित करने के लिए जोखिम का विश्लेषण करना सहायक होता है। जोखिम प्राथमिकता को गुणात्मक रेटिंग जैसे उच्च, मध्यम और निम्न का उपयोग करके असाइन किया जाता है।

क्र0	जोखिम	भूगोल	बुनियादी ढांचे और संपत्ति	जनसांख्यिकी
1	बाढ़	मध्यम	मध्यम	उच्च
2	सूखा	मध्यम	कम	उच्च
3	आग	कम	मध्यम	उच्च
4	महामारी	कम	कम	उच्च

तालिका 34: जोखिम विश्लेषण

2.5 संवेदनशीलता विश्लेषण –

डेटा की समीक्षा और विश्लेषण के आधार पर जिले में निम्नतम प्रशासनिक इकाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण डिजाइन जोखिम के संदर्भ की पहचान की जाती है। इस पर आधारित, संवेदनशीलता विश्लेषण निम्नानुसार किया जाता है।

क्र0	संवेदनशीलता विश्लेषण	उत्तर
1	जोखिम विश्लेषण का परिणाम	
	समुदाय के साथ क्या एकल या एकाधिक खतरे का सामना करना पड़ रहा है? कौन सा सबसे	बाढ़, सूखा, आग और महामारी जैसे जोखिमों से समुदाय प्रभावित है। सभी आपदाओं में से,

	महत्वपूर्ण हैं? घटना, आवृत्ति/वापसी अवधि, तीव्रता और अवधि के साथ-साथ प्रभावित परिवारों के संपर्क का जिक्र करते हुए, इन खतरों की तुलना ?	सूखा गंभीर तीव्रता से वर्ष 2015 व 2016 में बड़ी संख्या में आबादी को प्रभावित करने वाली आपदा है।
	क्या जोखिम या नए जोखिम उभर रहे हैं?	महामारी के मामले भी थे। कोई महत्वपूर्ण प्रवृत्ति नहीं देखी गई है।
2	संवेदनशीलता विश्लेषण का परिणाम	
	सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है ?	महानदी, खारून नदी व कोल्हान नाले बाढ़ के कारण हैं एवं सर्व तहसील सूखे के कारण संवेदनशील क्षेत्र है।
	समुदाय को प्रभावित करने जोखिम व उन जोखिमों के प्रति समुदाय कैसे संवेदनशील हैं ?	1. बाढ़:- महानदी के कारण पूरा जिला बाढ़ से संभावित प्रभावित क्षेत्र हैं। 2. सूखे:- कम वर्षा व खंड वर्षा होने से जिला प्रभावित होता है।
3	क्षमता विश्लेषण का परिणाम	
	समुदाय में मुख्य क्षमताएं क्या हैं?	अस्पताल, पुलिस स्टेशन, बचाव उपकरण, राहत शिविर, परिवहन इत्यादि। पेयजल आपूर्ति योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, फसल आकस्मिक योजनाएं इत्यादि।
	उनकी व्याख्या करें और वे समुदाय की लचीलापन कैसे बढ़ाते हैं?	<ul style="list-style-type: none"> ● अस्पताल: तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए। ● पुलिस स्टेशन: बचाव अभियान और निकासी के लिए। ● बचाव उपकरण: बचाव कार्यों के लिए। ● राहत शिविर: अस्थायी आश्रयों और प्राथमिक चिकित्सा के लिए। ● परिवहन और संचार प्रणाली: सड़क मार्गों और वाहनों के माध्यम से पड़ोसी जिलों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ● पेयजल आपूर्ति योजना: पीने योग्य जल कि उपलब्धता। ● प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना: वित्तीय साहायता हेतु।

		<ul style="list-style-type: none"> ● फसल आकस्मिक योजनाएं: वर्षा में देरी या खंड वर्षा, प्रारंभिक नस्लों वाली फसल इत्यादि।
	मुख्य चार कमजोरी	<ul style="list-style-type: none"> ● सूखे की अवधि से पहले किसानों की लापरवाही। ● बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कच्चे घरों का निर्माण। ● अग्नि स्टेशनों की अपर्याप्त संख्या। ● आपदा प्रबंधन जागरूकता पर काम कर रहे कोई गैर सरकारी संगठन नहीं है।
4	आपदा के प्रभाव करने के लिए तैयारियां व प्रतिक्रिया	
	जोखिमों की क्षमता को देखते हुए कमजोरियों को कम करने और समुदाय की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक सहायता की पहचान की जाती है।	<ul style="list-style-type: none"> ● नदी के तटबंधों का निर्माण। ● वर्षा के दौरान पानी की संरक्षण। ● नए चेक बांध, तालाब और कुओं का निर्माण। ● सूखे प्रतिरोधी फसलों और कुशल जल उपयोग का अभ्यास करने के लिए किसानों को शिक्षित करना।

तालिका 35: संवेदनशीलता विश्लेषण

2.6 रायपुर जिले में घटित आपदाएं –

2.6.1 सूखा –

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है। जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पडता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढती जाती है जिससे अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है— प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत बारिश कम होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सूखा एक धीरे-धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें बचाव हेतु काफी समय देती है। जल का उचित प्रबंधन न होने के कारण समय के साथ इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है।

सूखे के सामान्य संकेतक –

- जलाशयों में पानी का अभाव
- वर्षा का कम होना या समय पर ना होना या कम जल संग्रहण
- भू-जल स्तर का कम होना
- कुओं का सूखना
- फसलों का नष्ट होना

सूखे के प्रकार –

- मौसम विज्ञान संबंधी सूखा – अपर्याप्त वर्षा, अनियमितता, पानी का असमान वितरण
- जल विज्ञान संबंधी सूखा – पानी का अभाव, भूजल स्तर का निम्न होना, जल स्रोतों का अवक्षय, तालाबों, कुओं तथा जलाशयों का सूखना
- कृषि संबंधी सूखा – फसल अथवा चारे की कमी, मृदा की नमी में कमी।


रायपुर जिले के सूखे की जानकारी –

वर्ष 2017-18 में सूखे से उत्पन्न क्षति और सीमा			
क्र.	विशेष	परिमाण	टिप्पणियां
1	प्रभावित क्षेत्र	आरंग- 3879.129 हे0	—

तालिका 36: वर्ष 2017-18 में सूखे से उत्पन्न क्षति और सीमा

प्रभावित क्षेत्रों की सूची						
क्र.	जिला	तहसील	गाँव की संख्या	तीव्रता	सूखा से प्रभावित कृषकों की संख्या	
					लघु व सीमांत कृषक	अन्य बड़े कृषक
1	रायपुर	रायपुर	89	मध्यम	4909	402
2		अभनपुर	41	लघु	635	84
3		तिल्दा	105	तीव्र	12864	805
4		आरंग	—	—	2971	205

तालिका 37: सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की सूची



लेखाचित्र 1: सूखा से प्रभावित गाँव की संख्या

जिले में घोषित सूखे की पिछली घटना की रूपरेखा				
क्र0	साल	राज्य का नाम	जिले का नाम	तहसील का नाम
1	2015—16	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर, आरंग, अभनपुर, तिल्दा
2	2016—17	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर, आरंग, अभनपुर, तिल्दा

तालिका 38: जिले में घोषित सूखे की पिछली घटना की रूपरेखा

2.6.2 बाढ़ –


बाढ़ सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, जो व्यापक नुकसान करने के साथ-साथ जीवन और संपत्ति को भी बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने वाली है। बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है, जिसका उत्पन्न होने का समय और स्थान के संबंध में एक निश्चित प्रवृत्ति की भविष्यवाणी करना मुश्किल है।

बाढ़ रायपुर जिले के लिए एक गंभीर खतरा है। खारून और महानदी नदी क्रमशः रायपुर जिले के पश्चिमी और पूर्वी तरफ से गुजरती है। नदियों के अलावा कोल्हान नाला जिले से गुजरती है। इन जल निकायों के आस-पास बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ज्यादातर स्थित हैं। महानदी नदी पर दो चेक बांध अर्थात् समोदा बैराज और निसादा बैराज हैं, जिसके पानी का स्तर बढ़ने पर बाढ़ का कारण बन सकता है।

निचले क्षेत्र में बसे हुए गांव/अधिवास जो कि बाढ़ की स्थिति से प्रभावित होते हैं उनकी सूची निम्न प्रकार है –

जिले की नदियां जो बाढ़ या जल प्रवेश की दृष्टि से अतिसंवेदनशील हैं				
क्र.	तहसील	नदी का नाम	कुल गांव की संख्या	गांव का नाम
1	रायपुर	खारून नदी	24	बरतनारा, चंगोराभाटा, मुरैठी, बहेसर, कुम्हारी, पठारीडीह, बेन्द्री, कारा, बाना, गोमची, हथबंद, भूरा, भैरवा, चंदनीडीह, रायपुरा, सरोना, भाठागांव, काठाडीह, अटारी, गुमा, सोंडरा, परसतराई, मुरा, खैरखुंट
2	आरंग	महानदी	19	मोहमेला, कुटैल, कुरुद, करमंदी, हरदीडी, चिखली, कागदेही, समौदा, चपरीद, गुल्लू, गुरगुदा, बेनीडीह, रांकाटार, कुम्हारी, गौरभाठ, बनचरौदा, छटेरा, गोहरा, खट्टी
		खारून	4	मुडरा, आमदी, खट्टी, रवेली
3	अभनपुर	महानदी	17	पारागांव, लखना, दुलना, तर्रा, बगदेही, नवापारा, कोलियारी, चम्पाझर, सेमरा, टीला, परसदा, जौदी, लमकेनी, परसुलीडीह, टोडरा, बलारी खुर्द, सुगेरा,
4	तिल्दा	खारून	5	खैरघट, सुगेरा, बलौदीखुर्द, सगुनी, लखना
कुल			69	–


तालिका 39: जिले की नदियां जो बाढ़ या जल प्रवेश की दृष्टि से अतिसंवेदनशील हैं



लेखाचित्र 2: नदी द्वारा बाढ़ या जल प्रवेश से संवेदनशील गांव

जिले के नाले जो बाढ़ या जल प्रवेश की दृष्टि से अतिसंवेदनशील हैं				
क्र०	तहसील	नाले का नाम	कुल गांव की संख्या	गांव का नाम
1	रायपुर	कोल्हान	10	जरौद, नगरगांव, मोहदी ए, गोडी.02, कपसदा, भैसमुड़ा, पथरी, भेरवा, रैता, अकोली
2	आरंग	कोल्हान	21	पौता, तांदूल, धमनी, परसदा-03, उमरिया, जरौदा 2, सिवनी01, पिपरहटठा, तोड़गांव, बड़गांव, नगपुरा, चटौद, गनौद, बिरबिरा, गुजरा, नारा, खम्हरिया, कुण्डा, संकरी02
3	अभनपुर	कोल्हान	6	उरला 2, पचेड़ा 02, कुरू, चेरिया, टेलकाभाठा, तर्रा 02
4	तिल्दा	कोल्हान	6	सुंगेरा, सड्डू, सगुनी, बलौदी, मोहदी 02,

तालिका 40: जिले की नाले जो बाढ़ या जल प्रवेश की दृष्टि से अतिसंवेदनशील हैं



लेखाचित्र 3: नालों के द्वारा बाढ़ या जल प्रवेश से संवेदनशील गांव

जिले में नगर निगम में भारी वर्षा से प्रभावित वार्ड एवं स्थान			
वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18
वार्ड का नाम	दानवीर, भामाशाह(गुढ़ियारी)	बालगंगाधर तिलक(गुढ़ियारी)	हेमू कल्याणी वार्ड, पंडिर रविशंकर शुक्ल वार्ड, ठक्कर बापा, शहीद बिगेडियर उस्मान वार्ड, विपिन बिहारी सूर वार्ड
स्थान का नाम	शुक्रवारी बाजार ज्योतिषा नगर कुन्दरापारा	आदर्श नगर अशोक नगर अंबेंडकर नगर	शहीद स्मारक भवन के सामने, राजातालाब शिव मंदिर क्षेत्र, तुलसी नगर, लोधीपारा, धरमनगर पचपेड़ी नाका, प्रोफेसर कालोनी रिंगरोड राधास्वामी नगर

तालिका 41: जिले में नगर निगम में भारी वर्षा से प्रभावित वार्ड एवं स्थान

निम्नलिखित तहसीलों के कुछ गांव के सुरक्षित स्थानों का चिन्हांकन				
क्र.	तहसील	नदी का नाम	कुल गांव	गांव का नाम
1	रायपुर	खारून	18	बरतनारा, चगोराभाटा, मुरैठी, बहेसर, कुम्हारी, पठारीडीह, बेन्द्री, कारा, बाना, गोमची, हथबंद, भूरा, भैरवा, चंदनीडीह, रायपुरा, सरोना, भाटागांव, काठाडीह
2	आरंग	महानदी	20	मोहमेला, कुटैल, कुरुद, करमंदी, हरदीडी, चिखली, कागदेही, समौदा, चपरीद, गुल्लू, गुरगुदा, बेनीडीह, रांकाटार,
3	अभनपुर	खारून, महानदी	18	मुडरा, आमदी, खट्टी, रवेली पारागांव, लखना, दुलना, तर्रा, बगदेही, नवापारा, कोलियारी, चम्पाझर, सेमरा, टीला, परसदा, जौदी, लमकेनी, परसुलीडीह, टोडरा
4	तिल्दा	खारून	05	खैरघट, सुगेरा, बलौदीखुर्द, सगुनी, लखना
कुल			61	—

तालिका 42: गांव के सुरक्षित चिन्हांकित स्थान

2.6.3 दुर्घटनाएँ –

सड़क दुर्घटनाएँ –


विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है जिसके फलस्वरूप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने, असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते हैं उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते हैं। स्थिति की भयावता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घंटे में 10 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इनसे चार गुना अर्थात् 40 व्यक्ति घायल होते हैं, जिनमें बहुत से उम्रभर के लिये अपंग हो जाते हैं।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक लगाएं ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी भी की जा सके।

जिले में सड़क दुर्घटनाएं				
क्र.	वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
1	2013	2429	428	2501
2	2014	2242	394	1315
3	2015	1863	382	1213
4	2016	1150	221	775
5	2017	1276	226	776
कुल		3958	8960	1651

तालिका 43: जिले में सड़क दुर्घटनाएं



लेखाचित्र 4: जिले में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या

सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण –

- गाडी चलाने में लापरवाही
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सड़कें
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड
- गाडियों का अनुचित रखरखाव


2.6.4 महामारी –

वर्ष 2008 से वर्ष 2017 के दौरान जिले में महामारी					
क्र.	वर्ष	तहसील/ विकासखण्ड	महामारी का नाम	महामारी की संख्या	प्रभावित लोगों की संख्या
1	2011	अभनपुर, धरसीवा	उल्टी, दस्त, पीलिया	08	386
2	2012	अभनपुर, धरसीवा	उल्टी, दस्त, पीलिया	06	—
3	2013	तिल्दा, धरसीवा	उल्टी, दस्त, पीलिया	—	—

तालिका 44: वर्ष 2008 से वर्ष 2017 के दौरान जिले में महामारी

तहसील स्तर पर आशंका वाले क्षेत्र और संवेदनशील गांव				
क्र.	ग्राम की कुल संख्या	तहसील का नाम	महामारियों की दृष्टि से संवेदनशील गांवों की संख्या	दुर्गम क्षेत्र
1	106	रायपुर	9	—
2	167	आरंग	5	—
3	95	धरसीवा	4	—
4	132	तिल्दा	13	—
कुल	500	—	31	—

तालिका 45: तहसील स्तर पर आशंका वाले क्षेत्र और संवेदनशील गांव



लेखाचित्र 5: महामारियों की दृष्टि से संवेदनशील गांवों की संख्या

3. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

3.1 संस्थागत व्यवस्था

आपदा प्रबंधन अधिक प्रभावी होता है अगर यह संस्थागत ढाँचे में हो। इस उद्देश्य से डीएम अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाना निर्देशित किया गया है। यह आपदा योजना के अनुसार किसी भी आपदा स्थिति को प्रभावी ढंग से तत्काल प्रतिक्रिया देने और कम करने के लिए जिला स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र, जैसा कि राष्ट्रीय योजना में शामिल है, नीचे दिया गया है:

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- जिला आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति
- स्थानीय स्व-सरकारी प्राधिकरण
- जिला आपातकालीन ऑपरेशन सेंटर

3.2 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण


डीडीएमए, आपदा प्रबंधन के लिए योजना, समन्वय और कार्यान्वयन तथा राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के उद्देश्य के लिए सभी उपाय करता है। तथा यह सुनिश्चित करता है कि आपदाओं की रोकथाम, इसके प्रभाव की कमी, तैयारी और प्रतिक्रिया उपायों के लिए दिशानिर्देश का पालन सरकार के सभी विभागों में जिला स्तर और जिला में स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की संख्या सात से अधिक नहीं होगी, तथा कलेक्टर/डीएम, जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण –

क्र.	सरकारी पद	प्राधिकरण में पद
1	जिला कलेक्टर (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)	अध्यक्ष
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), जिला पंचायत	सदस्य
4	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
6	कार्यपालन अभियंता (PWD) विभाग	सदस्य
7	कार्यपालन अभियंता (सिंचाई) विभाग	सदस्य
8	अपर कलेक्टर	सदस्य
9	जिला कमांडेंट होम गार्ड्स	सदस्य

तालिका 46: DDMA की संरचना

जिला आपदा प्रबंधन समिति एक शीर्ष नियोजन समिति है यह तत्परता एवं शमन के हेतु प्रमुख भूमिका निभाती है। जिला स्तर पर प्रतिक्रिया का समन्वय जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में किया जाता है, जो जिला आपदा प्रबंधक के रूप में काम करते हैं।



प्रवाह चित्र 1: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रवाह चित्र

3.3 जिला आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति –

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य कुशल निर्वाहन के लिए एक और एक से अधिक आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति के सदस्यों के नियुक्ति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसमें जिला पंचायत, विभिन्न विभाग गैर सरकारी संगठन इत्यादि के सदस्यों को शामिल किया जाता है।

क्र.	धारित पद	पद पर
1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	उप अध्यक्ष
3.	डिप्टी कलेक्टर	सदस्य

4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
5.	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य
6.	जिला वन मण्डलाधिकारी	सदस्य
7.	जिला खाद्य अधिकारी	सदस्य
8.	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
9.	उप निर्देशक कृषि	सदस्य
10.	आर .टी ओ	सदस्य
11.	जिला स्तर के गैर सरकारी संगठन सदस्य	सदस्य

तालिका 47: आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति की संरचना

स्थानीय स्व सरकारी प्राधिकरण –

इस नीति के प्रयोजन के लिये स्थानीय प्राधिकरण पंचायती राज संस्थाओं (आर आई), नगरपालिकाओं, जिला और कैंटोमेंट बोर्ड (cantonment board) एवं नगर योजना प्राधिकरणों को शामिल किया जाता है जो नागरिक सेवाओं को नियंत्रित और संचालित करती है। ये निकाय आपदाओं से निपटने के लिये अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करेंगी, प्रभावित क्षेत्रों में राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियां चलाएंगी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगी। महानगरों में आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों से निपटने के लिये विशिष्ट संस्थागत ढांचा स्थापित किया जाएगा।

3.4 शहरी क्षेत्र आपदा प्रबंधन समिति –

जिला कार्यालय के सभी शहरी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन गतिविधियों को संचालित करने लिये शहरी स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। शहरी आपदा प्रबंधन समिति के गठन के लिए प्रस्तावित ढांचा।

क्र.	धारित पद	पद
1.	नगर पालिका अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यापालन अधिकारी	उप अध्यक्ष
3.	एस.डी .एम	सदस्य
4.	विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
5.	कार्यापालन अभियंता लोक निर्माण विभाग	सदस्य

6.	कार्यापालन अभियंता विद्युत विभाग	सदस्य
7.	वन मण्डलाधिकारी	सदस्य

तालिका 48: शहरी क्षेत्र आपदा प्रबंधन समिति

3.5 तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति –

तहसील में आपदा प्रबंधन गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा ।

क्र0	धारित पद	पद
1	तहसीलदार	अध्यक्ष
2	टी.आई.पोलिस	सदस्य
3	अध्यक्ष, पंचायत समिति	सदस्य
4	उप अभियंता, जल संसाधन	सदस्य
5	उप अभियंता, बिजली विभाग	सदस्य
6	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
7	चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
8	गैर सरकारी संगठन	सदस्य

तालिका 49: तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का ढांचा

3.6 ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति –

ग्राम स्तर पर आपदा से निपटने के लिए एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से समन्वय हेतु ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा, प्रस्तावित स्वरूप इस प्रकार है –


क्र0	धारित पद	पद
1	ग्राम पंचायत सरपंच	अध्यक्ष
2	सचिव, ग्राम पंचायत	सदस्य
3	आशा (स्वास्थ्य विभाग)	सदस्य
4	शिक्षक (शिक्षा विभाग)	सदस्य
5	सैनिक (होमगार्ड)	सदस्य
6	कोटवार	सदस्य

तालिका 50: ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति

3.7 जिला आपातकालीन संचालन केंद्र

डीईओसी जिला कलेक्टर के कार्यालय में स्थित है। यह आपदा से निपटने के लिए सूचना एकत्रण, प्रसंस्करण और निर्णय लेने के लिए केंद्र बिंदु भी है। एकत्रित और संसाधित की गई जानकारी के आधार पर आपदा प्रबंधन के संबंध में इस नियंत्रण कक्ष में अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है, यह पूरे साल काम करता है और विभिन्न विभागों को आपदा के दौरान दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यपालन का आदेश देता है। घटना कमांडर जिला नियंत्रण कक्ष में प्रभार लेता है जो आपातकालीन परिचालनों का निर्देश देता है। आपदा प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना चित्र में नीचे दी गई है

किसी भी आपदा से निपटने के लिए जिला कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर को राहत कार्यों के लिए निर्देशित करेगा एवं संयुक्त कलेक्टर तहसीलदार को, तहसीलदार ग्राम पंचायत पटवारी सचिव को निर्देशित करेगा ।



प्रवाह चित्र 2: आपदा प्रबंधन हेतु संगठनात्मक स्वरूप ढांचा

सुविधाएं/व्यवस्थाएं जिला नियंत्रण कक्ष/केन्द्र –


जिला नियंत्रण केन्द्र में आपदा से निपटने के लिए एवं विभिन्न लाइन विभागों में समन्वय स्थापित करने हेतु निम्न व्यवस्थाएं होगी –

- राज्य आपदा प्रबंधन नियंत्रण केन्द्र से संपर्क स्थापित करने हेतु हॉट लाइन
- टेलीफोन, सेटेलाइट फोन
- आपदा प्रबंधन योजना की कॉपी
- वायरलेस सेट
- कान्फ्रेंस रूम
- वाकी टाकी
- एक कम्प्यूटर जिसमें इंटरनेट हो
- अन्य आवश्यक सामग्री

3.8 घटना (हादसा) प्रत्युत्तर प्रणाली (आइआरएस) –

क्षेत्र के घटना प्रत्युत्तर टीम के माध्यम से आइआरएस संगठन कार्य करता है। डीडीएमए के अध्यक्ष जिला कलेक्टर ही घटना प्रत्युत्तर प्रबंधन का सर्वोच्च पदाधिकारी एवं जवाबदेह व्यक्ति होता है। आवश्यकतानुसार जिला कलेक्टर किसी अन्य जवाबदेह अधिकारी को अपना कार्यभार सौंप सकता है। अगर आपदा एक से अधिक जिले में हुई तो उस जिले का कलेक्टर इंसिडेंट कमांडर का काम करता है जहाँ आपदा की गंभीरता सबसे ज्यादा है।

घटना प्रत्युत्तर प्रणाली के सक्रिय होने के साथ-साथ एक कार्य संचालन सेक्शन, एक योजना सेक्शन, एक रसद सेक्शन और एक वित्त सेक्शन अपने-अपने प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ त्वरित कार्य करने की भूमिका निभाते हैं। इन सेक्शनों के प्रभारियों के नियुक्ति करने का अधिकार केवल इंसिडेंट कमांडर को है। सेक्शन प्रभारियों में पीड़ितों तक रसद सहायता पहुँचाने तक की सभी संबंधित जवाबदारी निहित होती है।



प्रवाह चित्र 3: घटना प्रत्युत्तर प्रणाली

इंसिडेंट कमांडर के मुख्य कार्य –

इंसिडेंट कमांडर के निम्नलिखित सामान्य कार्य होंगे :

- आपातकाल में अबाधित संचार प्रवाह बनाना एवं उसके एकीकरण के तंत्र विकसित करना ।
- जिला, राज्य और केन्द्र सरकार के विभिन्न इएसएफ (emergency support function) के अपने प्रोटोकॉल एवं कार्य प्रक्रिया के लिए सुविधा प्रदान करना ।
- संचार व्यवस्था को इस तरह दुरुस्त रखना कि आपदा के समय मिलने वाली सभी सूचना को प्राप्त किया जा सके, उनका रिकार्ड रखा जा सके और सूचना के आदान-प्रदान की स्वीकृति पत्र दे सके ।
- आपातकाल में इएसएफ के पास उपलब्ध राहत सामग्री के वितरण का प्रबंधन करना ।
इन उपरोक्त सामान्य कार्यों के अतिरिक्त इंसिडेंट कमांडर को अनेक निम्नलिखित विशिष्ट कार्य करने पड़ते हैं जैसे –
 - स्थिति का अनुमान लगाना,
 - मानव जीवन जोखिम का अनुमान लगाना,
 - तात्कालिक उद्देश्यों (कार्यों) का निर्धारण करना,
 - आपदा क्षेत्र में पर्याप्त आवश्यक संसाधन की उपलब्धता तय करना/उपलब्धता के लिए आदेश देना,
 - तात्कालिक कार्य योजना तय करना,
 - एक प्रारंभिक तात्कालिक संगठन बनाना,
 - कार्य एवं लक्ष्यों की समीक्षा करना, उनमें सुधार करना और आवश्यकतानुसार अपने कार्य योजना में उससे समायोजित करना ।

ऑपरेशन सेक्शन प्रभारी के मुख्य कार्य –

- प्राथमिक उद्देश्य पूरा करने के लिए सभी तरह के प्रत्यक्ष कार्यों के प्रबंधन की जिम्मेदारी,
- आवश्यकतायें निश्चित करना एवं अतिरिक्त संसाधन के लिए संबंधित विभागों को अनुरोध करना,
- उपलब्ध संसाधनों की सूची की समीक्षा करना और संसाधनों के वितरण के लिए अनुशंसा करना,
- इंसिडेंट कमांडर को सभी विशेष गतिविधियों और घटनाओं का प्रतिवेदन देना ।

योजना सेक्शन प्रभारी के मुख्य कार्य –

- किसी सहायता के संबंध में सूचना संग्रह करना, उनका मूल्यांकन करना, प्रसार करना तथा उपयोग करना, अद्यतन स्थिति की जानकारी लेना ।
- वैकल्पिक योजना बनाना तथा सभी कार्यों का नियंत्रण करना ।
- तात्कालिक कार्ययोजना निर्माण का परिवेक्षण करना ।
- आवश्यकतानुरूप आपदा क्षेत्र में कार्यरत किसी अधिकारी को नया कार्य सौंपना ।
- घटना के प्रत्युत्तर के लिए किसी विशिष्ट संसाधन की जरूरत तय करना ।

रसद सेक्शन प्रभारी के मुख्य कार्य –

- योजना सेक्शन के लिए संसाधन हेतु आवश्यक सूचना एवं प्रतिवेदन तंत्र स्थापित करना ।
- हादसा की अद्यतन स्थिति की जानकारी का संकलन एवं प्रदर्शन करना ।
- घटना विनियोजन योजना के तैयारी एवं कार्यान्वयन की देख-रेख करना ।
- यातायात, चिकित्सा, सुरक्षित क्षेत्र और संचार आदि को योजनाओं में शामिल कर इनका समीक्षा करना ।
- अद्यतन स्थिति एवं संसाधन उपलब्धता पर मीडिया को जानकारी देना, लक्ष्य तय करना कार्य क्षेत्र सीमा निर्धारण करना, कार्य समूह निर्माण करना, प्रत्येक विभाग के लिए रणनीति एवं सुरक्षा निर्देश तय करना, नक्शा तैयार करना, प्रतिवेदन स्थल तय करना, संसाधनों को उचित स्थान पर रखवाना और कर्मचारियों को अनुशासन में रखना आदि भी रसद सेक्शन के मुख्य काम हैं।
- कर्मचारियों को कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपना।
- अपने कार्य के लिए पूर्व नियोजित एवं भावी कार्य संचालन के लिए आवश्यक सेवा एवं जरूरतों को चिन्हित करना ।
- अतिरिक्त संसाधन के लिए प्रक्रिया अनुरोध शुरू करना और इसके लिए समन्वय करना ।

वित्त सेक्शन प्रभारी के मुख्य कार्य –

वित्त सेक्शन मूलतः प्रशासन एवं वित्त प्रबंधन के लिए है। इंसिडेंट कमांड पोस्ट, आधार कार्यालय क्षेत्र, आधार कार्यालय और शिविरों का प्रबंधन, वित्त सेक्शन के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत है। वित्त सेक्शन के अंतर्गत निम्न कार्य हैं:-

- संसाधनों की उपलब्धता एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उचित प्रबंधन करना,

- आइसी को संसाधन उपयोग के लिए आवश्यक योजना बनाने की जबावदेही देना एवं आकस्मिकता के लिए संसाधन की स्वीकृति देना।

3.9 जिला नियंत्रण केन्द्र –

जिला नियंत्रण केन्द्र जिला कलेक्टर के नियंत्रण अंतर्गत एक प्राथमिक केन्द्र में कार्य करेगा। इसके गठन के उद्देश्य–

- निगरानी करना
- समन्वय करना
- आपदा प्रबंधन की कार्यवाही को लागू करना

यह कक्ष वर्षभर कार्यरत रहता है एवं विभिन्न विभागों को आपदा के समय कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी करता है। जिला आपदा समिति निम्नलिखित है –

क्र0	आपदा नियंत्रण कक्ष	अधिकारी	दूरभाष / मोबाईल	
1	राज्य स्तर	श्री एन.आर.साहू, राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन मंत्रालय, रायपुर)	0771-2223471	
		श्रीमती हीना अनिमेश नेताम आपदा प्रबंधन मंत्रालय, रायपुर	9993116811	
2	जिला स्तर	श्री के0एस0पटले, बालश्रम परियोजना निदेशक, रायपुर	0771-2413233 / 9926615200	
3	तहसील स्तर	रायपुर	श्री उमेश साहू तहसीलदार	0771-2224163 / 83053.77283
		तिल्दा	श्री योगेन्द्र वर्मा प्रभारी तहसीलदार	0771-233601 / 9828211112
		आरंग	श्री अनुभव शर्मा	0771-258545 / 9826140500
		अभनपुर	श्रीमती पार्वती पटेल	0771-2774204 / 9617237611
4	नगर निगम	श्री बी0एल0चंद्राकर सहायक अभियंता अग्निशमन विभाग	0771-2274101 / 9301953236	
5	चिकित्सा विभाग	श्री अर्जुन सिंह पवार स्वच्छता निरीक्षक	9109803128	
6	जिला सेनानी, नगर सेना	डॉ0 आर. के. चन्द्रवंशी, सी0एम0एच0ओ0	0771-2535304 / 9425261843	
7	पुलिस नियंत्रण कक्ष, सिविल लार्डन	श्री संजय मिश्रा, जिला सेनानी	0771-2426823 / 9826118056	
8	भारतीय सेना	मेजर मो. अलतमास	9596488755	

तालिका 51: जिला नियंत्रण केन्द्र

वैकल्पिक नियंत्रण कक्ष –

किसी भी प्रकार के आपदा से निपटने के लिये जिला स्तर पर आपातकालीन नियंत्रण केन्द्र की स्थापना की गई है। किन्तु आपातकालीन नियंत्रण केन्द्र के साथ आपदा के समय सुचारु रूप से संचालन के लिए जिला सेनानी, नगर सेना, पुलिस विभाग में भी वैकल्पिक आपातकालीन नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है।

पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाएं –

पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाएं, आपदाओं में तत्काल कार्यवाही करेंगे। बहु – जोखिम बचाव क्षमता प्राप्त करने के लिये पुलिस बलों को प्रशिक्षित किया जाता है तथा अग्निशमन सेवाओं का उन्नयन किया जाता है।

नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड्स –

नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड्स द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रभावकारी भूमिका अदा की जाती है। सामुदायिक तैयारी तथा जन-जागरूकता में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी आपदा के आने पर उनके द्वारा तत्काल उचित कार्यवाही किया जाता है।

सूचना एवं चेतावनी एजेंसी –

सभी प्रकार की आपदाओं के लिये पूर्वानुमान तथा शीघ्र चेतावनी प्रणालियों को स्थापित किये जाने, उन्नयन किये जाने तथा आधुनिक बनाए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। विशिष्ट प्राकृतिक आपदाओं की मॉनीटरिंग तथा निगरानी करने के लिये जिम्मेदार नोडल एजेंसियां, प्रौद्योगिकीय अंतरों की पहचान करेगी तथा उनके उन्नयन के लिये परियोजनाओं का प्रतिपादन करेंगी ताकि समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जा सके।

	आपदा	आपदाओं की संभावित अवधि	आपदा से प्रभावित जिले तहसील	गंभीरता का स्तर	तैयारी निगरानी उपाय	समय सीमा	हितधारक
1	शीत लहर	दिसम्बर – जनवरी	सरगुजा, कोरिया, जशपुर, सूरजपुर	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	नवंबर का पहला सप्ताह	केंद्र स्तर पर
			बलरामपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोडागांव, कांकेर	मध्य	सलाह जारी करना	नवंबर का दूसरा सप्ताह	IMD, NDMA, NIDM, WHO, MoHRD, MoHFW, MoUD, MoPR, MoRD, MoAFW.
			अन्य जिले	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	नवंबर का दूसरा सप्ताह	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	नवंबर का दूसरा सप्ताह	MD, SDMA, Health Department, Education Department, Municipal Corporations, Women and Child Development, Agriculture, Horticulture, Animal and Husbandry, Labour, Forest and Food department etc.
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में	
मध्यावधि समीक्षा	जनवरी का पहला सप्ताह						
2	लू (हीट वेव-हीट स्ट्रोक)	अप्रैल-जून	बिलासपुर, बलोदा बाजार, रायपुर, जांजगीर चाम्पा, दुर्ग, कबीरधाम और कांकेर	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	मार्च का दूसरा सप्ताह	केंद्र स्तर पर
			धमतरी , राजनांदगाँव, रायगढ़, कोरबा, सुकमा और दंतेवाड़ा	मध्य	सलाह जारी करना	मार्च का तीसरा सप्ताह	IMD, NDMA, NIDM, , MoHFW, WHO, MoHRD, MoWR, MoUD, MoPR, MoRD, MoL&E, DRM (Railway)
			अन्य जिले	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	मार्च का तीसरा सप्ताह	राज्य स्तर पर

					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	मार्च का अंतिम सप्ताह	MD, SDMA, Health Department, Education Department, Municipal Corporations, Women and Child Development, Agriculture, Horticulture, Animal and Husbandry, Labour, Forest and Food department etc.
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	अप्रैल का पहला सप्ताह	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में	
					मध्यावधि समीक्षा	मई का दूसरा सप्ताह	
3	वन आग	अप्रैल-जून	बीजापुर, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	नवंबर का पहला सप्ताह	केंद्र स्तर पर
			बस्तर, जशपुर, गरीयाबंद , कोंडागांव और धमतरी	मध्य	सलाह जारी करना	नवंबर का दूसरा सप्ताह	MoEF&CC, MHA, NRSC, MoRD, MoRTH
			नारायणपुर, कांकेर, मुंगेली और रायगढ़	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	नवंबर का दूसरा सप्ताह	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	नवंबर का दूसरा सप्ताह	Forest, SDRF, SDMA, PHED, PWD, Agriculture, Horticulture, Animal and Husbandry Department
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	दिसंबर का पहला सप्ताह	
नियमित वीडियो कांफ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में						
मध्यावधि समीक्षा	जनवरी का पहला सप्ताह						
4	आकाशीय बिजली	जून-सितम्बर	कोरबा, रायगढ़, महासमुन्द, बस्तर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	अप्रैल का तीसरा सप्ताह	केंद्र स्तर पर

			गरियाबंद, दुर्ग, राजनांदगाँव, कोंडागाव बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा	मध्य	सलाह जारी करना	मई का पहला सप्ताह	IMD, MHA, NDMA, NDRF, NRSC, MoH&FW, MoUD, MoRD, Ministry of Railway, MoRTH, MoP, MI&CT, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Food Processing Industries.
			अन्य जिले	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	मई का पहला सप्ताह	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	मई का दूसरा सप्ताह	SDMA, WRD, PHED, PWD, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Industrial Deptt., Animal and Husbandry Department and Education.
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	जून का पहला सप्ताह	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में	
					मध्यावधि समीक्षा	जुलाई का दूसरा सप्ताह	
			बरस्तर, बिलासपुर, महासमुंद, रायपुर, कोरबा, जशपुर, सरगुजा, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकर जांजगीर चाम्पा और रायगढ़	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	अप्रैल का तीसरा सप्ताह	केंद्र स्तर पर
5	बाढ़	जून-सितम्बर	सूरजपुर, कोंडागाव, गरीयाबंद, बालोद, दुर्ग, बलोदा बाजार, बीजापुर, नारायणपुर, धमतरी और राजनांदगाँव	मध्य	सलाह जारी करना	मई का पहला सप्ताह	IMD, MHA, NDMA, NDRF, NRSC, MoH&FW, MoUD, MoRD, Ministry of Railway, MoRTH, MoP, MI&CT, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Food Processing Industries.

			अन्य जिले	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	मई का पहला सप्ताह	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	मई का दूसरा सप्ताह	SDMA, WRD, PHED, PWD, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Industrial Deptt., Animal and Husbandry Department and Education.
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	जून का पहला सप्ताह	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में	
					मध्यावधि समीक्षा	जुलाई का दूसरा सप्ताह	
6	शहरी बाढ़	जून-सितम्बर	रायपुर, धमतरी, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, बस्तर और कांकेर	उच्च	तैयारी कार्यशाला, बैठक	अप्रैल का तीसरा सप्ताह	केंद्र स्तर पर
			जांजगीर चाम्पा, मुंगेली और कोरबा	मध्य	सलाह जारी करना	मई का पहला सप्ताह	IMD, MHA, NDMA, NDRF, NRSC, MoH&FW, MoUD, MoRD, Ministry of Railway, MoRTH, MoP, MI&CT, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Food Processing Industries.
			अन्य जिले	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	मई का पहला सप्ताह	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	मई का दूसरा सप्ताह	SDMA, WRD, PHED, PWD, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Industrial Deptt., Animal and Husbandry
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	जून का पहला सप्ताह	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में	

					मध्यावधि समीक्षा	जुलाई का दूसरा सप्ताह	Department and Education.
7	लैंडस्लाइड —मडस्लाइड	जून— सितम्बर	कोंडागाँव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सरगुजा	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	अप्रैल का तीसरा सप्ताह	केंद्र स्तर पर
			कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, दंतेवाड़ा	मध्य	सलाह जारी करना	मई का पहला सप्ताह	IMD, MHA, NDMA, NDRF, NRSC, MoH&FW, MoUD, MoRD, Ministry of Railway, MoRTH, MoP, MI&CT, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Food Processing Industries.
			अन्य जिले	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	मई का पहला सप्ताह	राज्य स्तर पर
			सोशल मीडिया जागरूकता अभियान		मई का दूसरा सप्ताह	SDMA, WRD, PHED, PWD, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Industrial Deptt., Animal and Husbandry Department and Education.	
			वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा		जून का पहला सप्ताह		
नियमित वीडियो कांफ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में						
					मध्यावधि समीक्षा	जुलाई का दूसरा सप्ताह	
8	सूखा	जुलाई —अक्टूबर	बेमेतरा, रायगढ़, महासमुंद, रायपुर, बलोदा बाजार, जांजगीर चाम्पा, कोरबा, मुंगेली, दुर्ग, राजनांदगाँव, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागाँव धमतरी और कबीरधाम	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	मई का पहला सप्ताह	केंद्र स्तर पर

			कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, दंतेवाड़ा	मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, IMD, MNCFC, CRIDA, MoWR, RD & GR, ISRO, SRSACs
			सरगुजा, सुकमा, बस्तर	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान (हर महीने)	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान	SDMA, Relief Commissioner, Agriculture
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	नवंबर का पहला सप्ताह	Department, Irrigation Department, PHED, Health Department, Municipal Corporations,
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	Electricity Department, Department of Education
					मध्यावधि समीक्षा	नवंबर का पहला सप्ताह	
9	सड़क दुर्घटनाएं	वर्ष भर	रायगढ़, जांजगीर चाम्पा, बलरामपुर, कोरबा, रायपुर, जशपुर, बस्तर, कांकेर, राजनांदगाँव, दुर्ग, मुंगेली, कोंडागाँव, सरगुजा, बिलासपुर, सूरजपुर,	उच्च	तैयारी कार्यशाला, बैठक	हर महीने	केंद्र स्तर पर
			बलोदा बाजार, महासमूंद, धमतरी, बालोद, सुकमा, कवर्धा	मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	MoRTH, MoUD, NDMA, NIDM
			नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, गरीयाबंद, बेमेतरा, कोरिया	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान (हर महीने)	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान	SDMA, Transport Department, PWD, Health Department, Municipal Corporations,
			वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)			

					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	Electricity Department, Department of Education
					मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह(हर महीने)	
10	आग दुर्घटनाएं	वर्ष भर	बिलासपुर, जांजगीर चाम्पा, रायपुर, दुर्ग, कोरबा, राजनांदगाँव, मुंगेली	उच्च	तैयारी कार्यशाला, बैठक	हर महीने	केंद्र स्तर पर
			बस्तर, रायगढ़, बलोदा बाजार, महासमूद धमतरी, बालोद, कांकेर	मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	MoEF&CC, NRSC, MoRD, MoRMHA, NDMA, NIDM
			सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कबीरधाम, गरीयाबंद, कोंडागांव	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान (हर महीने)	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान	Fire Services, Relief Commissioner, SDMA, PHED, PWD, Municipal Corporation
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)						
11	भूकम्प	वर्ष भर	रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, कोरिया, बीजापुर, सरगुजा और सूरजपुर	उच्च	तैयारी कार्यशाला, बैठक	हर महीने	केंद्र स्तर पर
				मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	IMD, MHA, NDMA, NDRF, NRSC, MoH&FW, MoUD, MoRD, Ministry of Railway, MoRTH, Ministry of Power, Ministry of Information and Communication Technology, Ministry

						of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Food Processing Industries	
			अन्य जिले	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान (हर महीने)	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान	SDMA, SDRF, Home Department PHED, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Department of Education, PWD
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
					मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह(हर महीने)	
12	सर्प –दंश	वर्ष भर	बस्तर, सूरजपुर, राजनांदगाँव, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया	उच्च	तैयारी कार्यशाला, बैठक	हर महीने	केंद्र स्तर पर
			कोंडागाँव, सुकमा, बीजापुर, मुंगेली, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, महासमुंद, गरीयाबंद	मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	NIDM, MoHRD, MoHFW, WHO
			नारायणपुर, बेमेतरा, बालोद	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान (हर महीने)	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान	SDMA, Health Department, Municipal Corporations, Department of Education, Forest, Animal Husbandry, Women and Child Development
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	Department
		नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)				
			मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह(हर महीने)			

13	नक्सली -घटनाये	वर्ष भर	सुकमा , बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कोंडागांव, बस्तर, कांकेर	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	हर महीने	केंद्र स्तर पर
			राजनांदगाँव, धमतरी, जशपुर, महासमुंद, गरीयाबंद, बालोद, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर	मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	MHA, Central Armed Forces
			अन्य जिले	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान (हर महीने)	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान	Home Department, Department of Education,
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)						
मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह(हर महीने)						
14	महामारी	वर्ष भर	सूरजपुर, रायगढ़, जांजगीर चाम्पा, कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम, बलोदा बाजार, महासमुंद , धमतरी	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	हर महीने	केंद्र स्तर पर
			रायपुर, गरीयाबंद, मुंगेली, सरगुजा , जशपुर	मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	NDMA, NIDM, MoHRD, MoHFW WHO, MoUD, MoRD
			बलरामपुर, कांकेर, नारायणपुर, धमतरी, राजनांदगाँव	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान (हर महीने)	राज्य स्तर पर

					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान	SDMA, , PHED, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, WRD, Department of Animal Husbandry, Food and Education Department
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
					मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह(हर महीने)	
15	पशु संघर्ष	वर्ष भर	सरगुजा, जशपुर, बालोद, धमतरी	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	हर महीने	केंद्र स्तर पर
			कोंडागांव, बस्तर, राजनांदगाँव, रायपुर, सुकमा, बीजापुर	मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	MoEF, MoPR, MoAFW
			अन्य जिले		प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान (हर महीने)	राज्य स्तर पर
				निम्न	सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान	SDMA, WRD, PHED, PWD, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Industrial Deptt., Animal and Husbandry Department and Education.
				निम्न	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
					मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह(हर महीने)	
16	भगदड	वर्ष भर	रायपुर, दुर्ग, राजनांदगाँव दंतेवाड़ा, बस्तर, जांजगीर चाम्पा, कोरबा, रायगढ़ , बिलासपुर, मुंगेली	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	हर महीने	केंद्र स्तर पर
			सुकमा, बेमेतरा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बलोदा बाजार	मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	NIDM, NDMA, NDRF, MoUD,MoRD, MoPR

		अन्य जिले		निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान (हर महीने)	राज्य स्तर पर		
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान	SDMA, Relief Commissioner, SDRF, Home Department, Health Department, Municipal Corporations, Department of Education, Department of Transport		
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)			
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)			
					मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह(हर महीने)			
17									
	औद्योगिक दुर्घटनाये	वर्ष भर	रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चाम्पा, मुंगेली, बस्तर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, कोरबा, राजनांदगाँव	उच्च	तैयारी कार्यशाला, बैठक	हर महीने	केंद्र स्तर पर		
			सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, कबीरधाम	मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	NIDM, NDMA, NDRF, MoEFCC, MoCI, MoSME		
			अन्य जिले		निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान (हर महीने)	राज्य स्तर पर	
							सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान	SDMA, Relief Commissioner, SDRF, State Police, Health Department, Municipal Corporations, Department of Education, DoCI
							वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)			
					मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह(हर महीने)			

तालिका 52: आपदाओं का वार्षिक कैलेंडर

खण्ड – 2

विषय—सूची

क्रं.	विषय	पेज संख्या
1	योजना तैयारी	1-17
1.1	सामान्य तैयारियों एवं उपाय	1-4
1.1.1	नियंत्रण कक्ष की स्थापना	1-2
1.1.2	योजनाओं का नवीनीकरण	3
1.1.3	संचार तंत्र	3
1.1.4	आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण	3
1.1.5	अनुकूर्ण्य अभ्यास व्यवस्थापन	3
1.1.6	विभिन्न आपदाओं पर सामुदायिक जागरूकता	4
1.2	पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. का समन्वय प्रक्रिया	4-5
1.3	तत्काल पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. का समन्वय प्रक्रिया (पूर्व चेतावनी प्रणाली के पश्चात तत्काल प्रक्रिया)	5-6
1.4	आपदा के दौरान डीडीएमए का समन्वय तंत्र (राहत वितरण प्रणाली)	7
1.5	आपदा के बाद की स्थिति में डीडीएमए का समन्वय तंत्र	7-8
1.6	सामान्य तैयारी चेकलिस्ट	8-9
1.7	विभिन्न लाइन विभागों के लिए तैयार चेकलिस्ट (एस.ओ.पी.)	9-17
2	रोकथाम और न्युनीकरण के उपाय	18-26
2.1	खतरे के आधार पर संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक निवारण उपाय	18-26
2.1.1	खतरा : बाढ़	19-20
2.1.2	खतरा: सूखा	21-22
2.1.3	जोखिम: सड़क दुर्घटनाएं	23
2.1.4	जोखिम: महामारी	24
2.1.5	खतरा: आग	25
2.1.6	जोखिम: लू	26
3	आपदा जोखिम न्युनीकरण योजना	27-39
3.1	क्षमता निर्माण	27
3.2	आपदा जोखिम न्युनीकरण (डी.आर.आर.) के लिए सुझाव	28-32
3.3	विकास की राष्ट्रीय प्रमुख योजनाओं में डी-आर-आर- मुख्य धारा में	32-35
3.4	विकास की राज्य स्तरीय प्रमुख योजनाओं में डी-आर-आर- मुख्य धारा में	36-39
4	जलवायु परिवर्तन क्रियाएं	40-45
5	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय	46-51
5.1	क्षमता निर्माण	46
5.2	संस्थागत क्षमता निर्माण	46-47
5.3	भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)	47

5.4	भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ	48-50
5.5	सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन	50-51

तालिका-सूची

क्रं.	तालिका	पेज संख्या
1	तालिका 1: पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. का समन्वय प्रक्रिया	5
2	तालिका 2: तत्काल पूर्व आपदा जस्थनत में डीडीएम के समन्वय तंत्र (प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त होने के तुरंत बाद)	6
3	तालिका 3: आपदा के दौरान डीडीएमए का समन्वय तंत्र (राहत वितरण प्रणाली)	7
4	तालिका 4: आपदा के बाद की स्थिति में डीडीएमए का समन्वय तंत्र	8
5	तालिका 5: विभिन्न लाइन विभागों के लिए चेकलिस्ट (एस.ओ.पी.)	17
6	तालिका 6: बाढ़ खतरा के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय	19
7	तालिका 7: बाढ़ खतरा के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय	20
8	तालिका 8: सूखा खतरा के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय	21
9	तालिका 9: सूखे के खतरे के लिए गैर-संरचनात्मक निवारण उपाय	22
10	तालिका 10: सड़क दुर्घटना के खतरा हेतु संरचनात्मक निवारण उपाय	23
11	तालिका 11: सड़क दुर्घटना खतरा के लिए गैर - संरचनात्मक निवारण उपाय	23
12	तालिका 12: महामारी खतरे के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय	24
13	तालिका 13: महामारी खतरे के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय	24
14	तालिका 14: आग के खतरे के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय	25
15	तालिका 15: आग के खतरे के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय	25
16	तालिका 16: लू के खतरे के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय	26
17	तालिका 17: लू के खतरे के लिये गैर-संरचनात्मक निवारण उपाय	26
18	तालिका 18: डी.आर.आर. हेतु महत्वपूर्ण पहल	32
19	तालिका 19: विकास राष्ट्रीय प्रमुख योजनाओं में डी.आर.आर. मुख्य धारा में	35
20	तालिका 20: विकास राज्य स्तरीय प्रमुख योजनाओं में डी.आर.आर. मुख्य धारा में	39
21	तालिका 21: जलवायु परिवर्तन के लिए क्षेत्र विशेष से संबंधित गतिविधियाँ	45
22	तालिका 22: जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पहल	45
23	तालिका 23: प्रमुख विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ	50
24	तालिका 24: सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन	51

प्रवाहचित्र-सूची

क्रं.	प्रवाहचित्र	पेज संख्या
1	प्रवाह चित्र 1: जिला नियंत्रण कक्ष प्रवाह चित्र	2

1. योजना की तैयारी

इस योजना का उद्देश्य आपदाओं के दौरान प्रतिक्रिया देने के लिए सरकार, समुदायों और व्यक्तियों के साथ सामूहिक रूप से संलग्न होना है जिससे आपदा के समय किसी भी परिस्थितियों में समन्वित तरीके से तत्काल प्रतिक्रिया मिल सके। लोगों के जीवन और पूंजी-संपत्ति को बचाने हेतु आपदाओं के संभावित प्रभाव को कम करना अनिवार्य है। हर लाइन विभाग ने संवेदनशीलता, खतरों और समुदाय की क्षमताओं और असुरक्षित समूहों का मानचित्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आपातकाल के दौरान तैयारी की गतिविधियों को प्राथमिकता दी है।

जिला स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया के दौरान संस्थाओं और संसाधनों की क्षमता निर्माण को सुदृढ़ बनाना इसका लक्ष्य है। रायपुर की जिला आपदा प्रबंधन योजना, समुदायों और विभिन्न हितधारकों की मदद से तैयार की गई है।

1.1 सामान्य तैयारियों एवं उपाय –

1.1.1 नियंत्रण कक्ष की स्थापना –

जिला प्रशासन की एक अलग आपदा प्रबंधन समिति होती है। जिला कलेक्टर और सीईओ, जो आपदा के कार्यों में केन्द्र बिंदु की तरह अपनी भूमिका निभाते हैं, साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष की निगरानी करते हैं। जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थापना के बाद सभी नियंत्रण कक्ष काम करते रहें।


नियंत्रण कक्ष द्वारा चेतावनी के प्रचार-प्रसार, राहत व बचाव कार्यों की निगरानी, तैयारियों का आकलन, मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) तैयार करने, आपदा संवेदनशीलता का आकलन, समुदाय आधारित जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, अनुकूलनीय अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूकता फैलाना आपदा तैयारियों के बारे में नजर रखा जाता है। वर्तमान में, राजस्व विभाग अन्य सम्बंधित विभागों के साथ समन्वय कर नियंत्रण कक्ष संचालित करता है।

➤ नियंत्रण कक्ष की तैयारी –

- आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी ।
- जिला नियंत्रण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का उचित प्रचार-प्रसार ।
- आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए मौसम पर नजर रखना, और समय-समय पर चेतावनी देना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य होने से रोकें।
- सभी सार्वजनिक संस्थानों, एनजीओ/निजी क्षेत्र संगठनों के संपर्क विवरण को बनाए रखना, जिससे आपातकाल के दौरान प्रयोग में लाया जा सकें ।

- योजनाओं की तैयारी में जीआईएस और आर.एस. जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल।
- संवेदनशील क्षेत्रों के रिकॉर्ड, बचाव और राहत कार्यों की निगरानी, निर्णय लेना और डेटाबेस आदि का प्रबंधन करना।
- जिले में स्थिति के अनुसार जिला नियंत्रण कक्ष प्रणाली का सुधारीकरण, नवीनीकरण करना और संसाधनों की एक सूची बनाए रखना।
- जलवायु, बाढ़, हवा की गति और पिछले आपदाओं के इतिहास की आवृत्तियों के आंकड़ों के साथ-साथ नक्शे का रिकॉर्ड अद्यतन करना।
- विभिन्न कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और स्कूल शिक्षा और समुदायों में प्रभावी सार्वजनिक जागरूकता लाने के लिए यह सुनिश्चित करना कि योजनायें सबसे निचले स्तर तक पहुँच गई हैं।
- विभिन्न ग्राम पंचायतों और गांवों की आपदा से खतरों पर विभागों से नियमित आधार पर जानकारी प्राप्त करें।

जिला नियंत्रण कक्ष प्रवाह चित्र :



प्रवाह चित्र 1: जिला नियंत्रण कक्ष प्रवाह चित्र

1.1.2 योजनाओं का नवीनीकरण –

विभिन्न हितधारकों, गैर-सरकारी संगठनों/निजी क्षेत्र संगठनों, समुदायों से प्रतिक्रिया दस्तावेज जिला आपदा प्रबंधन योजना में सुधार के सुझावों पर विचार करने के लिए डी.डी.एम.पी. को प्रतिवर्ष डी.एम. एक्ट 2005 के अनुसार अपडेट किया जाना चाहिए।

1.1.3 संचार तंत्र –

उप-विभाजन, तहसील या ब्लॉक के मामले में, सम्बंधित मुख्यालयों, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम), तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.), घटना कमांडर (आईसी) के रूप में अपने सम्बंधित बचाव दल आईआरटी में और ऑपरेशंस सेक्शन चीफ (ओएससी) का चयन जिले में आपदाओं के रूप के अनुसार किया जायेगा। जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करता है कि आई.आर.टी. जिला, उप-प्रभाग, तहसील या ब्लॉक स्तर पर और आपदा अधिनियम (डीएम एक्ट), 2005 की धारा 31 के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन योजना में एकीकृत आईआरएस का गठन किया गया है। यह मौजूदा पुलिस, अग्नि शमन तथा मेडिकल सपोर्ट सिस्टम के आपातकालीन नंबर को सुनिश्चित कर सकता है जो कि प्रतिक्रिया, आदेश और नियंत्रण के आपातकालीन संचालन केंद्र (ई.ओ.सी.) से जुड़ा हुआ है।

1.1.4 आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण –

आपदा प्रबंधन समितियों की क्षमता में वृद्धि, प्रशिक्षण और कौशल का विकास महत्वपूर्ण है। डीएमटी में सदस्यों के समूह शामिल हैं, जिसमें महिलाएं एवं पुरुष स्वयंसेवक होते हैं। आपदा जोखिम में कमी और शमन योजना के लिए प्रशिक्षण नियमित प्रक्रिया होना चाहिए। डीएमटी को जिला स्तर पर आपदा की स्थिति में खोज व बचाव और प्राथमिक चिकित्सा टीमों के लिए विशेष कार्य सौंपा जाता है।

1.1.5 अनुकर्णीय अभ्यास व्यवस्थापन –

संवेदनशील क्षेत्रों के समन्वय के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं पर अनुकर्णीय अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इससे तैयारियों को प्रोत्साहित करने और जागरूकता पैदा करने में भी मदद मिलती है। स्कूलों और कालेजों में भी डीएम प्लान और नियमित अनुकर्णीय अभ्यास की नियमित रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए।

1.1.6 विभिन्न आपदाओं पर सामुदायिक जागरूकता –

सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम समुदायों को सभी स्तरों पर आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए घर से जिला स्तर तक आपदाओं के लिए तैयार करने में मदद करता है। आपदा के समय जिला प्रबंधन समिति हर घर और हर गाँव तक तुरंत पहुंच नहीं सकती है। समुदाय किसी भी दुर्घटना का पहला उत्तरदाता है और अपने जोखिम और कमजोरियों को कम करने के लिए कुछ परंपरागत तकनीकों का विकास करता है। एक आम क्षेत्र में रहने वाले समुदायों में युवाओं, महिलाओं, पुरुषों, छात्रों, शिक्षकों और विभिन्न हितधारकों का समावेश होता है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों, गांवों, वार्ड, मलिन बस्तियों जैसे विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग एक साथ रहते हैं। आपदा के प्रति सामुदायिक जागरूकता समुदाय को उसकी शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए जिम्मेदार बना सकती है। किसी भी आपदा तैयारियों और जागरूकता में समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण कारक होती है।

1.2 पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. का समन्वय प्रक्रिया

आपदा प्रबंधन के लिए आपातकालीन योजना पिछले अनुभवों के साथ-साथ जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए सुझावों और जानकारियों पर भी आधारित होती है। पूर्व और बाद के आपदा के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए रणनीति विकसित की गई है। जिले में उप-विभागीय और जिले के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल हैं जो क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में काम करते हैं। वे बचाव और राहत कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, और जिला मजिस्ट्रेट के प्रत्यक्ष आदेश के तहत दैनिक रूप से स्थिति की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं।

तैयारी	उद्देश्य	द्वारा शुरू किये गए कार्य
जिला स्तर समिति के साथ समन्वय	गोदाम और खाद्य भंडारण के लिए राहत और प्रतिक्रिया संबंधी एहतियाती उपाय करना	जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र
कमजोर अंक का मानचित्रण	<ul style="list-style-type: none"> कमजोर स्पॉट का नियमित मानचित्रण निवारक उपायों की योजना और कार्यान्वयन पूर्व चेतावनी 	वरिष्ठ उप कलेक्टर, सीईओ (जनपद पंचायत), कार्यकारी अभियंता
आवश्यक वस्तुएं	ग्राम पंचायत में अनाज, मिट्टी के तेल, ईंधन का भण्डार	सी.ई.ओ. (जनपद पंचायत), बीडीओ
आश्रय का चयन	आपातकाल की अवधि के दौरान	अतिरिक्त कलेक्टर, सी.ई.ओ.

	व्यवस्थित आश्रय	(जनपद पंचायत) के माध्यम से और स्थानीय लोग
दवाई, मोबाइल टीमों की स्थापना, महामारी प्रवण क्षेत्रों की पहचान	दवाओं का एक स्टॉक रखते हुए कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल	सी.एम.ओ., सिविल सर्जन
पशुओं के लिए भोजन और चारा की व्यवस्था करना	स्टॉक बनाए रखना	पशु चिकित्सा सहायता सर्जन (वी.ए.एस.), (पशुपालन)
अनुकर्णीय अभ्यास का आयोजन	<ul style="list-style-type: none"> जागरूकता पैदा करना प्रशिक्षण की तैयारी 	जिला स्तर के अधिकारी

तालिका 1: पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. का समन्वय प्रक्रिया

1.3 तत्काल पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. का समन्वय प्रक्रिया (पूर्व चेतावनी प्रणाली के पश्चात तत्काल प्रक्रिया)

तैयारी	उद्देश्य	द्वारा शुरू किये गए कार्य
सूचना का संग्रह	आई.एम.डी./एसआरसी नियंत्रण कक्ष/ डी.ई.ओ.सी. से	डीईओसी
सूचना प्रसार	डीईओसी से सभी लाइन विभाग	डी.ई.ओ.सी., लाइन विभाग के प्रमुख, उप जिलाधिकारी, जनसम्पर्क. विभाग
तत्काल स्थापित करने और नियंत्रण कक्ष बचाव और निकासी के कामकाज	निकास आश्रयों की पहचान रसद आपूर्ति	नागरिक रक्षा इकाई, पुलिस विभाग सशस्त्र बलों, अग्निशमन अधिकारी, फायर ऑफिस, रेड-क्रॉस टीम बचाव किट के साथ तैयार है जो उन्हें डी.ई.ओ.सी. के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है
मुफ्त रसोईघर की व्यवस्था	बचाए गए लोगों को तत्काल भोजन देने का प्रावधान	बीडीओ/सी.डी.पी.ओ./गैर सरकारी संगठन
स्वच्छता और दवाएं	महामारी और संक्रमण की रोकथाम	पी.एच.ई. के मुख्य कार्यपालन अभियंता तथा सिविल सर्जन

प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री की ढुलाई सुनिश्चित करना	प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री की समय पर पहुंच सुनिश्चित करना	डी.एस.ओ./ एस.डी.एम./आर.टी.ओ.
जीवन और सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करना	असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम	डीएसपी/ इंस्पेक्टर/ प्रभावित ब्लॉक के एसआई, गैर सरकारी संगठन
सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना	महामारी की स्थापना की जाँच करना	मुख्य कार्यपालन अभियंता, पी.एच.ई. सी.एम.एच.ओ.
स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर 24 घंटे में क्षेत्र स्तर के अधिकारियों की बैठक	बेहतर समन्वय	डीएम, जिला स्तर पर डीसी, उप प्रभागीय स्तर पर एसडीएम
ईओसी के मुख्य समूह द्वारा सूचना का संग्रह और संबंधित अधिकारियों की दैनिक रिपोर्टिंग करना	क्षेत्र, जिला और राज्य नियंत्रण कक्ष के बीच त्रिकोणीय सम्बन्ध	ईओसी के कोर समूह/ लाइन विभागों के अधिकारी
वाहनों की अनुमानित संख्या— हल्के/ मध्यम/ भारी	राहत कार्यों के लिए सुगम परिवहन सुनिश्चित करना	डी.टी.ओ .
सड़क क्लीनर/ और अन्य आवश्यक उपकरण की व्यवस्था करना	<ul style="list-style-type: none"> • सड़कों की सफाई • गिरे हुए पेड़ों को हटाना • मलबे आदि को साफ करना 	डी.टी.ओ. कार्यपालन अभियंता कार्यपालन अभियंता—नगर पंचायत
जनरेटर से भरे हुए ट्रकों की व्यवस्था करना	आपदा खत्म हो जाने के तुरंत बाद क्षेत्र में जाना	डी.टी.ओ.

तालिका 2: तत्काल पूर्व आपदा जस्थनत में डीडीएम के समन्वय तंत्र (प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त होने के तुरंत बाद)

1.4 आपदा के दौरान डीडीएमए का समन्वय तंत्र (राहत वितरण प्रणाली) –

तैयारी	उद्देश्य	द्वारा शुरू किये गए कार्य
आपदा के तुरंत बाद कार्यवाही के लिए तैयार हो जाना	फंसे और घायल व्यक्तियों को बचाने के लिए	सभी लाइन विभाग और हितधारक
नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यात्मक	आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए	जिला नियंत्रण कक्ष, सभी लाइन विभाग, सी.ई.ओ.
प्रावधानों के अनुसार राहत का वितरण	जीवित रहने के लिए भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना	एस.डी.एम., सी.ई.ओ., गैर सरकारी संगठन

तालिका 3: आपदा के दौरान डीडीएमए का समन्वय तंत्र (राहत वितरण प्रणाली)

1.5 आपदा के बाद की स्थिति में डीडीएमए का समन्वय तंत्र –

तैयारी	उद्देश्य	द्वारा शुरू किये गए कार्य
सावधानों के अनुसार राहत वितरित करना	जीवित रहने के लिए भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना	एस.डी.एम., बी.डी.ओ., सी.ई.ओ., गैर सरकारी संगठन
क्षति का आकलन	सरकार को वास्तविक क्षति रिपोर्ट करना	सभी लाइन विभाग, सी.ओ., कार्यपालन अभियंता, उप कलेक्टर
बाह्य एजेंसियों द्वारा राहत कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन	राहत प्रशासन की निरंतरता को बनाए रखना	डी.एम., एस.डी.एम.
सड़क और रेलवे नेटवर्क की पुनर्स्थापना	समय पर और शीघ्र वितरण राहत वस्तुओं का परिवहन, बचाव दल की तैनाती	संबंधित विभागों के कार्यपालन अभियंता, सैन्य और अर्द्धसैनिक बल, पुलिस
इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली को बहाल करना	उचित समन्वय सम्बन्ध सुनिश्चित करना	बीएसएनएल, पुलिस संकेतों के विशेषज्ञ
प्रभावित लोगों के लिए मुफ्त रसोईघर की तत्काल व्यवस्था	भुखमरी से बचना	उप कलेक्टर, बी.डी.ओ, लाइन विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के

		उपक्रम
संपूर्ण घटना का लिखित, ऑडियो, विडियो	रिपोर्टिंग प्रयोजनों और संस्थागत मेमोरी के लिए	एस.डी.एम., सी.ई.ओ.
निगरानी	राहत कार्यों की समीक्षा करने और बाधाओं को दूर करने के लिए	डी.एम., डी.सी., एस.डी.एम.

तालिका 4: आपदा के बाद की स्थिति में डीडीएमए का समन्वय तंत्र

1.6 सामान्य तैयारी चेकलिस्ट –

- कलेक्टर (डीडीएमए के अध्यक्ष) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक लाइन विभाग द्वारा तैयार जांच सूची का पालन किया जाए और मासिक बैठकों में इसकी स्थिति की चर्चा की जावे।
- प्रत्येक लाइन विभाग के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि विभाग द्वारा तैयार चेकलिस्ट के अनुसार विधिवत किसी भी आपातकालीन/आपदा की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं।
- प्रत्येक लाइन विभागों के नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला आपदा प्रबंधन संसाधन सूची तिमाही आधार पर बनाए व अद्यतन किया जाए और इसे जिला राजस्व अधिकारी को जमा कर दिया जाए।
 - अपने विभाग के मानव संसाधनों में उनके अपडेट किए गए संपर्क नंबरों के साथ कोई भी परिवर्तन जोड़ना, यदि कोई हो।
 - प्रतिक्रिया गतिविधियों के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्रों से उपकरण सूची तथा सम्बंधित संसाधनों को जोड़ना।
- जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि जिला सूचना अधिकारी (डीआईओ) की सहायता से तिमाही आधार पर जिला प्रशासन और भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) की वेबसाइट पर इसे अपडेट और अपलोड किया गया है।
- प्रत्येक लाइन विभागों के नोडल अधिकारी आपदा प्रबंधन गतिविधि के लिए संसाधन/उपकरण की मांग के बारे में जो कि सरकारी और निजी क्षेत्र के पास उपलब्ध न हो, सीधे कलेक्टर को रिपोर्ट करेंगे।
- डीएमए निम्नलिखित सुविधाओं के साथ आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना सुनिश्चित करेगा
 - योजना और रसद अनुभाग प्रमुख और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त जगह

- लैंडलाइन टेलीफोन, मोबाइल फोन, सैटेलाइट फोन, वॉकी-टॉकी, हैम रेडियो, प्रिंटर सुविधा के साथ कंप्यूटर/ लैपटॉप, ईमेल सुविधा, फ़ैक्स मशीन, टेलीविजन इत्यादि सहित पर्याप्त संचार उपकरणों के साथ नियंत्रण कक्ष के लिए पर्याप्त जगह।
- एलसीडी, कंप्यूटर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के साथ बैठक, सम्मेलन, मीडिया ब्रीफिंग के लिए उचित जगह सुनिश्चित करें।
- जिला आपदा प्रबंधन संसाधन सूची और पड़ोसी जिलों (दुर्ग, धमतरी, बालोदा बाजार, महासमुंद, बेमेतरा, गरियाबंद) का एक नोट, राज्य की आपदा प्रबंधन संसाधन सूची की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
- जिला आपदा प्रबंधन योजना की उपलब्धता।

1.7 विभिन्न लाइन विभागों के लिए तैयार चेकलिस्ट (एस.ओ.पी.) –

विभागवार तैयार चेकलिस्ट

विभाग	तैयार चेकलिस्ट
डी.डी.एम.ए.	<ul style="list-style-type: none"> • सभी तहसीलों में वर्षा मापी यंत्र की नियमित निगरानी और वर्षा में वितरण और विविधता के लिए डेटाबेस अद्यतन करना। • हर साल 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण आदेश तैयार करना और तहसीलदार, सरपंच, पटवारी आदि के माध्यम से गांव के स्तर पर प्रारंभिक चेतावनी के लिए उचित तंत्र सुनिश्चित करना। • पूरी तरह से कार्यात्मक संसाधनों और बचाव उपकरणों की उपलब्धता के साथ डीईओसी के उचित कार्य पद्धति सुनिश्चित करें। • महत्वपूर्ण और जीवन रक्षा बुनियादी ढांचे के डेटाबेस की तैयारी, निकासी के लिए सुरक्षित स्थान और सालाना जिले में राहत शिविरों की अद्यतन सूची। • नुकसान के लिए विभिन्न आवश्यक क्षेत्रों से सक्षम व्यक्तियों/विशेषज्ञों की पहचान करें और आपदा के पश्चात की जरूरतों का मूल्यांकन करें। • जिले में स्वैच्छिक संगठनों के साथ समन्वय रखें और पीड़ितों या मृतकों के परिवारों को मुआवजे के वितरण के लिए उचित तंत्र तैयार करें।
कृषि	<ul style="list-style-type: none"> • कृषि आकस्मिक योजनाओं की तैयारी और कीट उपद्रव, सूखा, बाढ़ और अन्य खतरों से ग्रस्त कमजोर क्षेत्रों की पहचान। • जिला स्तर पर एक मौसम/सूखा निगरानी समिति का गठन (सूखे प्रबंधन के

	<p>लिए "मॉडल मैनुअल", भारत सरकार के अनुसार) कृषि इनपुट, क्रेडिट विस्तार इत्यादि से, संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ गठित करना।</p> <ul style="list-style-type: none"> • किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि उनके द्वारा नए कृषि प्रथाओं, वैकल्पिक फसल प्रथाओं, बीजों का उचित भंडारण और आधुनिक तकनीकों को अपनाया जा सके। • खतरे के लिए कमजोर क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से टूटे/गैर-कार्यशील गैजेट/ उपकरण और अन्य कृषि इनपुट के तत्काल प्रतिस्थापन के लिए बीजों के पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करें। • मिट्टी, फसल, वृक्षारोपण, जल निकासी, तटबंध, अन्य जल निकायों और भंडारण सुविधाओं के कारण होने वाली क्षति जो कृषि गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है, के आकलन करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जीत टीम तैयार करें। • किसानों को फसल बीमा, मुआवजों, कृषि उपकरणों की मरम्मत और जल्द से जल्द कृषि गतिविधियों को बहाल करने के बारे में समय-समय पर जानकारी प्रदान करने में सहायता करें। • फीड और चारा के स्रोतों की पहचान करें।
<p>पशुपालन</p>	<ul style="list-style-type: none"> • बीमार और स्वस्थ जानवरों को अलग करना और संक्रामक बीमारियों से पीड़ित जानवरों को खिलाने और पानी के लिए व्यवस्था करना। उपरोक्त समस्याओं के लिए किसानों/मालिकों को संवेदनशील बनायें। • जगह पर उचित कीटाणुशोधन सुनिश्चित करें, संक्रामक बीमारियों से बीमार/ संक्रमित और मृत जानवरों के लिए वाहन और जनशक्ति को शामिल करें और निपटान में पूरी तरह कार्यात्मक पशु चिकित्सा इकाई को सक्रिय करें। • जानवरों की देखभाल के लिए काम कर रहे पशु चिकित्सा अस्पतालों/क्लीनिकों और एजेंसियों का डेटाबेस तैयार करें, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जा सके। • पहले ही फीड बैंकों को भरने के साथ-साथ मिनरल्स और खाद्य, जीवनरक्षक दवाओं, इलेक्ट्रोलाइट्स, टीकों आदि के स्टॉक की उपलब्धता की जांच करें। • मॉनसून की शुरुआत से पहले किसानों को पशुओं के चारा की सुरक्षा के बारे में संवेदनशील बनाना। • सूखे की स्थिति के लिए कुक्कुट पक्षियों की फीड तैयार करें और मॉनसून के दौरान जलमग्न की स्थिति में फीड और चारा बैंकों का पता लगाएं। • चारा की खरीद के लिए स्रोत की पहचान करें और जिले के भीतर चारा डिपो

	<p>और मवेशी शिविरों के लिए सुरक्षित स्थान और पीने एवं बढ़ने वाले चारे के लिए पानी का स्रोत प्रदान करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> • गर्मी और शीत लहरों के दौरान शेड को कवर करने के लिए तिरपाल शीट का उपयोग करें। • उत्पादक और स्तनपान करने वाले जानवरों की विशेष देखभाल करना, अतिरिक्त चारा और अन्य आवश्यकताओं के साथ। • मवेशी, भेड़, बकरियों, और सूअरों के लिए डी-वर्मिंग और टीकाकरण के उचित प्रशासन सुनिश्चित करें और रोग प्रबंधन के लिए अन्य उचित उपाय करें। • मृत जानवरों के दफन के लिए जगह की पहचान करें और शव का उचित निपटान सुनिश्चित करें।
शिक्षा	<ul style="list-style-type: none"> • छात्रों, शिक्षकों, प्रशासनिक कर्मचारियों और अन्य सहायकों के लिए स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करें। आपात स्थिति में विभिन्न खतरों और सुरक्षित निकासी के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन कार्यक्रमों को केंद्रित करें। • नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा के अनुसार स्वच्छता बढ़ाने वाली गतिविधियों का संचालन करें। • प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में आपदा प्रबंधन और प्राथमिक चिकित्सा किट की तैयारी। • आपात स्थिति के मामले में राहत आश्रय के रूप में कार्य करने वाली स्कूलों और कॉलेजों की पहचान करना।
सी.एस.ई.बी.	<ul style="list-style-type: none"> • जिले में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का डेटाबेस तैयार करें और उन्हें निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए तैयार करें। • प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर बिजली आपूर्ति के लिए और तत्काल प्रतिस्थापन/बिजली आपूर्ति प्रणाली के लिए प्रावधान करें। • बाढ़ के पानी निकास और रोशनी के उद्देश्य से प्रभावित क्षेत्रों में शॉर्ट नोटिस पर विद्युत कनेक्शन और सिस्टम प्रदान करना। • जब भी आवश्यक हो तत्काल कार्रवाई के लिए ट्रांसफॉर्मर, खम्बों, कंडक्टर, केबल्स, इंसुलेटर इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों के पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
अग्नि सेवाएं	<ul style="list-style-type: none"> • अग्निशमन उपकरण, और श्वसन उपकरण की कार्यात्मकता तथा उपलब्धता

	<p>सुनिश्चित करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● स्कूलों, अस्पतालों, अपार्टमेंट, मनोरंजन क्षेत्रों, मॉल, सिनेमाघरों जैसी सभी महत्वपूर्ण इमारतों में चमकते संकेत के साथ स्पष्ट और उचित स्केच किए गए मानचित्रों और चिन्हित निकासी मार्गों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, निकासी योजनाओं आदि के अनुसार नियमित निकासी अभ्यासों (evacuation plan) की व्यवस्था करें। ● निजी एजेंसियों और अग्नि तमन स्टेशन के साथ प्रदान की गई मौजूदा अग्निशामक सेवाओं और सुविधाओं का डेटाबेस बनाएं
<p>खाद्य सामग्री</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● जिले में गोदामों और शीत भंडारण सुविधाओं का डेटाबेस तैयार करें और जलरोधक, आग और अन्य संभावित खतरों के खिलाफ उठाए गए सुरक्षा उपाय तैयार करें। ● कमी या आपातकालीन अवधि के संदर्भ में गोदामों में पर्याप्त अनाज भंडारण की उपलब्धता सुनिश्चित करें और गैस सिलेंडरों, केरोसिन के पर्याप्त स्टॉक की जांच भी करें। ● यदि आवश्यक हो तो अनाज के लिए पूर्व-निर्धारित सुरक्षित स्थान तैयार रखें। ● केरोसिन डिपो, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों आदि का डेटाबेस तैयार करें। ● निजी रीटेलर्स, खाद्य वस्तुओं के थोक व्यापारी, खानपान सेवा के प्रदाता और खराब होने वाले खाद्य वस्तुओं के लिए रेफ्रिजरेटेड वाहनों के प्रदाता का डेटाबेस बनाए रखें। ● टेंट, टैरपोलिन चादरें, खम्बों, खाना पकाने के बर्तन, पॉलिथिन बैग, कफन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के निजी प्रदाताओं का डेटाबेस तैयार करें जिनका उपयोग समुदाय रसोई और श्मशान व दफन के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
<p>वन विभाग</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● अग्नि बचाव उपकरण और वाहनों की उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करें। ● प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में होने वाली अपराधिक घटनाओं का निरीक्षण करें। ● जंगल में लगने वाली आग के सम्बन्ध में जानवरों के लिए एक निकासी योजना तैयार करें। ● आरा मशीन धारकों और बढ़ई का डेटाबेस बनाए रखें। ● जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए टीम तैयार करें ताकि उन्हें रहने वाले क्षेत्रों, राहत शिविरों आदि में प्रवेश करने से रोका जा सके।

<p>आर.टी.ओ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● आग बुझाने वाले यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा किट इत्यादि सहित वाहन और उपकरण की उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करें। ● उपकरण और वाहनों की त्वरित मरम्मत के लिए यांत्रिक टीम (Mechanical Team) तैयार करें, प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी जीवन बचत तकनीकों के लिए प्रशिक्षित ड्राइवरों और कंडक्टर की उपलब्धता की जांच करें। ● बचाव कार्यों के लिए वाहनों की पहचान करें और बड़े पैमाने पर निकासी, प्रतिक्रिया टीमों के परिवहन, राहत वस्तुओं, पीड़ितों आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए वाहनों की त्वरित तैनाती के लिए तैयार करें। ● संभावित खतरनाक मार्गों से ड्राइवरों को परिचित करना और घटना यातायात योजना का पालन करना। ● स्कूलों, कॉलेजों और अन्य निजी एजेंसियों के साथ उपलब्ध निजी वाहनों का डेटाबेस बनाएं, ताकि यदि आवश्यक हो, तो इसका उपयोग निकासी के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
<p>स्वास्थ्य</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● आपातकालीन साइटों पर प्रशिक्षित मेडिकल टीमों और स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवश्यक सामग्रियों को तैयार रखने के लिए पैरामेडिक्स की एक टीम तैयार करें। ● सामान्य रूप से स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए और विशेष रूप से आपदा की स्थितियों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं की योजना विकसित करें। ● स्वच्छता को बढ़ावा प्रदान करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए सीएचसी/पीएचसी और पंचायतों की मदद से जागरूकता शिविर आयोजित करें। ● दवाइयों के भंडारण के लिए पर्याप्त जगह, दवाइयों के स्टॉक की उपलब्धता, जीवन रक्षा उपकरण और पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, ट्रायेज टैग इत्यादि सहित पोर्टेबल आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करें। ● इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों के साथ पंजीकृत डॉक्टरों का डेटाबेस तैयार करें जो सेवाओं और सुविधाओं के साथ उपलब्ध हों तथा इसे सालाना अपडेट करें। ● सरकार, निजी एजेंसियों और जिला रोटरी/लायंस क्लब से उपलब्ध एम्बुलेंस सेवाओं का डेटाबेस तैयार करें, यदि कोई हो, । ● जिले में रक्त दाताओं का डेटाबेस बनाए रखें और डीडीएमआरआई में इसे अपडेट करें और रक्त इकाइयों की पर्याप्त आपूर्ति की उपलब्धता की जांच करें।

	<ul style="list-style-type: none"> ● चालक और एम्बुलेंस परिचारिकाओं और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों को प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी जीवन बचत तकनीकों में प्रशिक्षित करें। ● प्रभावित क्षेत्र के पास अस्थायी अस्पतालों, मोबाइल सर्जिकल इकाइयों आदि की त्वरित स्थापना के लिए तैयारी रखें। ● चिकित्सा अपशिष्ट निपटान के लिए उचित और सुरक्षित तंत्र सुनिश्चित करें। ● बड़े पैमाने पर दुर्घटना प्रबंधन के लिए उचित व्यवस्था और अस्पताल का विवरण रखें।
सिंचाई	<ul style="list-style-type: none"> ● बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर सतही जल निकायों के जल स्तर की निगरानी के लिए उचित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली सुनिश्चित करें। ● झीलों और जलाशयों आदि के नियामक(regulator), तटबंध, इनलेट और आउटलेट (निकासी) की स्थितियों का निरीक्षण। ● नदियों और नहरों पर डी-सिलिंग और ड्रेजिंग और चैनलों की तत्काल मरम्मत। ● डिवाटरिंग पंप समेत सभी उपकरणों की उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करें। ● प्रभावित पशुधन और कुक्कुट के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करें।
नगर पालिका	<ul style="list-style-type: none"> ● क्षेत्र में बाढ़ के पश्चात की स्थितियों को देखते हुए स्वच्छता संचालन तैयार करें। ● मानसून के मौसम से पहले नालियों की सफाई सुनिश्चित करें। ● उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा आश्रय और राहत शिविरों, खाद्य केंद्रों और प्रभावित क्षेत्र में अपशिष्ट का निपटान करने के लिए योजना तैयार करें। ● ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता की जांच करें। ● आपातकाल के दौरान नियंत्रण कक्ष, चिकित्सा या आश्रय के लिए विभिन्न स्थानों पर भवन/गोस्ट हाउस प्रदान करने की योजना बनायें।
पुलिस	<ul style="list-style-type: none"> ● पुलिस स्टेशनों और पुलिस द्वारा विभिन्न खतरों की प्रारंभिक चेतावनी के लिए एक तंत्र (mechanism) विकसित करना। ● पर्यटक स्थानों, वार्षिक प्रदर्शनी और कुंभ मेला पर गार्ड की उपलब्धता की जांच करें जहां स्टैम्पेड/भगदड की संभावना हो। ● विभाग में मौजूदा वायरलेस सिस्टम में किसी भी नुकसान के स्थिति में जिला और तहसीलों के बीच अस्थायी वायरलेस सिस्टम की स्थापना। ● शॉर्ट नोटिस पर आवश्यक साइट पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के लिए पुलिस

	<p>के संचार शाखा को प्रशिक्षित करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● दंगों, भगदड़, आपात स्थिति, अन्य कानून और व्यवस्था के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार करें। ● प्रभावित समुदाय की संपत्ति की सुरक्षा के लिए गृह रक्षक और अन्य स्वयंसेवकों की तैनाती योजना तैयार करें। ● मृत शरीर और प्रभावित साइटों से बरामद सामान और संपत्ति की हिरासत के लिए उचित व्यवस्था के लिए तैयार करें। ● पुलिस और पीसीआर वैन के कर्मचारियों को बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखना चाहिए और उपलब्ध उपकरणों की उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना चाहिए। ● प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी जीवन बचत तकनीकों में पीसीआर वैन के पुलिस कर्मियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें। ● मृत शरीरों के चोरी और झूठे दावों से बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करें। ● आपातकालीन/प्रभावित क्षेत्रों, पारगमन शिविर, राहत शिविर, अस्पताल, चिकित्सा केंद्र, मवेशी शिविर और भोजन केंद्रों में बचाव और सुरक्षा की व्यवस्था करें। ● पुलिस नियंत्रण कक्ष में पुलिस, बीडीएस और कुत्ते दस्ते के आरक्षित बटालियनों के टेलीफोन नंबर और डेटाबेस रखें। ● खोज और बचाव, प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशामक आदि में प्रशिक्षित टीम तैयार करें। ● स्वयंसेवकों और उपकरणों का डेटाबेस बनाए रखें और डीडीएमआरआई और पुलिस स्टेशन के विवरण अपडेट करें।
<p>पी. सी.बी.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● जिलों में खतरनाक रसायनों और प्रदूषकों का डेटाबेस तैयार करें और पर्यावरण पर उनके संभावित प्रतिकूल प्रभाव तैयार करें। ● इसके विघटन के तरीकों और तकनीकों को अपनायें।
<p>पी.एच.ई.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● सभी उपलब्ध उपकरणों और वाहनों की उपलब्धता और कार्यप्रणाली की जांच करें। ● प्रभावित क्षेत्रों में समुदाय के लिए सुरक्षित पेयजल आपूर्ति, जल शुद्ध करने वाली गोलियां, ब्लीचिंग पाउडर और सार्वजनिक जल संसाधनों के क्लोरिनेशन की

	<p>व्यवस्था करें, और राहत शिविरों और आश्रयों और पीने वाले पानी के आपूर्तिकर्ताओं और वितरकों के डेटाबेस भी तैयार रखें।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● पीने योग्य पानी, सीवरेज सिस्टम और पेयजल आपूर्ति वाली पाइपलाइनों की तत्काल मरम्मत के लिए तैयार करें। ● पानी पंप चलाने के लिए जेनरेटर की व्यवस्था करें। ● मानसून से पहले बाढ़ की अवधि के दौरान पशुओं को भूमिगत पानी प्रदान करने के लिए आवश्यक होने पर, ट्यूबवेल की स्थापना सुनिश्चित करें। ● पानी की टैंकरों, ड्रम की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता सुनिश्चित करें या अपने निजी आपूर्तिकर्ताओं को पानी की आपूर्ति, कमी अवधि और आपातकाल के लिए तैयार रखें। ● अस्पतालों, फायर टेंडर और अन्य आवश्यक जीवन रक्षा बुनियादी ढांचे के लिए पानी की आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करें। ● प्रभावित क्षेत्र और राहत शिविरों में अस्थायी शौचालय के त्वरित प्रावधान तैयार करें। ● सिंचाई विभाग के समन्वय में जिले में तालाबों, झीलों की बहाली सुनिश्चित करें।
<p>जनसंपर्क</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● समुदाय में जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री का वितरण सुनिश्चित करना। ● अफवाह नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उचित जन संपर्क प्रणाली तैयार करें। ● समय-समय पर जनता को जानकारी जारी करने के लिए मीडिया का प्रबंध करना, आपातकालीन संपर्क विभाग/कर्मियों का डेटाबेस तैयार रखें। ● जिले में सभी संभावित खतरों के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं का डेटाबेस बना कर रखें। ● पुस्तकों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म शो, समाचार पत्र, वृत्तचित्र फिल्मों, मीटिंग इत्यादि के माध्यम से जानकारी को प्रचारित करें।
<p>पी.डब्लू.डी.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● क्रेन, जेसीबी जैसे भारी उपकरणों की उपलब्धता और कार्यप्रणाली का डेटा बेस तैयार करें । ● मलबे की निकासी, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, पुल, पुलिया और फ्लाइओवर की मरम्मत सुनिश्चित करें ● प्रभावित क्षेत्र से यातायात को हटाने के लिए नई अस्थायी सड़कों का निर्माण,

	<p>शॉर्ट नोटिस पर चिकित्सक, अस्थायी आश्रय आदि जैसी अस्थायी सुविधाएं जैसी योजनायें तैयार रखें।</p> <ul style="list-style-type: none">● वीआईपी यात्राओं के लिए प्रभावित साइट के पास हेलीपैड की तत्काल स्थापना। आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त सरकारी भवनों की बहाली सुनिश्चित करें।
--	--

तालिका 5: विभिन्न लाइन विभागों के लिए चेकलिस्ट (एस.ओ.पी.)

2. रोकथाम और न्यूनीकरण के उपाय –

आपदा के जोखिम को कम करने में रोकथाम और शमन उपाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुनियादी ढांचे और सेवाओं में किए गए उपाय संरचनात्मक उपायों के प्रमुख, जबकि सूचनात्मक और नीतिगत तरीके से किए गए उपाय गैर-संरचनात्मक उपायों के प्रमुख के तहत आते हैं। संरचनात्मक शमन उपाय भौतिक कमजोरियों और गैर-संरचनात्मक शमन उपाय सामाजिक कमजोरियों के अंतर्गत आते हैं। विकास योजनाएं और आपदा निवारण उपाय दोनों निश्चित रूप से कमजोरियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम करने के लिए काम करती हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इसलिए मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे विकास योजनाओं का इस्तेमाल विभिन्न निवारण उपायों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है। विकास योजनाओं के साथ शमन उपायों का विलय करने से इसका अधिकतम लाभ हो सकता है। निम्न कुछ उपाय हैं :-

- क्षमता निर्माण
- लघु अवधि के साथ ही लंबी अवधि की सतत विकास योजना बनाना
- तैयारियों को बढ़ाना
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण

2.1 खतरे के आधार पर संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक निवारण उपाय –

संरचनात्मक निवारण

संरचनात्मक निवारण में भूकंप के नुकसान को कम करने या इसे खत्म करने के लिए इमारत के संरचनात्मक तत्वों को भूकंपरोधी बनाया जाता है। एक इमारत के संरचनात्मक तत्व ढांचे के रूप में कार्य करते हैं जो शेष भवन को सहारा देते हैं। इसमें नींव, भार सहने वाली दीवारें, खंभे (बीम), कॉलम, मंजिल प्रणाली (फ्लोर सिस्टम), छत प्रणाली (रूफ सिस्टम) के साथ-साथ इन तत्वों के बीच के संबंध शामिल हैं। इनमें से एक या एक से अधिक संरचनात्मक तत्वों की विफलता पूरी इमारत के विद्वंश का कारण बन सकती है। गैर-निर्माण संरचनाओं जैसे पुल, बांध, और उपयोगिता प्रणाली तत्वों के लिए संरचनात्मक निवारण उपायों को भी लागू किया जा सकता है।

गैर- संरचनात्मक निवारण

गैर-संरचनात्मक निवारण में एक इमारत के गैर-संरचनात्मक तत्वों का पुनः संयोजन किया जाता है। एक इमारत के गैर-संरचनात्मक तत्व वो होते हैं जो अप्रभावी होने पर उस इमारत को गिरने नहीं देते। इसमें बाहरी व आंतरिक तत्व, विद्युत, यांत्रिक और पाइपलाइन प्रणाली का निर्माण शामिल हैं।

2.1.1 खतरा : बाढ़

संरचनात्मक निवारण उपाय –

संभावित शमन उपाय	कार्यान्वयन विभागों	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
जल विलवणीकरण और जल प्रणाली का गहरीकरण	सिंचाई और ग्रामीण विकास	विभागीय कार्यक्रम और मनरेगा	नियमित
तटबंधों का निर्माण/ सुरक्षा दीवार	ग्रामीण विकास वन विभाग	विभागीय कार्यक्रम, मनरेगा जलविभाजन, समन्वित तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम	0 से 5 साल
विभागीय कार्यक्रम एवं मनरेगा, वाटरशेड, समन्वित तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम	ग्रामीण विकास	विभागीय कार्यक्रम, मनरेगा	नियमित
बाढ़ के चैनल, नहरों, प्राकृतिक जल निकासी, तूफान के पानी की लाइनों की मरम्मत और रखरखाव	सिंचाई विभाग	विभागीय या विशेष योजना	0-1 साल
सुरक्षित आश्रयों का निर्माण (नया निर्माण विभिन्न आवास योजनाओं के माध्यम से)	जिला पंचायत		नियमित
संरक्षण दीवार और बांस व अतिक्रमण तथा भूमि के क्षरण से बचाव हेतु नदी के स्तर पर वनस्पति घेराव	वन और ग्रामीण विकास, कृषि विभाग	विभागीय योजनाएं, मनरेगा	0-6 महीने
नदी और तालाबों जैसे जल निकायों का अवमूल्यन करना	सिंचाई और ग्रामीण विकास	मनरेगा, भूमि विकास	नियमित

तालिका 6: बाढ़ खतरा के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय

बाढ़ के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय –

संभावित शमन उपाय	कार्यान्वयन विभागा	योजना / कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
मौजूदा और प्रस्तावित सुरक्षा लेखापरीक्षा के सुरक्षा ऑडिट	शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पी.डब्ल्यू.डी., ग्रामीण विकास	प्रधान मंत्री आवास योजना अन्य आवास योजनाएं	नियमित
बांस, बेड़े जैसे पारंपरिक, स्थानीय और अभिनव प्रथाओं का प्रचार	डी.डी.एम.ए., जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पंचायत, मनोरंजनात्मक रिक्त स्थान, स्व-सहायता समूह, युवा समूह, सामाजिक कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन	आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण योजना सभी स्तर पर	नियमित
स्वयंसेवकों और तकनीशियनों की क्षमता निर्माण	डी.डी.एम.ए.	आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण योजना सभी स्तर पर	नियमित
पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जागरूकता पैदा करना	पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रामीण विकास	विभागीय योजना	नियमित

तालिका 7: बाढ़ खतरा के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय

2.1.2 खतरा: सूखा

सूखा के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय –

संभावित शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
आम संपत्ति, बीज के खेतों और चारा भूमि में चरागाह का विकास	डी.डी.एम.ए., जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, ग्रामीणविकास पंचायत	विभागीय योजना, मनरेगा	0-3 साल
वर्षा जल संचयन भंडारण स्तर और सार्वजनिक भवन	डी.डी.एम.ए., जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, युवा समूह, सामाजिक कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन	मनरेगा	0-3 साल
जल संचयन और रिचार्जिंग के लिए संरचनाएं जैसे कुआ, तालाब, चेक-डेम, बांध	लोक निर्माण विभाग, डी.डी.सी., ग्रामीण विकास सिंचाई और जल संसाधन विभाग	मनरेगा, वाटरशेड कार्यक्रम, विभागीय योजना	0-3 साल
चारा भूमि का विकास/तटों की मरम्मत और रखरखाव	डी.डी.एम.ए., कृषि विभाग, पशुपालन विभाग	डीडीएमपी विकास योजना	नियमित
मरम्मत और रखरखाव, पानी से नमक निकालना, चेक बांध, हाथ पंप	सिंचाई ग्रामीण विकास, जल संसाधन	मनरेगा , जल संसाधन	0-3 साल

तालिका 8: सूखा खतरा के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय

सूखे के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय –

संभावित शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
सूखा प्रूफिंग/कमी कार्य के लिए काम को सूचीबद्ध करना, जिसमें पानी के निकायों की संभावित साइटों की पहचान शामिल है	ग्रामीण विकास, डी.डी. एम.ए.	मनरेगा	नियमित
सूखा प्रतिरोधी फसलों और पानी का कुशल उपयोग करने के लिए किसान को दिशा-निर्देश	कृषि और बागवानी विभाग	विभागीय योजना	नियमित
प्रारंभिक अनसेट पर विनियमित जल उपयोग (तालाब,छोटे बांध, चेक बांध)के लिए नियंत्रण तंत्र सेट करें।	पंचायत		नियमित

तालिका 9: सूखे के खतरे के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय

2.1.3 जोखिम: सड़क दुर्घटनाएं

सड़क दुर्घटनाओं के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय –

संरचनात्मक शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
भीड़ सड़क पर डिवाइडर का निर्माण	लोक निर्माण विभाग		
चौकों में यातायात संकेतों की व्यवस्था और रखरखाव	पी.डब्ल्यू.डी., पुलिस विभाग		
शहरों से गुजरने वाले राजमार्गों के लिए उपमार्ग सड़क का निर्माण	लोक निर्माण विभाग		
सड़कों, डिवाइडर, सड़क सुरक्षा प्रतीकों और गतिरोधक का रेट्रोफिटिंग और रखरखाव			

तालिका 10: सड़क दुर्घटना के खतरा हेतु संरचनात्मक निवारण उपाय

सड़क दुर्घटनाओं के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय –

गैर- संरचनात्मक शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
राजमार्ग सुरक्षा गश्ती दल की स्थापना	पुलिस विभाग		हर दिन
पूरी तरह से प्रशिक्षित फायर ब्रिगेड कर्मी	सिटी फायर ब्रिगेड ऑफिस		मासिक प्रशिक्षण
सड़क सुरक्षा प्रतीकों और दीवार चित्रों के माध्यम से जागरूकता	यातायात नियंत्रण विभाग, आरटीओ	वाहन बीमा	
राजमार्ग के पास अस्पताल में सुविधाओं का उन्नयन	निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल, जिला स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य बीमा	

तालिका 11: सड़क दुर्घटना खतरा के लिए गैर – संरचनात्मक निवारण उपाय

2.1.4 जोखिम: महामारी

महामारी के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय –

संरचनात्मक शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
निगरानी के लिए निगरानी केन्द्रों की स्थापना	जिला स्वास्थ्य विभाग	जिला विकास योजना	नियमित
आबादी के क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	जिला स्वास्थ्य विभाग	जिला विकास योजना	नियमित
ग्रामीण अस्पतालों का उन्नयन जैसे रक्त बैंक, शल्य चिकित्सा सुविधाएं और पैथोलॉजी इत्यादि	स्वास्थ्य मंत्रालय	जिला विकास योजना	नियमित

तालिका 12: महामारी खतरे के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय

महामारी के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय –

गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय	कार्यान्वयन विभागों	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
संवेदनशील क्षेत्रों के लिए प्रतिक्रिया तैयारी की आकस्मिक योजना	जिला स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज संस्था	जिला विकास योजना	वार्षिक
स्वास्थ्य केंद्रों के मानचित्रण, दवाओं और टीकों की सूची, प्रयोगशाला की स्थापना, डॉक्टरों और कर्मचारियों की संख्या	जिला स्वास्थ्य विभाग	-	नियमित
प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम	शिक्षा विभाग, जिला स्वास्थ्य विभाग	सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	नियमित

तालिका 13: महामारी खतरे के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय

2.1.5 खतरा: आग

आग के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय –

संरचनात्मक शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
अग्निशमन यंत्र, आग बुझाने की मशीन, रेत की बाल्टी की स्थापना	जिला अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग		एक बार
आग/ धुआं अलार्म की स्थापना	जिला अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग		एक बार
दिशा संकेत के अच्छी तरह से आग से बाहर निकलने का प्रावधान	जिला अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग		एक बार
निर्माण में अग्निरोधक सामग्री का प्रयोग	लोक निर्माण विभाग		एक बार

तालिका 14: आग के खतरे के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय

आग के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय –

गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय	कार्यान्वयन विभागों	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
आपात योजना की तैयारी	जिला अग्निशमन विभाग	जिला विकास योजना	वार्षिक
निकासी योजना की तैयारी	जिला अग्निशमन विभाग	जिला विकास योजना	वार्षिक
अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण/शिक्षा	जिला अग्निशमन विभाग	सर्व शिक्षा अभियान	नियमित

तालिका 15: आग के खतरे के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय

2.1.6 जोखिम : लू

लू के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय –

संरचनात्मक शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना / कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
बेघर लोगों के लिए अस्थायी आश्रयों का प्रावधान	जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग		वार्षिक
सूती कपड़े, ट्रम्पोलिन शीट, चिकित्सा, ओआरएस की व्यवस्था	जिला प्रशासन, डीडीएमए, जिला स्वास्थ्य विभाग		वार्षिक

तालिका 16: लू के खतरे के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय

लू के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय –

गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना / कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
लोगों को लू के बारे में चेतावनी देने के लिए चेतावनी तंत्र की व्यवस्था	जिला प्रशासन, डी.डी.एम.ए., जिला मौसम विज्ञान विभाग	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	वार्षिक (वशेष रूप से गर्मियों में)
निवारक उपायों के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम	जिला प्रशासन, डी.डी.एम.ए., जिला स्वास्थ्य विभाग	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	वार्षिक (वशेष रूप से गर्मियों में)

तालिका 17: लू के खतरे के लिये गैर-संरचनात्मक निवारण उपाय

3 आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना –

“आपदा जोखिम का उद्देश्य आगे आने वाले खतरों को रोकना और मौजूद जोखिम को कम करना है। इस प्रकार यह जोखिमों का प्रबंधन करता है जो स्थायी विकास प्राप्ति में सहायक होता है।”

जिले की आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना (डीआरआर) में उन गतिविधियों और उपायों का समावेश है, जो जिले के सहयोग से होती हैं। ये आपदाओं के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनमें जलवायु से जुड़े खतरे भी शामिल होते हैं। यह योजना समुदायों और मुख्य विभागों के साथ किए गए विचार-विमर्श और गांवों के क्षेत्रीय मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, इस योजना में प्रमुख विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की सूची भी है जिसे जिले में डीआरआर और आपदा की बहाली की गतिविधियों के साथ किया जा सकता है। इस प्रकार से डीआरआर योजना एक लंबी अवधि की रणनीति है जो विकास के साथ ही आपदा प्रबंधन को भी जोड़ती है। इसकी प्रभावी योजना के लिए कई हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता होती है।

- स्थिति स्थापक गांव या उबरने में कामयाब गांव
- स्थिति स्थापक आजीविका
- महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाएं
- स्थिति स्थापक मूल सेवाएं
- स्थिति स्थापक शहर या उबरने में सक्षम शहर।

3.1 क्षमता निर्माण –

क्षमता को किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधन व योजना के रूप में समझा जाता है। इसलिए, क्षमता निर्माण/विकास का मतलब उस विधि या माध्यम से होता है जिससे उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। क्षमता निर्माण को उप-उत्पाद प्रभावी शिक्षण और प्रशिक्षण के रूप में भी देखा जा सकता है। सबसे अच्छी क्षमता निर्माण उसे कहा जाता है जिसमें आपदा के दौरान लोग उपलब्ध संसाधनों से अपनी समस्याओं का निपटारा करने में समर्थ होते हैं। समुदायिक स्तर पर आपदा जोखिम में कमी लाने और क्षमता निर्माण के लिए रणनीति बनाना समाज के संवेदनशील वर्गों के आकलन हेतु एक महत्वपूर्ण कदम बन जाता है।

3.2 आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी.आर.आर.) के लिए सुझाव –

- डी.आर.आर. की दिशा में डी.डी.एम.ए. की ओर से किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपायों में से एक जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र (डी.ई.ओ.सी.) की स्थापना और सुदृढ़ता है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में भी उत्कृष्टता की आवश्यकता है।
- आपदा प्रतिक्रिया के लिए हितधारकों की सूची बनाने और दस्तावेज बनाने की आवश्यकता है जो कि जिला प्रशासन के भीतर आसानी से उपलब्ध नहीं है। उचित तैयारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण तत्व है।
- इसलिए, जिला प्रशासन को सभी संपर्क विवरण तैयार करके रखने की आवश्यकता है। इससे आपातकाल के दौरान त्वरित संदर्भ में मदद मिलेगी। उनके बीच समन्वय में सुधार के लिए हितधारकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।
- सभी आपदा प्रतिक्रिया तंत्र और घटना कमांड सिस्टम को स्थापित करके उनके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। आपदा प्रतिक्रिया उपकरणों की निगरानी करते हुए नियमित स्टॉक को बनाए रखा जाना चाहिए। सभी हानि व क्षति आकलन और प्राप्त अनुभवों को नियमित रूप से लेखबद्ध किया जाना चाहिए।
- पंचायत और जिले के स्तर पर कोई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली नहीं है। केवल भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और अन्य केंद्रीय संस्थान/संगठनों में से ज्यादातर चेतावनी देते हैं।
- इस संबंध में, जिला प्रशासन को शीघ्र ही चेतावनी के लिए अपनाई गई व्यवस्था को संशोधित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए ब्लॉक संबंधित खतरों के अनुसार हर संबंधित हिस्सेदार को समयबद्ध तरीके से शामिल और सूचित किया जाए।
- कुशल कर्मचारियों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन के बारे में विभागवार प्रशिक्षण मासिक आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अनुकरणीय अभ्यास और आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास को नियमित आधार पर नियोजित और आयोजित किया जाना चाहिए।
- मरम्मत की आवश्यकता वाली इमारतों जैसे कि विद्यालय, आंगनबाड़ी, पंचायत, सामुदायिक हॉल आदि की पहचान की जानी चाहिए।
- उत्तरदायी और पारदर्शी पंचायती राज संस्थानों और शासन को सतत डी.आर.आर. प्रक्रिया में एकीकृत करना आवश्यक है।
- विभिन्न वर्गों के मुद्दों का निर्णय लेने और उसके क्रियान्वयन में नीतियों से लेकर प्रथाओं के अमलीकरण में समाज या समुदाय के सभी वर्गों को शामिल किया जाना चाहिए।

- प्रत्येक आपदाओं जैसे कि सूखा, बाढ़, आग, दुर्घटना, महामारी, मनुष्य-पशु संघर्षों के लिए नीतियों के रूप में एक स्पष्ट सिद्धांत स्थापित करने की आवश्यकता है जिसमें आपदा प्रबंधन के साथ ही तैयारियों की योजना का विकास और निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस रणनीति भी तैयार की जानी चाहिए।
- जोखिम मूल्यांकन और जोखिम में कमी के उपायों की पहचान नियमित आधार पर की जानी चाहिए, जो किसी भी नीति और योजना के मुख्य घटक हैं।
- नीति तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए कि सूखा और बाढ़ जोखिम कम करने की रणनीतियों को नियमित रूप से लागू किया जाना चाहिए।
- तकनीकी-सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक-पर्यावरण-शासन पहलों को शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से एक नया दृष्टिकोण। स्मार्ट फोन्स के उद्भव और इसके व्यापक उपभोक्ता को देखते हुए एक संसाधन के रूप में इसका अनदेखा नहीं किया जा सकती। इसका कई उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अपडेट्स और बुनियादी कार्यप्रणाली और विभिन्न आपदा की घटनाओं इत्यादि में।
- शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक पूंजी इत्यादि सामाजिक कारक बड़ी मात्रा में इन रणनीतियों की सफलता और विफलता का निर्धारण करेंगे।
- आपदा के बाद आर्थिक असमानता और बाजार में उत्पादों की कमी के कारण लोगों की आजीविका की दृष्टि से इसके सुचारु नियोजन की जरूरत पड़ती है।

डी.आर.आर. हेतु महत्वपूर्ण पहल

प्राथमिकताएं	कार्यक्रम	मुख्य चिंताएँ
नीतियां/ योजनाएं/ कार्यक्रम	ग्राम स्तर – महतारी जतन योजना- गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार, मुख्यमंत्री अमृत योजना-बच्चों के लिए पौष्टिक आहार, छत्तीसगढ़ में कुपोषण का उन्मूलन करने के लिए मुख्यमंत्री अमृत योजना, मुख्य मंत्री खाद और पोषण सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना-स्वास्थ्य सेवा योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, मुख्य मंत्री बांस बाड़ी योजना,	योजनाओं की नियमित निगरानी और मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन

	<p>मुख्य मंत्री आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, वन भूमि अधिकार पट्टा, प्रधानमंत्री तीर्थयात्रा योजना, सूचना क्रांति योजना, मुख्य मंत्री पादुका योजना, जननी सुरक्षा योजना।</p> <p>राज्य स्तर –</p> <p>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में प्रधान मंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, संजीवनी एक्सप्रेस, स्वच्छ भारत मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुख्यमंत्री कन्या-विवाह योजना, सरस्वती सायकिल योजना, मिशन स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, डिजिटल भारत, स्टार्टअप इंडिया।</p>	
संस्थाएं	<p>भारतीय मौसम विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस थाना,</p>	<p>उपलब्ध (नियमित मूल्यांकन और नियोजन की</p>

	सरकारी अस्पताल, ग्राम पंचायत, स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, अग्निशमन केंद्र, कलेक्टरेट ।	आवश्यकता है)
योजनाएं, एस.ओ.पी. और वित्तीय प्रबंधन	क्षेत्र, जिला और राज्य नियंत्रण कक्ष के बीच त्रिकोणीय संबंध के लिए योजना	वार्षिक दर से
बुनियादी ढांचा, सामग्री और उपकरण	स्कूल और आंगनबाड़ी, आपातकालीन और प्राथमिक चिकित्सा साज-सामान, सी.डब्ल्यू.एस.एन. के लिए शौचालय, अनाज भंडारण पेंटी, एल.पी.जी. कनेक्शन, पानी का नल, खेल के मैदान, अग्निशामक, ग्राम पंचायत, बाढ़ बचाव उपकरण, अग्निशमन उपकरण, चेतावनी अलार्म, ग्राम स्तर, बांधों और नदियों पर चेतावनी अलार्म, नदियों पर पुल, खेतों और नदियों तक सड़कें, सामुदायिक हॉल, सुरक्षित आश्रय, जंगलों के इलाकों में बाड़ लगाना, मालगोदाम, पी.एच.सी.,	हर 6 महीने

	दवा की दुकानें।	
क्षमता निर्माण	दरारों की मरम्मत, बोरियों का संग्रहण, अत्यधिक संवेदनशील इलाकों के पास के लोगों को चेतावनी देना, ग्राम पंचायत या गोदाम में अनाज और अन्य आवश्यक चीजों का संग्रहण, ग्राम टैंक, आपातकालीन सुवधाएं 108, 100, 102 महतारी एक्सप्रेस, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	नियमित रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है
सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा	साफ-सफाई एवं स्वच्छता	नियमित
जोखिम का आकलन	मिडिया के साथ स्थानीय स्तर से लेकर जिला स्तर के बीच चेतावनी प्रणाली की स्थापना करना	नियमित
डीआरआर कार्यक्रम और योजनाएं	स्वच्छ भारत अभियान संशोधित प्रावधानों के अनुसार और राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण हताहत होने पर राहत प्रदान करना	नियमित

तालिका 18: डी.आर.आर. हेतु महत्वपूर्ण पहल

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे जिला स्तर के संस्थानों के कामकाज को मजबूत बनाने और जन जागरूकता अभियानों में क्षमता निर्माण की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण में अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

3.3 विकास की राष्ट्रीय प्रमुख योजनाओं में डी-आर-आर- मुख्य धारा में -

क्र.	योजनाओं के नाम	पात्रता	लाभ	डी.आर.आर. एकीकरण
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी	कोई भी व्यस्क जो हाथों से काम करना चाहता है	यह योजना ग्रामीण परिवारों के व्यस्क सदस्यों के लिए रोजगार के लिए कानूनी अधिकार प्रदान	ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी दर में वृद्धि और बुनियादी ढांचा की

	योजनाएं		करती है कम-से-कम एक तिहाई लाभार्थियों को महिलाओं होना चाहिए। मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत राज्य में कृषि श्रमिकों के लिए निर्दिष्ट मजदूरी के हिसाब से भुगतान की जानी चाहिए, जब तक कि केंद्र सरकार मजदूरी दर को सूचित न करे (यह प्रति दिन 60 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए)।	संपत्ति के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
2	प्रधान मंत्री आवास योजना	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग	छत्तीसगढ़ आवास बोर्ड ने प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लिए घरों का निर्माण करेगा	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास प्रदान करना। उन्हें अन्य उत्पादक पूंजी में निवेश करने की अनुमति देना
3	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली असंबद्ध बस्तियां (जनगणना 2001)	ग्रामीण सड़क संपर्क आर्थिक और उत्पादक रोजगार के अवसरों तक पहुंच को बढ़ावा देगा	बेहतर सड़क नेटवर्क से ग्रामीण समुदायों की क्षमता में वृद्धि होगी
4	प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना	बी.पी.एल. परिवार	स्वच्छ और अधिक कुशल रसोई गैस (द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस) को ग्रामीण भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले अशुद्ध खाना पकाने वाले ईंधन से बदलना	स्वच्छ ईंधन, बीपीएल परिवारों को घर के भीतर एक स्वस्थ और धूम्रपान से मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने में मदद करेगा एवं यह लकड़ी के ईंधन लाने के लिए महिलाओं के बोझ को

				कम करेगा
5	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	किसान	पानी की बर्बादी को कम करने, सटीक-सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों को में वृद्धि करने के लिए आश्वस्त सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करें, अधिक पानी की बचत करने वाली तकनीकों को बढ़ावा दें, जलस्रोत का फिर से भरें और सतत जल संरक्षण प्रथाओं को काम में लाएं	बेहतर सिंचाई सुविधा से किसान की उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। सूखा-प्रभावित क्षेत्र पानी की कमी से स्थिति-स्थापक बन जाते हैं
6	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	ग्रामीण आबादी	ग्रामीण विद्युतीकरण: ग्रामीण परिवारों को हर समय बिजली और कृषि उपभोक्ताओं को प्रयाप्त बिजली प्रदान करना	कृषि और गैर-कृषि भक्षकों को अलग करने से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जानकारी को बढ़ावा मिलेगा
7	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	जो व्यक्ति माइक्रो उद्यम शुरू करना चाहते हैं	पुनर्वित्त के रूप में वित्तीय समर्थन सहित विभिन्न समर्थनों को विस्तारित करके यह देश में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र का विकास करेगा	रोजगार सृजन और आर्थिक गतिवधियों में वृद्धि
8	स्वच्छ भारत	सभी लोग	खुले में शौच और मैला ढोने का	स्वच्छता में सुधार,

	मिशन		उन्मूलन	खुले में गंदगी से होने वाले रोगों को सीमित कर देगा
9	प्रधान मंत्री जन धन योजना	सभी लोग	यह विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा जैसे कि मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, अपवर्जित वर्गों की जरूरत, आधारित क्रेडीट, प्रेषण सुविधा, बीमा एवं पेंशन कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह के लिए	अल्पसंख्यक लोगों का वित्तीय समावेशन
10	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	किसान	प्राकृतिक आपदा, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की विफलता की स्थिति में योजना, किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करती है	खेती में लगे रहने के लिए यह किसानों की आय को स्थिर करेगा
11	मेक इन इंडिया	कंपनियां, श्रम बल	राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करके भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करना	आर्थिक पूंजी का निर्माण
12	डिजिटल भारत	सभी लोग	ई-गवर्नेंस पहल, रेलवे कंप्यूटरीकरण, भूमि रिकॉर्ड कंप्यूटरीकरण आदि जैसी प्रमुख परियोजनाएं, जो मुख्य रूप से सूचना प्रणालियों के विकास पर केन्द्रित थी	कृषि, जलवायु स्थितियों और प्रारंभिक चेतावनियों से संबंधित जागरूकता फैलाएं

तालिका 19: विकास राष्ट्रीय प्रमुख योजनाओं में डी.आर.आर. मुख्य धारा में

3.4 विकास की राज्य स्तरीय प्रमुख योजनाओं में डी-आर-आर- मुख्य धारा में -

क्र.	योजनाओं के नाम	पात्रता	लाभ	डी.आर.आर. एकीकरण
1	मुख्यमंत्री बांस बाड़ी योजना	गरीब परिवार के ग्रामीण लोग	गरीब लोगों को मुफ्त में बांटने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बांस पौधे दिए जाएंगे। घर के पिछवाड़े में बड़े स्थान की आवश्यकता हो सकती है। गरीबों की आर्थिक आवश्यकता और भविष्य में पड़ने वाली बांस की मांग को भी पूरा करेंगे	आपातकालीन स्थितियों के समय के दौरान गरीबों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
2	महतारी जतन योजना-गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार	आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाएं	गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार और तैयार खाना उपलब्ध कराएं	आपदाओं के दौरान, पौष्टिक भोजन और प्रोटीन उन कमजोर वर्ग को प्रदान किए जाएं जो असमर्थ हैं।
3	मुख्यमंत्री अमृत योजना-बच्चों के लिए पौष्टिक आहार	आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चे	इसकी योजना आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करने की है।	बच्चों को पौष्टिक और प्रोटीन उपलब्ध कराएं। बाढ़ और सूखे की चपेट में आने से हुए आर्थिक नुकसानों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के परिवारों के लिए पूरक भोजन की व्यवस्था करें।
4	मुख्यमंत्री अमृत योजना-छत्तीससगढ़ में कुपोषण का उन्मूलन करने के	हफ्ते में एक बार 6 से 9 वर्ष के बीच की आयु के बच्चे	कुपोषण को खत्म करने के लिए पौष्टिक दूध को वितरित करने का अभियान चलाया जाना चाहिये।	बच्चों के मृत्यु दर में कमी लाना

	लिए मुख्यमंत्री अमृत योजना			
5	मुख्य मंत्री खाद और पोषण सुरक्षा योजना	सभी राशन कार्ड धारक	नोडल अधिकारी द्वारा दिए गए हलफनामे के बाद राशन कार्ड वाले मौजूदा लाभार्थियों को राशन वितरित किया जाएगा	यह सुनिश्चित करें कि समाज के कमजोर वर्ग के लोग अपनी भूख को मिटाने के लिए पर्याप्त भोजन खरीदने हेतु क्रय शक्ति की कमी के कारण सस्ते दामों पर राशन की दुकानों के माध्यम से कम से कम चावल और गेहूं खरीद सकें व सतत विकास लक्ष्य की आवश्यकता को पूरा करें।
6	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना-स्वास्थ्य सेवा योजना	बच्चे	गंभीर कुपोषण और अन्य संकट से पीड़ित बच्चों को स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा परामर्श सुविधा प्रदान करें	बच्चों की जीवन प्रत्याशा बढ़ाना और मातृ मृत्यु दर से जुड़े कुछ घातक चीजों को कम करना।
7	मुख्य मंत्री आवास योजना	ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. आवेदक	ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करें, ई.डब्ल्यू.एस. और ए.ल.आई.जी. घरों के तहत आवास योजनाएं बनाई जाएंगी।	ऐसे लोगों को आश्रय उपलब्ध कराएं जो घरों का निर्माण नहीं कर सकते। लोगों को सशक्त बनाने में मदद करना।
8	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	ग्रामीण इलाके	ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली आपूर्ति प्रदान करना	सिंचाई सुविधाओं में किसानों की सहायता करें
9	सूचना क्रांति योजना	युवा	राज्य में युवाओं को मुफ्त	जागरूकता से संबंधित

			स्मार्टफोन उपलब्ध कराने बावत् निर्देश जारी किये गए। राज्य सरकार ने युवाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए राज्य में डिजिटलकरण को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की है।	कृषि, वर्षा और प्रारंभिक चेतावनी के प्रचार में सहायता करना।
10	संजीवनी एक्सप्रेस	छत्तीसगढ़ के लोग	संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा	एम्बुलेंस सेवार्ये आपात स्थिति के दौरानद गर्भवती महिलाओं, बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल का एक अविभाज्य हिस्सा है। परिवहन घटक विभिन्न मिलेनियम विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में तेजी लाने के लिए योगदान करने के लिए जाना जाता है, इस लक्ष्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना भी शामिल है।
11	मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना	बेटियां	विवाह समारोहों के आयोजन के खर्चों से गरीब परिवारों को राहत देने, सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करने, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए और विवाह समारोहों पर आवश्यक व्यय से बचने के प्रयत्न शामिल है।	यह योजना उन गरीब किसानों के तनावों को कम कर देती है जो अपनी बेटियों के विवाह के लिए या किसी प्रकार का ऋण लेते हैं और फसलों के खराब होने या सूखे के कारण भुगतान करने में असमर्थ हैं।

12	सरस्वती साइकिल योजना	नौवीं कक्षा की कन्याएं	उन कन्याएं के नामांकन (बीपीएल, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) को सुनिश्चित करना जिन्होंने आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की है। उन्हें कक्षा 12वीं तक पढ़ाई के लिए प्रेरित करना। 12वीं कक्षा तक कन्याओं का नामांकन, उपस्थिति और प्रतिधारण को सुधारने के लिए शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखना। इस बात पर जोर देना कि कन्याएं प्राथमिक शिक्षा के बाद भी अपनी शिक्षा को जारी रखें।	ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को घर में काम करने, पानी लाने या उनके भाई-बहनों की देखभाल करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह योजना शिक्षा जारी रखने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है।
13	सुचिता योजना	सरकारी स्कूल	लड़कियों को अपने व्यक्तिगत और मासिक धर्म की स्वच्छता के बारे में प्रोत्साहित करना, झिझक पर काबू पाने में छात्राओं की मदद करना जैसे बाजारों से सैनिटरी नैपकिन खरीदने के दौरान सामना करती हैं।	स्वच्छता बनाए रखने में मदद करें और लड़कियों को रोगों से बचाएं

तालिका 20: विकास राज्य स्तरीय प्रमुख योजनाओं में डी.आर.आर. मुख्य धारा में

4. जलवायु परिवर्तन क्रियाएं –

जलवायु परिवर्तन ने दुनिया भर की आपदा घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ाई है। परिणामस्वरूप, मानव जीवन, आजीविका, अद्योसंरचना, पर्यावरण के नुकसान के संबंध में बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। इससे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थापना में बाधाएं आयी हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिम मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई देशों के लिए आजीविका के विकल्प, अद्योसंरचना, पारिस्थिति की तंत्र सेवाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता के बारे में एक प्रमुख चिंता बन गई हैं। बाढ़, सूखा, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात और वर्षा से संबंधित खतरों के परिमाण और आवृत्ति में वृद्धि देखी गई है। भारत भी प्राकृतिक और जलवायु से होने वाली तबाही का एक गवाह रहा है। विशिष्ट रूप से भू-जलवायु, सामाजिक आर्थिक स्थितियां और विकास संबंधी संकेतक, देश में होने वाली नाना प्रकार की खतरनाक दुर्घटनाओं जैसे कि सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, जंगल की आग को और भी चिंताजनक बना देते हैं।

असम में बाढ़, चक्रवात, चेन्नई में बाढ़, उत्तराखंड में बादल फटने जैसी कई घटनाएं हुई हैं, जिससे विभिन्न स्तरों पर जलवायु संचालित आपदा घटनाओं, आपदा प्रतिक्रिया, तैयारी और शमन को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। छत्तीसगढ़ के संबंध में, एक अध्ययन मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली द्वारा किया गया था जिसमें कई सूखाग्रस्त जिलों की पहचान की गई है। इसमें बस्तर, बिलासपुर, जांजगीर-चाम्पा, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जशपुर, कांकेर, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, रायगढ़, कोरिया, रायपुर, राजनांदगांव और सरगुजा इत्यादि शामिल हैं।

जलवायु परिवर्तन के लिए क्षेत्र विशेष गतिविधियां

क्षेत्र	अविष्कार प्रकार	क्रियाएँ
कृषि	योजना	<ul style="list-style-type: none"> ● बहु-फसल को अपनाने के लिए संसाधनों को विकसित करने के साथ उसको लागू करना। ● जिला स्तर पर सुरक्षित भंडारण, बागवानी, वन और खाद्य उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा का विकास करना। ● बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता से निपटने के लिए फसलों का विविधीकरण करना। ● छिड़काव और ड्रिप सिंचाई प्रणाली और बेहतर जल निकासी नेटवर्क का प्रयोग करना। ● नदियों के साथ बाढ़ की दीवारों या तटबंधों का निर्माण और सुदृढीकरण

		<ul style="list-style-type: none"> ● प्रत्येक जिले में कृषि और वन आधारित उद्योगों के विकास के लिए संभावित मानचित्र। ● किसानों से लेकर सरकार तक, फसल के नुकसान से होने वाले जोखिमों के लिए बीमा आधारित उपायों का उचित कार्यान्वयन।
	पानी और मिट्टी का संरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> ● पानी और मिट्टी के माध्यम से किए गए नुकसान को कम करने के लिए चरणों का क्रियान्वयन जैसे कि एग्रोफोरस्ट्री, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन, चेक डैम के माध्यम से जल संचयन, मौजूदा तालाबों का नवीनीकरण, क्योंकि कृषि मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर करती है। ● पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली का नवीनीकरण।
	पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली	<ul style="list-style-type: none"> ● उन्नत कृषि प्रणालियों के जरिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और मौसम सेवाओं को मजबूत करना।
	एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> ● संरक्षण कृषि के संवर्धन और एकीकरण के साथ कीटों के एकीकृत पोषण और प्रबंधन पर अनुसंधान और शिक्षा। ● मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर उर्वरकों को लागू करना, जिससे उर्वरक की दक्षता में वृद्धि होने के अलावा भूगर्भ-जल और मिट्टी के प्रदूषण में कमी आए।
आपदा प्रबंधन	अनुसंधान और क्षमता निर्माण	<ul style="list-style-type: none"> ● समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन की गतिविधियां, हर गांव में खोज और बचाव दल की स्थापना। ● बेहतर वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ स्वदेशी तकनीकों का एकीकरण। ● पारंपरिक व्यवहारों को प्रोत्साहन और जोखिम कम करने के लिए स्वदेशी ज्ञान।
	जागरूकता	<ul style="list-style-type: none"> ● स्कूलों और कॉलेजों में अनुकूर्णय अभ्यास और प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण। ● ग्रामीण अधिकारियों को समुदाय के सदस्यों या प्रतिनिधियों के साथ समन्वय में खतरे और जोखिम के मानचित्रण की गतिविधियों में प्रशिक्षण देना। ● विभिन्न सार्वजनिक इमारतों में आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं और

		सुरक्षा निकासी योजनाओं की तैयारी।
	भेद्यता और जोखिम	<ul style="list-style-type: none"> ● शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर ढांचों का आकलन। ● सबसे संवेदनशील समूहों और संरचनाओं के सुरक्षित और बेहतर स्थानों के लिए पुनर्वास।
	जांचना और परखना	<ul style="list-style-type: none"> ● स्वचालित मौसम स्टेशनों और उपग्रह संकेतों की स्थापना के द्वारा विभिन्न जलवायु मापदंडों में विविधताओं का निरीक्षण करना। ● भविष्य की आपदा जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित अधिकारियों के प्रशिक्षण की निगरानी करना। ● इसमें समय-समय पर मूल्यांकन और बहुमूल्य प्रतिक्रिया भी शामिल है। ● आपदा जोखिम में कमी और शमन के संबंध में उनकी प्रगति और कमियां दर्शाते हुए विभिन्न विभागों की नियमित लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना। ● विभिन्न लाइन विभागों की योजनाओं के संबंध में निकट समन्वय और जानकारी साझा करना।
जल संसाधन और स्वच्छता		<ul style="list-style-type: none"> ● कार्यात्मक हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन, मौसम के बदलने और वर्षा पर निगरानी रखने वाले स्टेशनों की नियमित रूप से समीक्षा करना। ● जल संरक्षण और उचित स्वच्छता उपायों की प्रासंगिकता के बारे में जन जागरूकता हेतु विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रमों को विकसित करना। ● विभिन्न विभागों के साथ-साथ विभिन्न पंचायतों और नगर निगम के वार्डों में पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण की पहल, विकास और तैनाती, ताकि वे अपने क्षेत्रों में अन्य लोगों को इसे दे सकें। ● खुले में शौच के नुकसान और विभिन्न चीजों के महत्त्व को 'ग्राम सीट' के माध्यम से बढ़ावा देना जैसे कि गहन रूप से सामाजिक संचार, नुक्कड़ नाटक, बैनर इत्यादि। ● गांव में मौजूद जल निकासी नेटवर्क में सुधार और गांव में मौजूद पेयजल स्रोतों का समय-समय पर मूल्यांकन। ● ग्रामीण और शहरी इलाकों में जल स्रोतों का परीक्षण और उपचार, जो कि, जलीय वनस्पतियों और जीवों के नुकसान को रोकने के लिए है।

वन और जैव विविधता	जैव विविधता का संरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> ● शेष हरे रंग की आवरण की मात्रा और इसके विभिन्न एन्थ्रोपोजेनिक जोखिमों के संबंध में पहचान और प्रलेखन। ● गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का प्रयोग रोकना। ● आक्रामक प्रजातियों के प्रसार को रोकने और वनस्पतियों की स्वदेशी प्रजातियों के विकास को प्रोत्साहित करना। ● संस्थागत विकास की पहल जैसे कि संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम), एसएचजी इत्यादि के माध्यम से मौजूदा भूजल स्रोतों का संरक्षण और संस्थागत विकास के साथ उपयोगी आजीविका को बढ़ावा देना। भूमि संरक्षण।
	वन और गैर-वन क्षेत्रों में हस्तक्षेप	<ul style="list-style-type: none"> ● लोगों के लिए सुलभ क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन, विशेष रूप से उन समुदायों के लिए जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगल पर निर्भर हैं।
	जागरूकता और अनुसंधान	<ul style="list-style-type: none"> ● आदिवासियों के पारंपरिक और धार्मिक विश्वासों पर अध्ययन जो कि जैव विविधता के संरक्षण के अनुरूप हैं।
	अग्नि प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> ● विशेष रूप से शुष्क मौसम के दौरान जंगल में आग फैलने से रोकने के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाना।
शहरी विकास	ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल का प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> ● डंपिंग स्थलों की उपलब्धता और उसके मानव निवास से निकटता को ध्यान में रखते हुए, घरों में ठोस अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए एक व्यापक और स्थायी दृष्टिकोण।
	रिन्यूएबल तकनीकों को अपनाना	<ul style="list-style-type: none"> ● उर्जा के वैकल्पिक और नवीकरणीय स्रोतों के इस्तेमाल में लाने के लिए योजनाओं सहित घरों की उर्जा दक्षता में सुधार के लिए सामरिक योजनाओं का विकास करना। ● जलवायु परिवर्तन को कम करने और अनुकूल बनाने के लिए अक्षय उर्जा स्रोतों में नवीनता और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना।
	प्रतिरोधक क्षमता में सुधार लाना	<ul style="list-style-type: none"> ● जलवायु परिवर्तन से आवास और परिवारों की अनुकूली क्षमता में सुधार के लिए समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन और अग्रिम कमाई प्रणालियों को बढ़ाना। ● शहरी जल निकायों, हरे और खुले स्थान और अपशिष्ट जल के उपचार के संरक्षण के लिए एक समिति स्थापित करना।

		<ul style="list-style-type: none"> ● शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से व्यस्त स्थानों में कुछ रिक्त स्थानों का रख-रखाव। ● शहरी आवास परियोजनाओं और विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के लिए उर्जा की दृष्टि से कुशल व्यवस्थाओं का प्रचार और उनको अपनाना।
परिवहन	परिवहन संरचना, योजना और प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> ● ईंधन के लिए स्वच्छ उर्जा स्रोतों की उपलब्धता और उपयोग को बढ़ावा देना और उसे सुनिश्चित करना। ● कार पूलिंग को एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ● सभी वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र का जारी करना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्सर्जित प्रदूषण का स्तर अनुमति तादाद के भीतर है।
उर्जा	उर्जा दक्षता में संरक्षण और सुधार	<ul style="list-style-type: none"> ● सौर उर्जा संचालित रोशनी, हीटर, पंपों और अन्य ऐसे नवीकरणीय उर्जा उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना। ● घरों और सार्वजनिक इमारतों में स्मार्ट ग्रिड मीटिंग सिस्टम को प्रयुक्त करना।
उद्योग		<ul style="list-style-type: none"> ● हवा और जल निकायों में उद्योगों द्वारा जारी प्रदूषकों की नियमित जांच करना। ● प्रदूषण नियंत्रण मशीन और फिल्टर का इस्तेमाल करना। ● ग्रीन हाउस गैसेस (जी.एच.जी.) में कमी करने के उपाय, उर्जा ऑडिट, ईंधन स्विचिंग के लाभ आदि के बारे में जागरूकता करना।
मानव स्वास्थ्य		<ul style="list-style-type: none"> ● स्वास्थ्य विभाग में जलवायु परिवर्तन कक्ष के साथ-साथ जिला स्तर के विभिन्न उप-कक्षों का गठन भी शामिल है। ● आपातकालीन प्रतिक्रिया की योजना का विकास करना और पी.एच.सी. और सी.एच.सी. में अनुकरणीय अभ्यास का आयोजन करना। ● आपदाओं के दौरान और बाद में आपातकालीन प्रतिक्रिया के दौरान क्षेत्रीय मानकों को अपनाने में जागरूकता फैलाना। <p>विभाग के कर्मियों और समुदाय के सदस्यों के लिए उचित फीडबैक के साथ प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● चरम जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव का सामना करने के लिए प्रत्येक पी.

		एच.सी. और सी.एच.सी में आपदा प्रबंधन दल का विकास, प्रशिक्षण और तैनाती करना ।
--	--	---

तालिका 21: जलवायु परिवर्तन के लिए क्षेत्र विशेष से संबंधित गतिविधियाँ

जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पहल

आपदाओं को कम करने की पहल (तीव्र जलवायु परिवर्तन)	जलवायु परिवर्तन को कम करने की पहल
आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए रणनीतियों और कार्य योजनाओं का विकास और उसको लागू करना।	वैकल्पिक ईंधन के अंश और उपयोग में वृद्धि सहित नवीकरणीय उर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना।
आपदाओं के जोखिम और प्रतिक्रिया के प्रबंधन में सुधार के लिए विभिन्न लाइन विभागों और एजेंसियों के बीच सुधार समन्वय।	उर्जा कुशल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, विशेष रूप से भवनों, परिवहन, औद्योगिक सेट अप और घरेलु उपकरणों में।
अनुशंसित बिल्डिंग नियमों के अनुसार खतरनाक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ढांचागत ढांचे का उन्नयन और पुनः सुधार।	ग्रीन इंडिया मिशन और अन्य ऐसी पहलों का कार्यान्वयन।
विशिष्ट खतरे और जोखिम के साथ-साथ संचार अभियानों एवं सूचना के माध्यम से पहुंचने में सुधार, विशेषकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में।	परिवहन और औद्योगिक क्षेत्र से विशेष रूप से उत्सर्जन की मात्रा में कमी।
आपदा की अनुकूल योजना बनाने हेतु समुदाय के सदस्यों या प्रतिनिधियों के साथ निकट समन्वय में अत्यधिक एच.आर.वी.सी. गतिविधियां, जिसमें मानवविज्ञानी कारकों द्वारा प्रेरित क्रियाकलाप भी शामिल होते हैं।	घरों में ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल से उत्सर्जन में कमी।

तालिका 22: जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पहल

5. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय –

5.1 क्षमता निर्माण –

डीएम अधिनियम (2005) के अनुसार, क्षमता निर्माण में शामिल हैं –

- मौजूदा और संग्रहित संसाधनों की पहचान;
- आपदाओं से निपटने हेतु प्रभावशाली प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण का आयोजन।

क्षमता संवर्धन अथवा क्षमता निर्माण आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग है। आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य जोखिम को कम करना और इस प्रकार समुदायों को सुरक्षित बनाना है। क्षमता निर्माण से तात्पर्य व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की क्षमताओं में वृद्धि से है जो निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट उपायों द्वारा संभव की जाती है। जिला स्तर पर प्रभावी क्षमता निर्माण के लिए उन सभी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए, इसमें एक व्यापक और अद्यतन जिला आपदा प्रबंधन संसाधन सूची, जागरूकता निर्माण, शिक्षा और व्यवस्थित प्रशिक्षण को बनाए रखना शामिल होना चाहिए। आपदा के समय किये जाने वाले राहत व बचाव कार्यों में प्रशिक्षित व्यक्ति अप्रशिक्षित व्यक्ति की तुलना में अधिक दक्षता व क्षमता से प्रतिक्रिया कर सकता है।

जिला कलेक्टर को पूरे जिले की निम्नलिखित क्षमता निर्माण गतिविधियों को सुनिश्चित करना चाहिए, और विभागों के विभिन्न प्रमुखों को अपने संबंधित विभागों की क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा प्रमुख विभागों के नोडल अधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन गतिविधियों के लिए संबंधित उपकरणों को खरीदना चाहिए।

5.2 संस्थागत क्षमता निर्माण –

संस्थागत क्षमता निर्माण एक स्तर-प्रणाली पर संरक्षित किया जाएगा जिसे जिला स्तर पर कई क्षेत्रों से कौशल अधिकारियों और पेशेवरों को लाने के लिए डिजाइन किया जाएगा। डीडीएमए प्राथमिकता के आधार पर स्तर के रूप में संरचित निम्नलिखित क्षेत्रों से प्रतिनिधियों की क्षमताओं और विशेषज्ञता का उपयोग करेगा।

छत्तीसगढ़ अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (सीजीएए) छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्य स्तर पर जिम्मेदारी लेती है। ट्रेनिंग तीन से पांच दिनों तक होती है और प्रशिक्षण के विशिष्टताओं के अनुसार विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को

शामिल किया जाता है। डीडीएमपी को अद्यतन करने हेतु प्रभारी अधिकारी का समय-समय पर आयोजित की गई सभी प्रशिक्षणों का ट्रैक रखने की भी जिम्मेदारी है। उनमें जिले के सभी अधिकारियों के नाम और संपर्क विवरण शामिल होंगे जिन्होंने पिछले छह महीनों में किसी भी आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण में भाग लिया है। यह जिला स्तर पर आपदाओं से निपटने में सक्षम प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

इनके अलावा अन्य जिला स्तरीय संस्थान जैसे— कॉलेज, स्कूल, आ.ई.टी.आई, इंडीस्ट्रीयल प्रशिक्षण, इंस्टीट्यूट, एनजीओ, आदि की सहायता प्रशिक्षण हेतु ली जायेगी जिससे इन प्रबंधन कार्यक्रमों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सकेगा।

प्रशिक्षण आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं में से एक है। समुदायों को प्रशिक्षित करना किसी भी आपातकाल के दौरान बिना विचलित हुए कुशल और प्रशिक्षित प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता को सुनिश्चित करता है। विभिन्न हितधारकों की तुलना में अधिकारियों और उत्तरदाताओं को प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे क्षति कम हो।

5.3 भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) –

आईडीआरएन, एक वेब आधारित सूचना प्रणाली है जो उपकरणों की सूची, कुशल मानव संसाधनों और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रबंधन हेतु है। प्राथमिक केन्द्र निर्णय निर्माताओं को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों और मानव संसाधनों की उपलब्धता पर उत्तर खोजने में सक्षम बनाना है। यह डेटाबेस उन्हें विशिष्ट भेद्यता के लिए तैयारी के स्तर का आकलन करने में सक्षम बनाएगा।

राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक उपयोगकर्ता को अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दिया गया है जिसके माध्यम से वे अपने जिले में उपलब्ध संसाधनों के लिए आईडीआरएन में डाटा एंट्री व डेटा अपडेट कर सकते हैं।

आईडीआरएन नेटवर्क में विशिष्ट उपकरणों, कुशल मानव संसाधनों और उनके स्थान और संपर्क विवरण के साथ महत्वपूर्ण आपूर्ति के आधार पर कई सवाल विकल्प उत्पन्न करने की कार्यक्षमता रखता है।

5.4 भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ –

विभाग	प्रमुख विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ
डीडीएमए	<ul style="list-style-type: none"> ● राहत शिविर की स्थापना करें और यह सुनिश्चित करें कि पीड़ितों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। ● राहत शिविरों के संचालन और प्रबंधन में प्रशिक्षित जिले की घटना प्रतिक्रिया टीम के एक सदस्य को राहत शिविरों के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया जाएगा। ● चेतावनी संकेत प्राप्त करने पर प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त बचाव उपकरण को तत्काल भेजा जाये।
कृषि	<ul style="list-style-type: none"> ● जिले में फसलों की निगरानी के उद्देश्य से मौसम/सूखा निगरानी समिति का गठन और प्रशिक्षण। ● मिट्टी, खेतों, सिंचाई प्रणालियों की स्थिति तथा आपदा स्थितियों में फसलों को कोई अन्य नुकसान का आकलन करने के लिए क्षति मूल्यांकन टीमों का गठन।
पशुपालन	<ul style="list-style-type: none"> ● पशुधन, फीड और चारा, और पशुपालन के क्षेत्र में अन्य चीजों के कारण होने वाली क्षति की जांच और आकलन करने में सक्षम क्षति मूल्यांकन टीमों के गठन को सुनिश्चित करें।
शिक्षा	<ul style="list-style-type: none"> ● विभाग में क्षति और आवश्यकता मूल्यांकन प्रशिक्षण और टीमों का गठन। ● जिले में शिक्षकों और छात्रों के लिए प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी जीवित कौशल में प्रशिक्षण की व्यवस्था। ● शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम पाठ्यक्रम में शामिल करें। ● स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एसएसपी) के तहत विभिन्न गतिविधियों को पूरा कर संस्थागत स्तर पर क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
सी.एस.ई.बी.	<ul style="list-style-type: none"> ● जिला प्रशासन के उपयुक्त चैनलों के माध्यम से, पर्याप्त तैयारी की स्थिति बनाए रखने और त्वरित और कुशल आपदा प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक विद्युत उपकरणों की समय पर खरीद सुनिश्चित करें।
अग्नि सेवाएं	<ul style="list-style-type: none"> ● सभी जिला अधिकारियों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण एवं समय-समय पर आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करना। ● विभिन्न सरकारी और नागरिक इमारतों की सुरक्षा लेखा परीक्षा सुनिश्चित करना यह जांचने के लिए कि वे अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप हैं या नहीं।

	<ul style="list-style-type: none"> ● अग्निशमन और निकासी प्रक्रियाओं के लिए नियमित मॉक-ड्रिल होना चाहिए।
नागरिक रक्षा और नगर सेना	<ul style="list-style-type: none"> ● खोज और बचाव (एसएआर), प्राथमिक चिकित्सा, यातायात प्रबंधन, मृत शरीर प्रबंधन, निकासी, आश्रय और शिविर प्रबंधन, जन देखभाल और भीड़ प्रबंधन में स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। ● जिला प्रशासन के उपयुक्त चैनलों के माध्यम से खोज और बचाव उपकरणों की खरीद के लिए व्यवस्था करें।
वन	<ul style="list-style-type: none"> ● जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए विभाग के अंतर्गत टीमों के गठन और प्रशिक्षण सुनिश्चित करें जो मानव सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।
आर.टी.ओ.	<ul style="list-style-type: none"> ● प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी जीवन बचत तकनीकों में ड्राइवर्स, कंडक्टरों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था। ● जिले में सभी वाहनों और डिपो में प्राथमिक चिकित्सा किटों और आग बुझाने वाले यंत्रों के रख-रखाव की पर्याप्त स्टॉकिंग सुनिश्चित करना।
स्वास्थ्य	<ul style="list-style-type: none"> ● विभाग में क्षति और आवश्यकता मूल्यांकन प्रशिक्षण और समूहों का गठन। ● मोबाइल मेडिकल समूह, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा समूहों, मनो-सामाजिक देखभाल समूहों तथा पैरामेडिक्स के त्वरित प्रतिक्रिया चिकित्सा समूहों (क्यूआरएमटी) के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। ● क्षेत्र और अस्पताल निदान इत्यादि के लिए पोर्टेबल उपकरणों की समय पर खरीद की व्यवस्था करें। ● प्राथमिक चिकित्सा और जीवन बचाने वाली तकनीकों में स्वास्थ्य परिचरों और एम्बुलेंस कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। ● स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रथाओं में स्थानीय समुदायों के सदस्यों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। ● क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपायों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को पूरा करके संस्थागत स्तर पर क्षमता निर्माण में वृद्धि।
सिंचाई	<ul style="list-style-type: none"> ● बाढ़ के लिए प्रारंभिक चेतावनी के संबंध में सभी मानव संसाधनों को प्रशिक्षण की व्यवस्था। ● जिला प्रशासन के उपयुक्त चैनलों के माध्यम से प्रारंभिक चेतावनी और संचार उपकरणों की समय पर खरीद की व्यवस्था करें।

पुलिस	<ul style="list-style-type: none"> ● जिला आपदा प्रबंधन के अंतर्गत प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की तैनाती। ● जिला में क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करें। ● आपदाओं के बाद मानव तस्करी और अन्य गतिविधियों की रोकथाम के लिए तैयारी।
-------	---

तालिका 23: प्रमुख विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ

5.5 सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन –

समुदाय केवल विपत्तिग्रस्त होने के साथ किसी भी आपदा में पहला उत्तरदाता भी होता है। सामुदायिक क्षमता से किसी भी आपदा का निवारण किया जा है। इसलिए समुदाय को रोकथाम शमन, तैयारी, प्रशिक्षण क्षमता निर्माण, प्रतिक्रिया, राहत, वसूली यानी अल्पकालिक और दीर्घकालिक, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के साथ निकटता से जुड़ा होना चाहिए।

कार्य	कार्यकलाप	उत्तरदायित्व
सामुदायिक तैयारी	<ul style="list-style-type: none"> ● कमजोर समुदाय और खतरे में सबसे कमजोर समूहों का चयन करना ● भेद्यता और समुदाय के लिए जोखिम के बारे में जानकारी प्रसारित करें। ● सहभागिता दृष्टिकोण के माध्यम से स्थानीय स्तर के आपदा जोखिम प्रबंधन योजना को बढ़ावा देना। स्थानीय संसाधनों और सहभागिता दृष्टिकोण के माध्यम से समुदाय आपदा रोकथाम, शमन और तैयारी के लिए जहां भी आवश्यक हो सलाह और दिशा निर्देश प्रदान करें। ● समुदाय स्तर पर आपदा जोखिम में कमी के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करें। ● समुदाय स्तर पर तैयारी की समीक्षा करें समुदाय की क्षमता को बढ़ाने के लिए उचित कार्यवाही 	<ul style="list-style-type: none"> ● जिला कलेक्टर ● राजस्व विभाग ● मौसम विभाग ● वित्त शाखा ● नगर आयुक्त ● शहरी एवं ग्रामीण विकास विभाग ● पंचायती राज

	<p>करें।</p> <ul style="list-style-type: none">● सामुदायिक शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।● समुदाय को आने वाली आपदा की भविष्यवाणी और चेतावनी के समय पर प्रसार के लिए सुरक्षित तंत्र सुनिश्चित करें।● किसी भी आपदा स्थिति में समुदाय स्तर पर तत्काल जानकारी प्रसारित करें।	
--	---	--

तालिका 24: सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन

खण्ड – 3

विषय—सूची

क्रं.	विषय	पेज संख्या
1	राहत उपाय एवं प्रतिक्रिया	1-8
1.1	राहत व प्रतिक्रिया के चरण	1
1.2	आपदा पूर्व राहत व प्रत्याक्रमण	2-3
1.3	आपदा की स्थिति में राहत व प्रतिक्रिया	4
1.4	बालोद जिले के सन्दर्भ में राहत व प्रतिक्रिया के द्वितीय चरण का क्रियान्वयन	4
1.5	राज्य सरकार / जिला प्रशासन का सक्रीय होना	4-6
1.6	आपदोत्तर राहत व प्रतिक्रिया की स्थिति	7
1.7	पुनर्निर्माण	7-8
2	पुनर्निर्माण, पुनर्वास के उपाय	9-13
2.1	पुनर्निर्माण और पुनर्वास	9
2.2	रिकवरी गतिविधियां	10-13
2.2.1	अल्पकालिक रिकवरी	10
2.2.2	दीर्घकालिक रिकवरी	10-11
2.2.3	नुकसान का आंकलन तथा नीति निर्धारण	11-12
2.2.4	पुनर्गठन (समुत्थान)	12-13
3	जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु वित्तीय संसाधन	14-16
3.1	केंद्र और राज्य द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता	14
3.1.1	क्षमता वर्धन के लिए फंड	14
3.2	राज्य द्वारा अन्य फंडिंग व्यवस्थाएं	14
3.2.1	बाह्य फंडिंग व्यवस्थाएं	14
3.2.2	वित्तीय प्रावधान	15
3.2.3	आपदा राहत निधि	15
3.3	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि	15
3.4	राज्य आपदा मोचन निधि	15
3.5	छत्तीसगढ़ राहत कोष	15
3.6	वित्त व्यवस्था के अन्य प्रावधान	15
3.7	जिले के वित्तीय संसाधन	16
3.8	जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्रोत	16
4	जिला आपदा प्रबंधन योजना का निरीक्षण, मूल्यांकन एवं अद्यतीकरण	17-19
4.1	डीडीएमपी का मूल्यांकन	17
4.2	डीडीएमपी को बनाए रखने और समीक्षा करने के लिए प्राधिकरण	17-18
4.3	आपदा पश्चात मूल्यांकन तंत्र	18

4.4	योजना के निरीक्षण व अद्यतीकरण का दायित्व	18-19
4.5	मीडिया प्रबंधन	19
4.6	जिला स्तर पर मॉकड्रिल का आयोजन	19
4.6.1	मॉकड्रिल हेतु उत्तरदायी संस्थाएं निम्न होंगी	19
5	क्रियान्वयन हेतु समन्वय एवं समन्वित तंत्र	20-25
5.1	केन्द्र व राज्य के साथ समन्वय	21
5.1.1	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	21
5.1.2	राष्ट्रीय कार्यकारी समिति	21
5.1.3	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM)	21
5.1.4	राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF)	21
5.2	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)	21
5.2.1	राज्य कार्यकारी समिति (SEC)	21
5.3	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	22
5.4	राज्य आपदा अनुक्रिया बल (SDRF)	22
5.5	आपदा प्रबंधन केन्द्र	22
5.6	नोडल विभाग	22
5.7	जिला स्तर पर समन्वय	22-23
5.8	स्थानीय स्तर पर समन्वय	23
5.9	समाजसेवी संस्थाएं-निजी संस्थाओं से समन्वय	24
5.10	पड़ोसी जिलों के साथ समन्वय	24
5.11	राज्य SDMP से समन्वय	25
6	मानक संचालन कार्यप्रणाली तथा चेकलिस्ट	26-33
6.1	मानक संचालन कार्यप्रणाली	26-27
6.2	बाढ़ के लिए तैयारी	27-29
6.2.1	सावधानियां	27
6.2.2	आपातकालीन प्रतिक्रिया संसाधन	27-29
6.3	सूखे के लिए तैयारी	29
6.3.1	सावधानियां	29
6.3.2	सूखा प्रबंधन के लिए उपयोगी सूचना	29
6.4	भगदड़ से बचाव के लिए तैयारी एवं उपाय	29-30
6.5	अन्य सभी आपदाओं के लिए मानक संचालन कार्यप्रणाली	30-31
6.6	केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता	31-32
6.7	मानवीय राहत व सहायता	32-33

तालिका-सूची

क्रं.	तालिका	पेज संख्या
1	तालिका 1: राहत व प्रतिक्रिया के चरण	1
2	तालिका 2: IRTF के विभिन्न चरण	6
3	तालिका 3: पुनर्स्थापना व पुनर्गठन के कार्य व नोडल विभाग/अधिकारी	12
4	तालिका 4: जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्रोत	16
5	तालिका 5: डीडीएमपी समीक्षा पैनल के लिए प्रारूप	18
6	तालिका 6: सहायता हेतु तहसील अनुसार निकटस्थ जिले एवं राज्य	24
7	तालिका 7: बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने हेतु कार्य योजना	29
8	तालिका 8: केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता	32
9	तालिका 9: मानवीय राहत व सहायता	33

चित्र-सूची

क्रं.	चित्र	पेज संख्या
1	चित्र 1: जिले की प्रस्तावित आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली	2
2	चित्र 2: इंसिडेंट रिस्पॉस टीम	6
3	चित्र 3: आपदा राहत व प्रतिक्रिया हेतु धन के स्रोत	8
4	चित्र 4: नीति निर्धारण के प्रमुख बिन्दु	12
5	चित्र 5: DDMP के निरीक्षण व अद्यतीकरण का चतुस्तरीय तंत्र	18

प्रवाहचित्र-सूची

क्रं.	प्रवाहचित्र	पेज संख्या
1	प्रवाह चित्र 1: राहत व प्रतिक्रिया का आरेखीय निरूपण	1
2	प्रवाह चित्र 2: प्रमुख आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए घटनाओं का फ्लोचार्ट	3
3	प्रवाह चित्र 3: प्रशासनिक रिस्पॉस सिस्टम के विभिन्न चरण	5
4	प्रवाह चित्र 4: चित्र -इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम फ्रेमवर्क	5
5	प्रवाह चित्र 5: पुनर्निर्माण तथा मरम्मत कार्य	9
6	प्रवाह चित्र 6: DDMP क्रियान्वयन हेतु समन्वित तंत्र	20
7	प्रवाह चित्र 7: जिला स्तर पर क्षैतिज व अनुलम्ब समन्वित तंत्र	23
8	प्रवाह चित्र 8: स्थानीय स्तर पर क्षैतिज व अनुलम्ब समन्वित तंत्र	23
9	प्रवाह चित्र 9: जिला आपदा प्रबंधन योजना	25

1. राहत उपाय एवं प्रतिक्रिया


सभी आपदाएँ, आकस्मिक घटनाएँ एवं संकटकालीन घटनाएँ अत्यंत गतिशील होती हैं। जिससे शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक विकार भी पैदा हो सकते हैं। राहत एवं प्रतिक्रिया वे उपाय हैं जो आपदा घटित होने के तुरन्त बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका उद्देश्य आपदा से पूर्व, आपदा काल व आपदोत्तर दशा में जनजीवन की सुरक्षा करना, उनकी मुसीबतों को दूर करना, सम्पत्ति को सुरक्षित रखना एवं आपदा से हुए नुकसान से निपटना है। राहत व प्रतिक्रिया सामान्यतः अत्यन्त विषम परिस्थितियों में क्रियान्वयित होते हैं। इन अभियानों के लिए बड़ी तादाद में मानव संसाधन, उपकरणों व अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है, अतः कुशल योजना, प्रबन्धन, प्रशिक्षण और प्रतिक्रिया टीम के बिना इन अभियानों का सफल होना कठिन है। आपदा के प्रत्युत्तर में कार्यवाही जितनी तत्परता व कुशलता से की जाये नुकसान व जोखिम उतना ही कम किया जा सकता है।

1.1 राहत व प्रतिक्रिया के चरण –

आपदा से पूर्व	चेतावनी, आवश्यक तैयारी
आपदा के दौरान	प्रथम प्रतिक्रिया – राहत
आपदोत्तर	राहत– समुत्थान

तालिका 1: राहत व प्रतिक्रिया के चरण

इसमें आपदा पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदोपरांत किये जाने वाले कार्य सम्मिलित है। अतः इस कार्य को तीन चरणों में सम्पादित किया जाता है। राहत व प्रतिक्रिया का आरेखीय निरूपण–



प्रवाह चित्र 1: राहत व प्रतिक्रिया का आरेखीय निरूपण

1.2 आपदा पूर्व राहत व प्रत्याक्रमण –


आपदाओं को भविष्यवाणी अथवा पूर्वानुमान के आधार पर दो भागों में बाँटा जा सकता है –

प्रथम प्रकार की आपदाएँ वे हैं जिनकी भविष्यवाणी या पूर्वानुमान संभव है।


द्वितीय आपदाएँ वे हैं जो आकस्मिक रूप से घटित होती हैं जिनकी भविष्यवाणी या पूर्वानुमान संभव नहीं है। आपदा पूर्व राहत व प्रतिक्रिया कार्य उक्त दोनों प्रकार की आपदाओं हेतु क्रियान्वित किये जाते हैं। किसी आपदा के आने से पहले किये गये उपायों को आपदा पूर्व तैयारी के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा आने वाली सम्भावित आपदा से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। आपदा पूर्व राहत व प्रतिक्रिया में निम्न तत्व सम्मिलित किये जाते हैं –

- पूर्व चेतावनी प्रणाली
- आपदा सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रहण
- शरणस्थलों को चिन्हित करना
- आपदा से सम्बन्धित उपकरणों की एक स्थान पर उपलब्धता
- मॉकड्रिल
- संचार प्रणाली को दुरुस्त करना
- आपदा से सम्बन्धित विभाग को हाईअलर्ट
- फर्स्ट रेस्पॉन्ड यूनिट का हाईअलर्ट
- जोखिमपूर्ण बस्तियों, मकानों को खाली करवाना
- पर्याप्त भोजन, दवा, जल, आवश्यक सामग्री का संग्रह

बाढ़ एवं सूखा रायपुर जिले की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ हैं, उक्त आपदाओं का पूर्वानुमान तथा चेतावनी संभव हैं। आगजनी, सड़क दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटनाएँ आदि अन्य आपदाएँ हैं जिनका पूर्वानुमान संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार की आपदाओं के पूर्वानुमान तथा चेतावनी हेतु जिले में चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। जिला प्रशासन के द्वारा संचार/पूर्व चेतावनी प्रणाली को दुरुस्त करना प्रस्तावित है। यह प्रणाली निम्न चरणों में कार्य करेगी।



चित्र 1: जिले की प्रस्तावित आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली



प्रवाह चित्र 2: प्रमुख आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए घटनाओं का फ्लोचार्ट

➤ आपदाओं संबंधित पूर्व चेतावनी हेतु राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर निम्न संस्थान कार्यरत हैं :-

- 1- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- 2- मौसम विभाग
- 3- सुदूर संवेदन विभाग तथा भौगोलिक सूचना तंत्र
- 4- राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

1.3 आपदा की स्थिति में राहत व प्रतिक्रिया –

आपदा की स्थिति में लोग आपदा व उसके प्रतिकूल प्रभावों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसी चरण के दौरान राहत व प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। आपदा के प्रत्युत्तर में की गई कार्यवाही जितनी तेजी व कुशलता से की जायेगी, उतनी ही अधिक जन धन तथा सम्पत्ति के नुकसान को कम किया जा सकेगा। जिले में आपदा के प्रभाव की स्थिति में राहत व प्रतिक्रिया के निम्न चरण होंगे –

1. फर्स्ट रिस्पॉन्ड ग्रुप का निर्धारण
2. राज्य सरकार व जिला प्रशासन का सक्रीय होना
3. सर्च व रेस्क्यू टीम
4. आवश्यक सेवाओं की तुरंत बहाली
5. आश्रय स्थलों तथा अस्पतालों में पीड़ित व्यक्तियों को पहुँचाने की परिवहन व्यवस्था
6. शान्ति व्यवस्था बनाये रखना
7. क्रेन, बुलडोजर तथा आवश्यकतानुसार अन्य संसाधनों का अधिग्रहण
8. अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना
9. राहत सामग्री की आपूर्ति
10. आपदा के बाद क्षति का आंकलन
11. आपदा पीड़ितों हेतु तत्काल राहत


1.4 रायपुर जिले के सन्दर्भ में राहत व प्रतिक्रिया के द्वितीय चरण का क्रियान्वयन –

प्रथम समुदाय प्रतिक्रियक –

आकस्मिक आपदा आने के बाद सहायता मिलने में लगभग 12 से 24 घटें का समय लग जाता है अतः जन समुदाय फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य करते हैं। रायपुर जिले में विभिन्न जोखिम पूर्ण स्थानों पर रहने वाले तथा उनके आस पास रहने वाले समुदायों को आपदा के समय फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य करने हेतु दक्ष करना आवश्यक है। इस हेतु उनका प्रशिक्षण तथा क्षमता संवर्धन आवश्यक है।


1.5 राज्य सरकार /जिला प्रशासन का सक्रीय होना –

समुदाय के पश्चात प्रथम रिस्पॉन्स देने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील व नगर पालिका/परिषद् की होती है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य व केन्द्र से भी सहयोग लिया जा सकता है। प्रशासनिक रिस्पॉन्स सिस्टम के विभिन्न चरण निम्न प्रकार प्रस्तावित है—




प्रवाह चित्र 3: प्रशासनिक रिस्पांस सिस्टम के विभिन्न चरण

आपदा में त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए जिले में इंसिडेंट रिस्पांस टीम (त्वरित कार्यबल) तथा एक इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम की आवश्यकता होगी जो आपदा के समय तुरंत स्वतः क्रियाशील होकर स्थिति नियंत्रित कर सके। जिला इंसिडेंट रिस्पांस टीम का फ्रेमवर्क निम्न प्रकार से होगा –



प्रवाह चित्र 4: चित्र –इंसिडेंट रिस्पांस टीम फ्रेमवर्क

इस प्रकार जिले की इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम फ्रेमवर्क के चार मुख्य अनुभाग होंगे। इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम फ्रेमवर्क (IRTF) के किस अनुभाग को सक्रिय करना है, क्या कार्य करना है यह जिम्मेदारी कमांड स्टाफ की होगी। जिसके प्रमुख जिला कलेक्टर होंगे। यह फ्रेमवर्क आपदा राहत व प्रतिक्रिया की रीढ़ होगी। इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम का मुख्यालय जिला कार्यालय होगा जो आपदा नियंत्रण कक्ष के समन्वय से कार्य करेगा। आपदा के समय IRTF के विभिन्न चरण तथा घटक निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके से क्रियाशील हो जायेंगे।



चित्र 2: इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम फ्रेमवर्क (IRTF)

एल - 0	यह सामान्य स्तर का द्योतक है जिसमें पूर्व तैयारी शामिल है।
एल - 1	यह आपदा का वह स्तर होगा जो जिला स्तर पर ही प्रबंधित की जा सकेगी।
एल - 2	यह आपदा का वह स्तर होगा जो राज्य स्तर के सहयोग से ही प्रबंधित किया जा सकेगा।
एल - 3	यह आपदा का वह स्तर होगा जिसमें केन्द्र सरकार एवं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

तालिका 2: IRTF के विभिन्न चरण

1.6 आपदोत्तर राहत व प्रतिक्रिया की स्थिति –

यह आपदा के विरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया की स्थिति है। इस स्थिति में आपदा की तीव्रता तथा जोखिम लगभग समाप्त हो जाते हैं, किन्तु राहत तथा प्रतिक्रिया का कार्य जारी रहता है। इस अवस्था में राहत तथा प्रतिक्रिया की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। इस अवस्था का प्रमुख कार्य पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना होते हैं। रायपुर जिले में राहत व प्रतिक्रिया की आपदोत्तर अवस्था के निम्न चरण होंगे—

- विस्तृत हानि का आंकलन – इसके अर्न्तगत जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय स्तर पर सचिव, पटवारी, कोटवार, सरपंच के माध्यम से आपदा से हुई हानि का विस्तृत आंकलन करवाया जायेगा। इसके माध्यम से प्रभावित लोगों के पुनर्वास तथा आधारभूत संरचना की बहाली के लिए वित्तीय आवश्यकता का आंकलन किया जा सकेगा। आपदा से हुए नुकसान के साथ-साथ उसका कारण, आपदा प्रबंधन में रही कमियां आदि का भी रिकार्ड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा रखा जाएगा। जिससे भविष्य में पूर्व के अनुभवों का लाभ उठाया जा सके।
- प्रभावित लोगों का पुनर्वास
- आपदा के पश्चात् सबसे बड़ी समस्या पुनर्वास की होती है। राहत शिविरों में रह रहे लोग पुनः अपने घरों को लौटना चाहते हैं, इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा निम्न उपाय किए जा सकेंगे—
 - राज्य सरकार द्वारा उचित आर्थिक सहायता दिलवाना। आपदा प्रभावित क्षेत्र सुरक्षित न होने की दशा में सुरक्षित स्थान पर लोगों के रहने हेतु भूमि की व्यवस्था।
 - भूमि व वित्तीय सहायता का आबंटन प्रभावितों की आवश्यकतानुसार प्राथमिकता से किया जायेगा।
 - जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार विद्युत, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी।

1.7 पुनर्निर्माण –

जिला स्तर पर पुनर्निर्माण प्रक्रिया इस प्रकार किया जाएगा जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों को बदलकर बेहतर निर्माण किया जा सके, यह एक लम्बी चलने वाली प्रक्रिया होगी। इस हेतु एक समर्पित कार्यदल का गठन किया जायेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य को उच्च प्राथमिकता देते हुए, उच्च स्तर पर भी निगरानी रखी जायेगी।


➤ आजीविका को पुनर्व्यवस्थित करना –

आपदा से प्रभावित परिवारों के समक्ष प्रमुख समस्या आजीविका के साधनों की होगी। इस हेतु रायपुर जिले में निम्न प्रयास सुझाये गये हैं—

1. दुकानों, व्यावसायिक भवनों आदि का ढांचा पुनः सुधारना जिससे प्रभावित लोगों का रोजगार पुनः प्रारम्भ हो सके।
2. जिनकी आजीविका के साधन नष्ट हो चुके हैं उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा अथवा स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सहायता दी जायेगी।
3. स्थानीय आवश्यकतानुसार नवीन आजीविका के साधन विकसित किये जायेंगे। इस क्रम में महिलाओं तथा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

➤ धन का आबंटन व ऑडिट –

विभिन्न माध्यमों जैसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, दानदाताओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं जनसहयोग से प्राप्त धन को आपदा राहत व प्रतिक्रिया में खर्च करने के बाद उसकी ऑडिट प्रस्तावित की जायेगी जिससे प्राप्त धन का किसी प्रकार दुरुपयोग न हो सके।



चित्र 3: आपदा राहत व प्रतिक्रिया हेतु धन के स्रोत

2. पुनर्निर्माण, पुनर्वास के उपाय


2.1 पुनर्निर्माण और पुनर्वास

पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास, आपदा प्रबंधन का आखिरी चरण है। इस चरण में आपदा के पश्चात पुनः एक बेहतर एवं सुरक्षित समाज का निर्माण किया जाता है, अतः यह एक व्यापक प्रक्रिया है। पुनर्निर्माण में सभी सेवाओं, स्थानीय बुनियादी ढांचे, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाओं के प्रतिस्थापना, अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान और सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की बहाली शामिल होती है। भविष्य में, आपदा जोखिमों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित उपायों को शामिल करके ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए पुनर्निर्माण को दीर्घकालिक विकास योजनाओं में पूरी तरह से एकीकृत किया जाना चाहिए। निम्नलिखित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी—

- बाढ़ से प्रभावित गांवों के इमारतों और घरों में,
- सड़कों, पुलों आदि जैसे बुनियादी ढांचे,
- आर्थिक संपत्ति (वाणिज्यिक और कृषि गतिविधियों आदि सहित),
- स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा।

आपदा के पश्चात लोगों को पुनर्वास की आवश्यकता होती है। पुनर्वास एक व्यापक शब्द है, इसमें आपदा से प्रभावित लोगों को आपदा क्षेत्र से हटाकर अन्य स्थान पर बसाना अथवा उसी स्थान पर पुनर्निर्माण तथा आधारभूत सुविधाओं तथा अत्यावश्यक सेवाओं की बहाली शामिल है। पुनर्वास लोगों को आपदा की स्थिति से पुनः सामान्य जीवन की ओर लौटाने की प्रक्रिया है, इसमें आपदा से सहमें तथा भयभीत लोगों को मानसिक तथा भावनात्मक बल भी प्रदान किया जाता है।

आपदा के समय आवासीय भवनों तथा प्रशासनिक एवं अन्य भवनों को नुकसान होना स्वाभाविक है। अतः आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण तथा मरम्मत कार्य की आवश्यकता होती है। इस कार्य के तीन अंग हैं—



प्रवाह चित्र 5: पुनर्निर्माण तथा मरम्मत कार्य

2.2 रिकवरी गतिविधियां

2.2.1 अल्पकालिक रिकवरी

शॉर्ट टर्म रिकवरी चरण आपातकालीन घटना के पहले घंटों और दिनों के दौरान शुरू होता है। इसका मुख्य उद्देश्य आवश्यक संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक सुविधाओं को पुनः स्थापित करना है। तत्काल उपायों के साथ अल्पकालिक रिकवरी में निम्नलिखित शामिल हैं:

- संचार नेटवर्क
- पुनर्वास
- पीने के पानी की सप्लाई
- स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा
- खाद्य पदार्थ और कपड़े
- आश्रय और आवास
- सड़कें और पुल
- बिजली की आपूर्ति
- ड्रेनेज और सीवेज

2.2.2 दीर्घकालिक रिकवरी

दीर्घकालिक रिकवरी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक पुनर्विकास और पुनः स्थापना सम्मिलित है। पुनर्निर्माण चरण के लिए सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा समय और संसाधनों की पर्याप्त प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। भविष्य में किसी भी आपदाजनक मामले में निम्नलिखित प्रयास किए जाएंगे:

- आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं और सामाजिक सेवाओं के दीर्घकालिक पुनर्निर्माण।
- नष्ट हुए पर्याप्त आवास की पुनः स्थापना।
- नौकरियों की पुनः स्थापना।

जिले की आपदा प्रबंधन योजना में त्वरित अथवा लघु अवधि कार्यक्रमों में निम्न कार्यक्रम शामिल किये जायेंगे—

1. अति आवश्यक सेवाओं की पुनः बहाली।
2. आधारभूत संरचना की पुनर्रचना।
3. पुनर्निर्माण।
4. आर्थिक सहायता।
5. प्रभावित लोगों का पुनर्स्थापन।

जिले की दीर्घावधि पुनर्वास योजना में दीर्घावधि में प्राप्त किये जाने वाले निम्न उद्देश्य सम्मिलित हैं —

1. प्रभावित लोगों के जनजीवन को पुनः सामान्य बनाना।
2. प्रभावित इलाकों में मानसिक चिकित्सक की उपलब्धता जिससे लोग बुरे अनुभवों को भूल सकें।

3. धीरे-धीरे लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के सतत् प्रयास।
4. लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु जीवन बीमा जैसे दीर्घावधि प्रयास।
5. निश्चित समयांतराल पर प्रभावित इलाकों में समस्या समाधान शिविर।
6. प्रभावित इलाकों में पार्क, सिनेमा घर, मॉल इत्यादि की स्थापना जिससे लोग मनोरंजन में समय व्यतीत कर सकें।

2.2.3 नुकसान का आंकलन तथा नीति निर्धारण –

आपदा से हुए नुकसान का आंकलन करने का प्रभार जिला कलेक्टर का होगा। जिनके निर्देश पर स्थानीय स्तर की एक कमेटी का गठन किया जायेगा। यह कमेटी विस्तृत आंकलन के पश्चात् रिपोर्ट, जिला कलेक्टर को सौंपेगी। जिला कलेक्टर यह निर्धारित करेंगे कि आपदा किस स्तर की है तथा किस स्तर पर पुनरुत्थान कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

• नीति निर्धारण –

समुत्थान, पुनर्निर्माण व पुनर्वास हेतु निर्धारित नीति के तीन प्रमुख चरण होंगे—


1. बहाली
2. पुनर्निर्माण
3. बसाव

• बहाली—

यह प्रथम आवश्यक चरण होगा, इसमें आपदा के कारण नष्ट हो चुकी अत्यावश्यक सेवाओं की बहाली की जायेगी। आपदा के समय विद्युत, संचार, पेयजल, सीवरेज, चिकित्सा, शिक्षा आदि आवश्यक सेवाएँ सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अतः नीति निर्धारण में इन आवश्यक सेवाओं की बहाली हेतु प्रभावी प्रस्ताव होगा।

• पुनर्निर्माण –

आपदा के दौरान आधारभूत संरचना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भूकम्प, बाढ़, आग, सुनामी जैसी आपदा में आवासीय भवन, प्रशासनिक भवन, रेलवे स्टेशन, बसस्टैंड, व्यावसायिक भवन, सड़कें, पटरियाँ आदि क्षतिग्रस्त हो जाती है अतः नीति निर्धारण का द्वितीय चरण पुनर्निर्माण होगा, जिसमें क्षतिग्रस्त तथा नष्ट आधारभूत संरचना का पुनर्निर्माण सम्मिलित है।



चित्र 4: नीति निर्धारण के प्रमुख बिन्दु

● बसाव –

आपदा से बेघर, शारीरिक–मानसिक रूप से टूट चुके व्यक्तियों का बसाव व पुनर्वास आवश्यक है। आपदा से प्रभावित लोगों का पुनर्वास भी नीति निर्धारण में सम्मिलित है।

2.2.4 पुनर्गठन (समुत्थान) –

इस प्रकार जिला कलेक्टर द्वारा नुकसान का आंकलन कर प्रभारी विभागों तथा उत्तरदायी व्यक्तियों को आवश्यक व उचित दिशा–निर्देश प्रदान किये जायेंगे। पुनर्स्थापना व पुनर्गठन के कार्यों हेतु अलग–अलग विभाग नोडल विभाग का कार्य करेंगे।

कार्य/पुनर्स्थापना	नोडल विभाग
1. विद्युत	स्थानीय विद्युत वितरण निगम
2. चिकित्सा	चिकित्सा विभाग
3. शिक्षा	शिक्षा विभाग
4. दूरसंचार	जिला दूरसंचार विभाग
5. पेयजल	जिला स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
6. सीवरेज	नगर पालिका/परिषद्/ निगम
7. मलबा हटाना	नगर पालिका/ परिषद्/ निगम
8. खोज–बचाव	पुलिस विभाग

तालिका 3: पुनर्स्थापना व पुनर्गठन के कार्य व नोडल विभाग/अधिकारी

पुनर्गठन अथवा पुनर्स्थापना के अर्न्तगत आवश्यक सेवाएँ सम्मिलित की जाती है। इसके अर्न्तगत आने वाली सेवाओं को दो भागों में बाँटा जा सकता है—

- **बुनियादी सेवाएं** – बुनियादी सेवाओं में जलापूर्ति, सेनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज आदि आती है। इन सेवाओं की शीघ्रताशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए। सम्बन्धित विभागों तथा विशेष एजेंसियों व एनजीओ की सहायता से यह कार्य संभव है। रायपुर जिले में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु टैंकरों से जलापूर्ति, अस्थायी टंकियों का निर्माण आदि उपाय क्रियान्वित किये जायेंगे। जिनमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जायेगा। सेनीटेशन तथा सीवरेज हेतु प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी शौचालय, चल शौचालय तथा स्नानघर उपलब्ध करवाये जायेंगे, जिससे उन स्थानों पर सेनीटेशन तथा सीवरेज की समस्या हल हो सके। आपदा के पश्चात् मलबा हटाने हेतु जेसीबी तथा ट्रेक्टरों आदि के लिए नगर परिषद् तथा निजी एजेंसियों की सहायता ली जावेगी।
- **अत्यावश्यक सेवाएं** – ये सेवाएँ जीवन रेखा कही जाती है – जैसे विद्युत, संचार, परिवहन आदि। इन सेवाओं की पुनर्स्थापना अतिआवश्यक है, क्योंकि राहत तथा प्रत्याक्रमण इन्ही सुविधाओं पर निर्भर है। सामान्यतया सामाजिक व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि बुनियादी अत्यावश्यक सेवाओं की पुनर्स्थापना कितनी जल्दी होती है, क्योंकि इसके असफल होने पर अव्यवस्था, दंगे, पलायन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिले में जिला कलेक्टर के आदेश व अनुशंसा पर विद्युत, संचार व परिवहन स्थापना हेतु क्रमशः – विद्युत वितरण निगम, दूरसंचार विभाग तथा परिवहन विभाग नोडल विभाग बनाये जायेंगे। जो अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे।

आवासीय ढाँचे के पुनर्निर्माण में शहरी व ग्रामीण इलाकों के सभी प्रभावित घरों की डिजाईन, योजना व पुनर्निर्माण शामिल है। जिले में इस कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग नोडल विभाग होगा। इस हेतु दो उपाय किये जा सकते हैं –

1. लोगों को आवास हेतु आर्थिक सहायता देना।
2. उचित स्थान का निर्धारण कर, आवास निर्मित कर लोगों को प्रदान करना।

आर्थिक सहायता आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त आवासीय अथवा व्यावसायिक ढाँचों के पुनर्निर्माण हेतु दी जायेगी। पूर्णरूप से नष्ट आवासीय तथा व्यावसायिक संरचना का पुनर्निर्माण आवश्यक है। इस हेतु उचित निर्माण स्थल का चयन करने के बाद बड़ी तादाद में निर्माण सामग्री की भी आवश्यकता होती है। इस हेतु जिले में अनुभवी अभियंताओं की सहायता ली जावेगी। इस आधार पर प्रभावित लोगों हेतु अस्थाई तथा स्थाई आवासों का निर्माण किया जायेगा। लोगों की भवन पुनर्निर्माण में स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए मकानों की डिजाईन आदि में सहभागी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

3. जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु वित्तीय संसाधन

3.1 केंद्र और राज्य द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता

आपदा पीड़ित लोगों की सहायता के लिए नीति और फंडिंग प्रक्रिया स्पष्ट रूप से परियोजनाओं में सम्मिलित होती है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त वित्त आयोग हर 5 साल में पुनर्निरीक्षण करता है। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर राज्य में एक क्लैमिटी रिलीफ फंड स्थापित किया गया है। क्लैमिटी फंड का आकार वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है इसमें 75 प्रतिशत योगदान केंद्र सरकार का और 25 प्रतिशत योगदान राज्य सरकार का होता है। प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को राहत सहायता सीआरएफ से दी जाती है। अगर आपदा बहुत व्यापक है, जिसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है तो वहां फंड नेशनल क्लैमिटी कंटीजेंसी फंड (एनसीसीएफ) जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, में दिया जाता है। यह एक उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृत की जाती है। देश में राहत एवं रिसपोंस संबंधी कार्यक्रमों के लिए फंडिंग की संस्थागत व्यवस्था की गई है, जो बहुत ही मजबूत और कारगर है, हालांकि आपदाओं की सूची और मांगों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। और यह कार्य राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

13वें वित्त आयोग की सिफारिशों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट (2005) के अनुसार वर्ष 2010-11 में क्लैमिटी रिलीफ फंड का नाम स्टेट डिजास्टर रिसपोंस फंड (एसडीआरएफ) तथा नेशनल फंड (एनडीआरएफ) कर दिया गया है तथा स्टेट डिजास्टर मिटिगेसन फंड (एसडीएमएफ) की भी व्यवस्था की गई है। नुकसान का आकलन करने वाली मुख्य एजेंसी जिला प्रशासन है तथा इस काम में विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, गृह, चिकित्सा, पशुपालन, वन, जलापूर्ति, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, महिला एवं शिशु कल्याण आदि के कर्मचारी भी सम्मिलित होते हैं।

3.1.1 क्षमता वर्धन के लिए फंड –

आपदा प्रबंधन में प्रशासकीय तंत्र के क्षमता वर्धन के लिए केंद्र सरकार ने 5 साल तक (वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15) 4 करोड़ सालाना देने का प्रावधान किया है यह धन अध्याय 6 में वर्णित कार्यक्रमों और रेडियो, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा जन जागृति प्रशिक्षण और आईईसी मैटेरियल के उत्पादन एवं प्रसार में खर्च किया जावेगा।

3.2 राज्य द्वारा अन्य फंडिंग व्यवस्थाएं –

उपरोक्त प्रावधानों के अलावा राज्य ने भी एक फंड स्थापित किया है जिसका नाम है छतीसगढ़ राहत कोष है, जिसके लिए शुरुआती तौर पर 6 करोड़ रुपए का प्रावधान है और आगामी वर्षों में इसमें 25 लाख रुपए सालाना डाले जाएंगे इस फंड का इस्तेमाल दुर्घटनाओं से पीड़ितों के बचाव एवं राहत कार्यों के लिए किया जाएगा।

3.2.1 बाह्य फंडिंग व्यवस्थाएं –

अभी तक बाह्य स्रोतों जैसे संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से कुछ परियोजनाओं के लिए ही फंड जुटाने का प्रावधान है।

3.2.2 वित्तीय प्रावधान –

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार से बजट राशि उपलब्ध कराया जाता है। आपदा राहत हेतु केंद्र द्वारा निम्न दो मदों में राशि प्रदान की जाती है।

3.2.3 आपदा राहत निधि –

आपदा राहत निधि के तहत सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा 21.12.2010 से राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है। जिसमें केंद्र का 75% व राज्य का 25% अंशदान होता है, केंद्र द्वारा आपदा राहत निधि के उपयोग हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हुए हैं।

3.3 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि –

आपदा से निपटना राज्य सरकार/आपदा राहत निधि की क्षमता से बाहर होने की स्थिति में केंद्र द्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राशि प्रदान की जाती है। इस हेतु राज्य द्वारा एक विस्तृत विज्ञापन केंद्र सरकार को भेजा जाता है, जिस पर एक केंद्रीय दल द्वारा स्थिति का आकलन किया जाता है। केंद्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से केंद्र सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की जाती है।

3.4 राज्य आपदा मोचन निधि–

राज्य में 13वें वित्त आयोग की सिफारिश एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की पालन में राज्य आपदा मोचन निधि का सृजन किया गया है। राज्य आपदा मोचन निधि में केंद्र का 75% व राज्य का 25% अंशदान होगा इस निधि का उपयोग आपदाओं के समय निर्धारित मापदंड अनुसार तात्कालिक सहायता आदि के लिए ही किया जाएगा।

3.5 छत्तीसगढ़ राहत कोष –

ऐसी प्राकृतिक आपदायें जिनमें राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय किया जाना संभव नहीं है, उनमें राहत प्रदान करने/ व्यय हेतु छत्तीसगढ़ राहत कोष स्थापित किया गया है। इसमें प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त इसमें जनसहयोग से भी राशि प्राप्त की जा सकेगी। राज्य स्तर पर इसके संचालन/प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

3.6 वित्त व्यवस्था के अन्य प्रावधान –

राज्य में आपदा प्रबंधन हेतु निवारण, तैयारी, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए वित्त व्यवस्था योजनागत मद से विभागवार योजना के तहत करनी होगी। आपदा पूर्व तैयारी के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष विभागीय बजट में आपदा प्रबंधन हेतु प्रावधान करना सुनिश्चित करेगी।

इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन के तहत जोखिम बीमा जैसे वित्तीय साधनों को भी बढ़ावा दिया जाएगा तथा फसल बीमा योजना, स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाओं को विकसित किया जायेगा। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाईयों में आपदाओं को रोकने व आपदाओं से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित इकाई की होगी।

3.7 जिले के वित्तीय संसाधन –

यद्यपि आपदा के समय व्यापक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, जो जिला स्तर पर सामान्यतया संभव नहीं हो पाती है। फिर भी तात्कालिक सहायता हेतु जिला स्तर पर इसकी व्यवस्था आवश्यक है। इस हेतु जिला स्तर पर भी प्रकार का राहत कोष बनाया जाएगा।

3.8 जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्रोत –

जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्रोत निम्न है जिनसे आपदा के समय वित्तीय सहायता लिया जा सकता है –

व्यवसायिक संसाधन	जिले के प्रतिष्ठित व्यवसायिक संस्थान, शोरूम, होटल्स आदि
औद्योगिक संस्थान	राईस मिल आदि
एन0 जी0 ओ0	विभिन्न समाज सेवी संस्थान एवं दानदाता
जन सहयोग	विभिन्न समाज सेवी
सरकारी कर्मचारी	एक दिन का वेतन दान करेंगे।

तालिका 4: जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्रोत

4. जिला आपदा प्रबंधन योजना का निरीक्षण, मूल्यांकन एवं अद्यतीकरण

4.1 डीडीएमपी का मूल्यांकन

योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभ्यास, आपदा के पश्चात प्रश्नावली आदि के संयोजन शामिल हैं, परिणामस्वरूप योजना में उल्लेखित लक्ष्यों, उद्देश्यों, निर्णयों तथा कार्यों का समय पर प्रभावी प्रतिक्रिया होगी।

- नियमित रूप से योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा।
- जिले में किसी भी बड़ी आपदा/ आपात स्थिति के बाद योजना की प्रभावकारिता की जांच करना और उसके अनुसार योजना में संशोधन करना।
- भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) को योजना से जोड़े रखना तथा समय समय पर अद्यतन करना।
- जिम्मेदार कर्मियों और उनकी भूमिका का अर्ध-वार्षिक/ वार्षिक या जब भी परिवर्तन होता है का अद्यतन करना। नियमित रूप से संसाधनों के प्रभारी या नोडल अधिकारियों के नाम और संपर्क विवरण का अद्यतन करना।
- योजना सभी हितधारकों विभागों, एजेंसियों और संगठनों को प्रसारित की जानी चाहिए ताकि वे अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को जान सकें और अपनी योजना तैयार कर सकें।
- योजना के प्रभावकारिता का परीक्षण करने और विभिन्न विभागों और अन्य हितधारकों की तैयारी के स्तर की जांच के लिए नियमित अभ्यास आयोजित किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पार्टियां अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से समझें और आबादी के आकार और कमजोर समूहों की जरूरतों को समझें।
- योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण और अभिविन्यास किया जाना चाहिए।
- सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों को नियमित रूप से योजना और अभ्यास में एकीकृत किया जाना चाहिए।
- डीडीएमपी को आपदाओं के दौरान समन्वय मजबूत बनाने के लिए सेना या किसी अन्य केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के साथ नियमित बातचीत और बैठकों का आयोजन करना चाहिए।

4.2 डीडीएमपी को बनाए रखने और समीक्षा करने के लिए प्राधिकरण

डीडीएमपी को अपडेट करने का कार्य जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमपी) में सम्मिलित है। जिनका वार्षिक अद्यतन किया जाएगा। प्राधिकरण के निम्न अधिकारी डीडीएमपी को बनाए रखने और समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी हैं—

क्र.	अधिकारियों का विवरण	पद	कार्यालय	मो. न.
1	कलेक्टर	अध्यक्ष		
2	स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि	सह अध्यक्ष		
3	सीईओ, जिला पंचायत	सदस्य		
4	पुलिस अधीक्षक	सदस्य		

6	मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य		
7	ईई, जल संसाधन विभाग	सदस्य		

तालिका 5: डीडीएमपी समीक्षा पैनल के लिए प्रारूप


4.3 आपदापश्चात मूल्यांकन तंत्र

आपदा मूल्यांकन तंत्र के एक हिस्से के रूप में, डीडीएमए की बैठक जिले में आपदा के 2 सप्ताह के भीतर आयोजित की जाएगी, जहां प्रत्येक संबंधित विभाग/ एजेंसी के टीम/ नोडल अधिकारी उपस्थित रहेंगे। डीडीएमपी के नवीनीकरण की अनुसूची विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त जानकारी/ डेटा के आधार पर अप्रैल/ मई के महीने में होगी।

4.4 योजना के निरीक्षण व अद्यतीकरण का दायित्व –

DDMP का क्रियान्वयन इस बात पर निर्भर करता है कि जमीनी स्तर पर योजना में उल्लेखित प्रणाली को किस तरह तक प्रयोग में लाया जा रहा है। DDMP के निरीक्षण व अद्यतीकरण में विभिन्न स्तर होंगे।

सर्व प्रथम जिला स्तर पर एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर महोदय द्वारा की जायेगी। इस प्राधिकरण में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रभारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, विषय विशेषज्ञ शामिल किये जायेंगे। यह 8-10 सदस्यीय दल होगा तथा इसमें संख्या निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर का होगा।



चित्र 5: DDMP के निरीक्षण व अद्यतीकरण का चतुस्तरीय तंत्र

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समान नगर पालिका, तहसील, विकासखण्ड, ग्राम पंचायत स्तर पर भी इस प्रकार की समिति बनायी जानी चाहिए। प्रत्येक स्तर की प्रत्येक समितियाँ DDMP में दिये गए

निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर की समिति अपने-अपने क्षेत्र की आपदाओं, उनके प्रभाव, उपलब्ध वित्तीय संसाधन एवं राहत व प्रतिक्रिया हेतु आवश्यकताओं का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट वर्ष के अंत में अथवा आवश्यकता होने पर जिला समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी। जिसके माध्यम से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति DDMP में आवश्यक अद्यतीकरण करेगी।

4.5 मीडिया प्रबंधन

मीडिया प्रबंधन आपदा प्रबंधन से संबंधित मूल मुद्दों में से एक है, आपदा के मामले में, मीडिया संवाददाता बाहरी आपदा प्रबंधन एजेंसियों से पहले साइट तक पहुंचते हैं और वे स्थिति का आकलन करते हैं पर इनसे अपवाह की भी स्थिति निर्मित होती है। इसलिए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिले द्वारा व्यवस्था की जाती है। घटना कमांडर मीडिया को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे:-

- ऊर्ध्ववाधर और क्षैतिज एजेंसियों को सूचना प्रसार के साथ, प्रेस को मूल्यांकन के आधार पर प्रारंभिक डेटा दिया जाएगा। यह अफवाहों के फैलाव को कम करेगा।
- केवल राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया को साइट पर ले जाना चाहिए। हर एक घंटे में, घटना कमांडर अफवाहों को नियंत्रित करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति देगा।
- किसी भी मीडिया को मृत स्थिति की तस्वीरों को मुद्रित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आपदा की स्थिति में, जिला स्तर में केवल पीआर कार्यालय मीडिया के साथ संवाद करेगा और संक्षेप में डेटा प्रदान करेगा, कोई अन्य समांतर एजेंसी या ईएसएफ या आपदा प्रबंधन में शामिल स्वैच्छिक एजेंसी किसी भी प्रकार की प्रेस ब्रीफिंग नहीं देगी।

4.6 जिला स्तर पर मॉकड्रिल का आयोजन

जिला स्तरीय मॉक ड्रिल आपदा प्रवण क्षेत्रों में आपदा चरण से पहले हर साल आयोजित किया जाएगा। संबंधित विभाग मॉक ड्रिल में भाग लेंगे ताकि वे निकासी, खोज और बचाव, स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा, पेय सुविधाएं और राहत शिविर सेटअप के लिए, उचित योजना तैयार कर सकें। निष्पादन का मूल्यांकन DEOC द्वारा किया जाना है, जो आयोजन समिति के उत्तरदायी है।

4.6.1 मॉकड्रिल हेतु उत्तरदायी संस्थाएं निम्न होंगी

- वे संस्थाएं जो उस आपदा से जुड़ी हैं, जिनकी मॉकड्रिल की जा रही है। जैसे अग्नि दुर्घटना की मॉकड्रिल हेतु नगरपरिषद व अग्निशमन दल।
- उस क्षेत्र का प्रशासन जहां पर मॉकड्रिल की जा रही है। जैसे रायपुर जिले में मॉकड्रिल की जानी है तो नगर सेना, स्थानीय प्रशासन उत्तरदायी संस्था होगा।


इस प्रकार आपदा विशेष तथा स्थानीय प्रशासन को उत्तरदायी संस्था बनाने से मॉकड्रिल अधिक यथार्थ प्रभावी हो सकेगी। जबकि वित्तीय संसाधन जिला प्रशासन तथा राज्य आपदा प्रबंधन कोष से प्राप्त किये जायेंगे।

5. क्रियान्वयन हेतु समन्वय एवं समन्वित तंत्र

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के लागू होने के पश्चात आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर संस्थागत ढांचा विकसित हुआ है। ये सभी संस्थाएँ परस्पर समन्वय से आपदा प्रबंधन हेतु कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आपदाओं के कारगर प्रबंधन एवं शमन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक मजबूत आधार का काम करेगा। राज्य व जिला स्तर पर समन्वय हेतु सभी सरकारी विभागों तथा अन्य सहभागियों की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। किसी आपदा की स्थिति में सबसे पहले आपातकालीन सेवाओं द्वारा रेस्पांस किया जाता है। इसमें स्थानीय लोग भी सहयोग देते हैं। इस काम में अन्य कई एजेंसियाँ तथा संस्थाएँ भी शामिल होती हैं।

आपात सेवायें सदैव तैयार अवस्था में रहती हैं, जिससे वह तुरन्त रिस्पॉन्ड कर सकें तथा प्रशासन अन्य सेवाओं को अलर्ट कर सकें। विभिन्न आपात सेवाएँ अनिवार्य होती हैं किन्तु आपदाओं से अधिक बेहतर तरीके से निपटने हेतु कुछ अन्य लोक उपयोगी सेवाएँ भी सहयोग करती हैं। ये सब संस्थाएँ एवं अलग हैं इनकी ऑथोरिटी अलग है, पदानुक्रम अलग-अलग है। अगर बचाव तथा समुत्थान कार्यों को बेहतर अंजाम देना है तो इन सभी विभागों तथा एजेंसियों को बेहतर तालमेल के साथ कार्य करना आवश्यक है। साथ ही एक दूसरों की क्षमताओं, सीमाओं व दायित्वों को समझना आवश्यक है।

रायपुर जिले में आपदा के समय सभी विभागों तथा एजेंसियों के मध्य बेहतर तालमेल हेतु आवश्यक प्रयास किये जायेंगे। जिले द्वारा पूर्व में ही केन्द्र व राज्य स्तर पर तालमेल रखा जायेगा जो महत्वपूर्ण है। DDMP के समन्वित क्रियान्वयन हेतु केन्द्र से लेकर स्थानीय स्तर तक का तंत्र निम्न प्रकार होता है –



प्रवाह चित्र 6: DDMP क्रियान्वयन हेतु समन्वित तंत्र

5.1 केन्द्र व राज्य के साथ समन्वय –

5.1.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण –

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन हेतु देश का शीर्ष निकाय है। यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाएँ और दिशा-निर्देश निर्धारित करने, आपदा के समय पर प्रभावी कार्यवाही करने एवं क्रियान्वयन में समन्वय के लिए उत्तरदायी है।

5.1.2 राष्ट्रीय कार्यकारी समिति –

केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित “राष्ट्रीय कार्यकारी समिति” राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इसके कर्तव्य निर्वहन में सहायता करती है और साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुपालन भी सुनिश्चित करती है।

5.1.3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) –

आपदा प्रबंधन हेतु “राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान” शीर्ष संस्था है। यह आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षकों, आपदा प्रबंधन अधिकारियों व अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण का कार्य करती है। साथ ही आपदा प्रबंधन से संबंधित अध्ययन, शोध एवं प्रकाशन का कार्य भी करती है।

5.1.4 राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF) –

किसी चुनौती पूर्ण आपदा की स्थिति में खोज एवं बचाव कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल का गठन किया गया है। यह आपदा की स्थिति में जरूरत पड़ने पर राज्यों के लिए उपलब्ध रहेगी।

5.2 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) –

राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है। यह राज्य में आपदा प्रबंधन के नीतियाँ और योजनाएँ निर्धारण हेतु शीर्ष निकाय है। इनके कार्य, राज्य आपदा योजना को अनुमोदित करना, राज्य आपदा योजना के लिए क्रियान्वयन का समन्वयन करना, निवारण, शमन, तैयारी के उपायों के लिए प्रावधान करना और राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की आपदा सम्बन्धी निगरानी करना है।

5.2.1 राज्य कार्यकारी समिति (SEC) –

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों में सहायता के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। यह समिति राष्ट्रीय व राज्य की नीति एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के समन्वय एवं निगरानी का कार्य करेगी।

5.3 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) –

प्रत्येक जिले में आपदा प्रबंधन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह निकाय जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना बनाएगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य कार्यकारी समिति के द्वारा निवारण, शमन, तैयारी एवं अनुक्रिया के लिए जारी दिशा निर्देशों का जिला स्तर पर सभी विभागों एवं अधिकारियों द्वारा पालन किया जाये।

5.4 राज्य आपदा अनुक्रिया बल (SDRF) –

केन्द्र की तर्ज पर राज्य में भी एक राज्य आपदा अनुक्रिया बल का गठन किया गया है। इस बल के सदस्यों को आपदा प्रबंधन हेतु विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसे आपदा से निपटने के लिए आधुनिक उपकरणों के साथ तैयार किया जाएगा। इसके अन्तर्गत बाढ़, भूकम्प, रासायनिक एवं आणविक जैसी आपदाओं के लिए विशेष दल बनाए जायेंगे। महिलाओं एवं बच्चों की विशेष देखभाल के लिए इसमें महिला सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। शनैःशनैः इसका आवश्यकतानुसार विस्तार किया जायेगा।

5.5 आपदा प्रबंधन केन्द्र –


राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए सभी हितधारकों की क्षमता संवर्धन करने के उद्देश्य से **निमोरा प्रशासन अकादमी रायपुर** में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है। यह संस्था आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, आपदा प्रबंधन के लिए प्रचार सामग्री तैयार करना, आपदा प्रबंधन हेतु ज्ञान प्रबंधन एवं अनुसंधान के लिए कार्य करती है। धीरे-धीरे आपदा प्रबंधन केन्द्र का पृथक से स्वतंत्र अस्तित्व विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त **पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रायपुर** में स्थित है जो कि क्षमता संवर्धन का कार्य कर रहा है।

5.6 नोडल विभाग –

राज्य सरकार द्वारा आपदाओं की प्रकृति के आधार पर उनके नोडल विभाग निर्धारित किये गए हैं। इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुमोदन से समय-समय पर संशोधन किया जावेगा। इन नोडल विभागों का यह कर्तव्य है कि वे विभाग से संबंधित आपदा के निवारण, उपशमन एवं तैयारी के लिए आवश्यक योजनाएं बनाएं।

5.7 जिला स्तर पर समन्वय –

आपदा के समय फर्स्ट रिस्पॉन्डर स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय लोग होते हैं। उनके तुरन्त बाद जिले को उत्तरदायित्व लेना होता है जिले में डीडीएमपी सर्वोच्च स्तर पर होती है। इसके बाद जिले का उत्तरदायी अधिकारी, जिला कलेक्टर होगा। इसके पश्चात् जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य सचिव कमाण्डर का कार्य करेगा। इसके साथ जिला सूचना अधिकारी, एसडीएम अथवा तहसीलदार (संबंधित स्थान के) कार्य करेंगे। एसडीआरएफ का एक अधिकारी समन्वय हेतु होगा। इसके पश्चात् दल तीन भागों में बंट जायेगा। (1) सभी उत्तरदायी विभागों के मुखिया (2) एसडीआरएफ के लीडर (3) रसद प्रमुख। यह समन्वित ढांचा निम्न प्रकार होगा –




प्रवाह चित्र 7: जिला स्तर पर क्षैतिज व अनुलम्ब समन्वित तंत्र

5.8 स्थानीय स्तर पर समन्वय –

किसी भी आपदा के समय स्थानीय प्रसाशन तथा स्थानीय व्यक्ति प्राथमिक अनुक्रिया कारक होते हैं। आपदा का प्रथम प्रभाव उन्हें ही झेलना पड़ता है, तथा प्रत्याक्रमण भी उन्हें ही करना पड़ता है। अतः स्थानीय प्रसाशन तहसील पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, प्रमुख अनुक्रिया कारक होते हैं। इस दृष्टि से रायपुर जिले में स्थानीय प्रसाशन को सुदृढ़ बनाया जावेगा तथा आपदा संभावित गाँव में प्रशिक्षण व आवश्यक उपकरण देकर उन्हें प्रत्याक्रमण हेतु सशक्त बनाया जायेगा। इस हेतु ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर त्वरित आपदा अनुक्रिया दल का गठन किया जावेगा। इसमें सरपंच, पटवारी, सचिव, कोटवार, मितानिन, चिकित्सा अधिकारी तथा गांव के समाजसेवी लोग सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार निकट तहसील, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत भी आपदा के समय प्रथम अनुक्रिया के समान उपयोगी हो सकते हैं।

स्थानीय स्तर पर पटवारी, सचिव, सरपंच, कोटवार सम्पूर्ण तंत्र के आधार होते हैं, जो आपदा के समय कार्य करते हैं। आपदा के समय दूरस्थ स्थानों की जानकारी, सूचनाओं का सम्प्रेषण, आपदा के स्तर का आकलन, आपदा की क्षति का सर्वेक्षण आदि कार्यों की सही जानकारी स्थानीय स्तर के लोग/कर्मचारी ही दे सकते हैं।



प्रवाह चित्र 8: स्थानीय स्तर पर क्षैतिज व अनुलम्ब समन्वित तंत्र

5.9 समाजसेवी संस्थाएँ-निजी संस्थाओं से समन्वय –

विभिन्न एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा समाज सेवी संस्थाएँ ऐसे कारक हैं जो आपदा के समय प्रशासन के सामान ही प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। बहुत ऐसे संस्थान हैं जो लम्बे समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। यह आपदा के समय प्रभावशाली तरीके से कार्य करते हैं इसी प्रकार निजी विद्यालय तथा निजी अस्पताल भी आपदा के समय समन्वित तंत्र का अहम् हिस्सा होते हैं। रायपुर जिले के सभी निजी एवं शासकीय विद्यालय को आश्रय स्थल तथा निजी अस्पतालों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रेरित किया जा सकता है।

5.10 पड़ोसी जिलों के साथ समन्वय –


प्रत्येक जिला आपदा प्रबंधन के संदर्भ में सर्वसाधन सम्पन्न तथा क्षमता नहीं होता है। आपदा के समय प्रत्येक क्षण बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। रायपुर जिला विषम परिस्थिति वाला है। उदाहरण के लिए जिले के कुछ तहसील आदि ऐसे क्षेत्र हैं, जहां आपदा घटित होने पर जिला मुख्यालय की अपेक्षा पड़ोसी जिले, तहसील से सहायता तुरंत पहुंच सकती है। इस हेतु ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में निकटस्थ जिलों तथा तहसीलों में उपलब्ध संसाधनों की सूची रायपुर जिला मुख्यालय पर रखी जायेगी। जिससे आवश्यकता पड़ने पर मदद ली जा सके। यहां ऐसे जिलों एवं राज्यों की सूची दी जा रही है जो निकटस्थ हैं तथा आपदा के समय तुरंत सहायता ली जा सके।

क्षेत्र	निकटस्थ, जिला, राज्य क्षेत्र
रायपुर	पश्चिम-दुर्ग,
	उत्तर-पश्चिम- बेमेतरा,
	पूर्व- महासमुंद,
	उत्तर- बलौदाबाजार
	दक्षिण- धमतरी
	दक्षिण-पूर्व- गरियाबंद

तालिका 6: सहायता हेतु तहसील अनुसार निकटस्थ जिले एवं राज्य

5.11 राज्य SDMP से समन्वय –

राज्य SDMP सभी जिलों के लिए आदर्श स्तर एवं मानक होगी। सभी जिले राज्य SDMP के अनुसार अपने-अपने क्रियान्वयन तंत्रों व समन्वय तंत्रों में सुधार करेंगे। रायपुर DDMP क्रियान्वयन में भी कोई समस्या या शंका उपस्थित हाने पर SDMP का अनुशरण किया जावेगा।



प्रवाह चित्र 9: जिला आपदा प्रबंधन योजना

6. मानक संचालन कार्यप्रणाली तथा चेकलिस्ट

इस अध्याय में शामिल हैं:

1. बाढ़, सूखे और भगदड़ के लिए मानक संचालक कार्यप्रणाली
2. अग्निशमन दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपातकालीन निकासी योजना

6.1 मानक संचालन कार्यप्रणाली –

जोखिम विश्लेषण के अनुसार बाढ़ प्रमुख प्राकृतिक आपदा है। रायपुर जिले में सूखे का भी खतरा है, हालांकि, यह धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है जिसमें बाढ़ की तुलना में तत्काल सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। यह जिला सड़क दुर्घटनाओं, वनीय आग, महामारी आदि जैसे अन्य सामान्य आपदाओं से ग्रस्त है। चूंकि जिले में मेला (मंडई) होने पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं, इसलिए अव्यवस्था की संभावना होती है जिसके परिणामस्वरूप उत्सव के दौरान भगदड़, अग्नि दुर्घटनाएँ जैसी प्राकृतिक आपदाएँ हो सकती हैं। इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए यह मानक संचालन कार्यप्रणाली प्रस्तावित है ताकि आपदा जोखिम में कमी की जा सके और सुरक्षा में वृद्धि हो सके।

i. अग्नि दुर्घटनाओं के लिए सावधानी पूर्वक उपाय

अस्पतालों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, वाणिज्यिक भवनों आदि में सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, धूम्रपान अलार्म या स्वचालित अग्नि का पता लगाने/अलार्म सिस्टम की स्थापना, निवासियों को आग की प्रारंभिक चेतावनी के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। आग दुर्घटनाओं को रोकने और गतिविधियों के दौरान आपात की स्थिति को प्रबंधित करने और सावधानी बरतने के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

- सभी आवासीय भवनों के लिए आपातकालीन निकासी योजनाएं या जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, अग्नि और सुरक्षा नियमों के अनुसार तैयार की जाएगी।
- निकासी के समय में किए जाने वाले प्रक्रियाओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित मोकड्रिल अभ्यास किए जाएंगे।
- विशेष रूप से आग बुझाने वाले यंत्र, चिकित्सा किट और मास्क रखने की सलाह दी जाएगी।

ii. प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु सावधानी पूर्वक उपाय

आपदा के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित कदम अपनाए जाने चाहिए –

- भूकंप के दौरान, कुछ भारी फर्नीचर के नीचे छिपना या कवर के लिए दरवाजे के नीचे खड़े होना।
- इमारत में आग लगने से सीढ़ियों से बाहार निकले, लिफ्ट का प्रयोग न करें।
- अगर घर बाढ़ में डूब रहा हो तो छत या ऊँचे स्थान में जाने का प्रयास करें।
- मदद के लिए कॉल करने के अलावा अन्य कार्य हेतु टेलीफोन का उपयोग न करें, ताकि प्रतिक्रिया के संगठन के लिए टेलीफोन लाइनों को मुक्त किया जा सके।

- नवीनतम जानकारी के साथ अद्यतन रहने के लिए रेडियो और विभिन्न मीडिया द्वारा प्रसारित संदेशों को सुनो।
- रेडियो या लाउडस्पीकर द्वारा दिए गए आधिकारिक निर्देशों को पूरा करें।
- एक पारिवारिक आपातकालीन किट तैयार रखें। विभिन्न प्रकार की आपातकाल परिस्थितियों लिए तैयार होना बेहतर है, ताकि बचाव किया जा सके।
- बाढ़ के दौरान बिजली से होने वाले जोखिम को कम करने के लिए बिजली प्रवाह बंद कर दें।
- जैसे ही बाढ़ का आना शुरू होता है, ऊपरी मंजिल पर कमजोर लोगों (बुजुर्ग, बच्चे, बीमार, आदि) को पहुंचाये।
- पानी के प्रदूषण से सावधान रहें, साफ पानी या पीने से पहले पानी को उबालकर इस्तेमाल करे।
- बाढ़ वाले कमरे को साफ और निर्जलित करें।
- तूफान होने की घोषणा के बाद तूफान के दौरान कार या नाव में बाहर नहीं जाये।
- यदि तूफान में बाहर जाते है तो जितनी जल्दी संभव हो सके आश्रय में शरण लें (कभी भी पेड़ के नीचे नहीं), यदि कोई आश्रय नहीं है, तो किसी गड्ढे या खाई में सीधे लेट जाये।
- आंधी या तूफान में दरवाजे, खिड़कियां, और विद्युत कंडक्टर से दूर रहें, बिजली के उपकरणों को अनप्लग करें। किसी भी विद्युत उपकरण या टेलीफोन का उपयोग न करें।

6.2 बाढ़ के लिए तैयारी –

6.2.1 सावधानियां –

- मानसून की शुरुआत से पहले सभी हैण्ड पम्प, ट्यूब वेल, सैनिटरी कुएं की जांच की जानी चाहिए और मरम्मत की जानी चाहिए।
- सभी कुओं और पीने के अन्य स्रोतों की कीटाणुशोधन करना और दस्त(डायरिया) से बचाव के लिए उचित उपायों को अपनाया जाना चाहिए।
- किसी भी आपातकालीन बचाव अभियान के लिए खोज और बचाव टीमों को रखा जाना चाहिए।
- स्थिति की निगरानी करने के लिए आपातकालीन समन्वय टीम का गठन।
- जल निकासी चैनल/नल - नालियों का समय-समय पर साफ - सफाई एवं रख- रखाव सुनिश्चित करें।
- तहसीलदार और जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने स्तर पर बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे और क्षेत्रीय कर्मचारियों / पीआरआई / एनजीओ / स्थानीय स्वयंसेवकों से जुड़े राहत दल बनायेंगे।

6.2.2 आपातकालीन प्रतिक्रिया संसाधन –

ए - विशेषज्ञ संसाधन

- खोज और बचाव दल (गोताखोर / तैराक, आपातकालीन चिकित्सा)
- विशेष उपकरण— नौकाओं, जीवन जैकेट, हेलीकॉप्टर इत्यादि।

बी- जनशक्ति

सी- चिकित्सा सहायता

- एम्बुलेंस (आपातकालीन दवाओं के साथ)
- डॉक्टर
- नर्स

डी- कानून और व्यवस्था एजेंसियां

- पुलिस/नगर सेना
- एसडीआरएफ/एनडीआरएफ
- सेना/वायु सेना (यदि आवश्यक हो)

ई - अन्य अनिवार्यताएं

- जल भंडारण टैंक
- क्लोरीन गोलियाँ
- स्वच्छता सुविधाओं के साथ अस्थायी आश्रय
- अस्थायी आम रसोई या खाद्य पैकेट

किसी भी बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए कार्य योजना नीचे दी गई है:-

कार्य/गतिविधियां	विभाग/जिम्मेदार अधिकारी
अलार्म/मास मैसेजिंग/सामुदायिक प्रणाली विकसित करें	डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर
पूर्वानुमान के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) से नियमित अपडेट लेवें और कार्यवाही का पालन करें।	डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर
अगर पानी का स्तर महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच रहा है तो अलार्म बढ़ाएं	इंसिडेंट कमांडर
स्थिति का आकलन करें, निकासी योजना बनाएं और समुदाय को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाएं	इंसिडेंट रिस्पांस टीम
विशेष संसाधनों को सक्रिय करें जैसे खोज और बचाव दल (गोताखोर/तैराक, नाव, जीवन जैकेट, सर्चलाइट्स, नायलॉन रस्सी) विशेष उपकरण (हेलीकॉप्टर, सैंडबैग, पोर्टेबल मोटर पंप)	इंसिडेंट कमांडर
एकीकृत आदेश स्थापित करें (प्रतिक्रिया एजेंसियों के साथ संपर्क के लिए)	इंसिडेंट रिस्पांस टीम
बाढ़ वाली सड़कों और क्षेत्रों में सुरक्षा एवं प्रवेश प्रतिबन्ध	इंसिडेंट रिस्पांस टीम
आईएमडी/सीडब्ल्यूसी और अन्य एजेंसियों के	इंसिडेंट रिस्पांस टीम

साथ घनिष्ठ संपर्क में घंटे-प्रति घंटे की स्थिति का आकलन करें	
क्षति मूल्यांकन का संचालन करें	डीडीएमए
पूरी तरह से चेक-अप और औपचारिक निकासी के बाद, समुदाय को उनके निवास स्थान पर लौटने की अनुमति	इंसिडेंट रिस्पांस टीम

तालिका 7: बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने हेतु कार्य योजना

6.3 सूखे के लिए तैयारी –

6.3.1 सावधानियां –

- जिलों और उप-जिलों के स्तरों, विशेष रूप से कमजोर जिलों में कृषि आकस्मिक योजनाओं की तैयारी।
- तहसील स्तर पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान।
- सूखा प्रभावित स्थानों पर सूखा लचीला विविधता के बीज जैसे इनपुट की तैयारी।
- सिंचाई की व्यवस्था के लिए जल निकायों/टैंक/कुओं आदि की मरम्मत और रखरखाव।
- जिम्मेदारियों के स्पष्ट आबंटन के साथ - साथ आकस्मिक उपायों को शुरू करने के लिए विभिन्न विभागों के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना।
- किसानों के बीच अन्तराल फसल, गीली घास, जंगली घास, खरपतवार नियंत्रण इत्यादि जैसे प्रबंधन प्रथाओं पर जागरूकता पैदा करना।
- किसानों को फसल बीमा रखने के लिए प्रोत्साहित करना।
- गांवों में वर्षा जल संचयन और वाटरशेड प्रबंधन जैसे जल संरक्षण उपायों को बढ़ावा देना।

6.3.2 सूखा प्रबंधन के लिए उपयोगी सूचना –

- सूचना प्रदान करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जैसी सीमांत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।
- डाटाबेस, फसल की स्थिति, बाजार की जानकारी इत्यादि पर नियमित रूप से बनाया और अपडेट किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), आईएसआरओ, आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों आदि द्वारा स्थापित गांव संसाधन केंद्रों से नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करना।

6.4 भगदड़ से बचाव के लिए तैयारी एवं उपाय

- पंडाल और आश्रय के आस-पास के क्षेत्रों में यातायात को नियंत्रित करना।
- प्रमुख स्थानों और निकास मार्गों तक पहुंचने के लिए रूट मानचित्र का निर्माण।
- भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कतार में लोगों के आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश द्वार पर बैरीयर सिस्टम का उपयोग करें।
- छीना-झपटी जैसे अन्य छोटे अपराधों के जोखिम को कम करने के लिए सीसीटीवी कैमरे और पुलिस की उपस्थिति।

- गहरे पानी वाले स्थानों के आसपास बच्चों और बुजुर्गों को डूबने से रोकने के लिए बचाव दल के एक हिस्से के रूप में व्यावसायिक तैराकों को तैनात करना।
- भीड़ वाले स्थानों के आसपास एक एम्बुलेंस और मेडिकल सुविधा की व्यवस्था।
- अनियोजित और अनाधिकृत विद्युत वायरिंग, भीड़ वाले स्थानों में खाद्य स्टालों पर एलपीजी सिलेंडरों की जांच की जानी चाहिए।
- नजदीकी अस्पतालों और क्लीनिकों की सूची का निर्माण।

6.5 अन्य सभी आपदाओं के लिए मानक संचालन कार्यप्रणाली

● आग

आग दुर्घटना के दौरान अग्नि शमन बचाव विभाग को बुलाएं, इमारत/अपार्टमेंट परिसर को निकटतम उपलब्ध निकास से खाली करें। आपातकाल के दौरान परिसर या अपार्टमेंट छोड़ने के लिए कभी भी लिफ्ट का उपयोग न करें। यदि आपके कपड़े में आग लगी है तो न घबराएं न दौड़ें, रुकें और रोल करें।

● गीले साफ कपड़े के साथ अपनी नाक और मुंह को ढकें

धुएं और दम घुटने से बचने के लिये गीले साफ कपड़े के साथ अपनी नाक और मुंह को ढकें। कभी भी ऊंची इमारत के किनारे चढ़ने का प्रयास न करें और न कूदें क्योंकि इससे मौत भी हो सकती है।

● भागिये मत

आग के दौरान, कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) जैसे जहरीले गैसों धुएं में होती है। जब आप धुएं से भरे कमरे में भागते हैं, तो आप धुएं को तेजी से श्वास में लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इंद्रियों को सुस्त करता है और स्पष्ट सोच को रोकता है, जिससे बचने के लिए गीले साफ कपड़े के साथ अपनी नाक और मुंह को ढकें

● प्राकृतिक आपदा

अधिकांश आपदाएं भूकंप, बाढ़, तूफान, सैंडस्टॉर्म, भूस्खलन, सुनामी और ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक हैं। हमारे पास उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन हम उनके कारण उत्पन्न होने वाली कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए तरीका सीख सकते हैं। बाढ़, आग, भूकंप, भूस्खलन, बचाव जैसी आपदाओं के दौरान घर से बचाव शुरू होता है। बाहरी सहायता आने से पहले, आपदाओं से प्रभावित लोग एक दूसरे की मदद करते हैं।

सरकार और कई स्वैच्छिक संगठन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान में प्रशिक्षित लोगों की टीम भेजते हैं। ये टीम स्थानीय सामुदायिक सहायकों जैसे डॉक्टरों, नर्सों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के साथ हाथ मिलाकर काम करते हैं।

अस्थायी आश्रय विस्थापित लोगों के लिए बनाया जाता है। डॉक्टर और नर्स चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं। वे घायल और महामारी को नियंत्रित करने के लिए काम करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता आपदा प्रभावित लोगों के लिए भोजन और कपड़े एकत्र करते हैं। पुलिस

कानून और व्यवस्था बनाए रखती है। मीडिया पीड़ितों और उनकी स्थितियों के बारे में खबर फैलाने में मदद करते हैं। वे ऐसे विज्ञापन भी पोस्ट करते हैं जो लोगों से पीड़ितों के लिए दान करने का आग्रह करते हैं।

चरम स्थितियों में, सेना और वायु सेना बचाव अभियान आयोजित करती है। वे सड़कों को साफ करते हैं, मेडिकल टीम भेजते हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में मदद करते हैं। वायु सेना प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, पानी और कपड़े पहुँचाती है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन बड़े पैमाने पर आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने में मदद करता है।

6.6 केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता—

क्रं.	कार्य	विभाग	मानक राहत स्तर व पुनर्वास
1	खाली करवाना (आवासीय व व्यवसायिक भवन)	पुलिस, नगर परिषद्	<ul style="list-style-type: none"> जोखिम पूर्ण भवनों को तुरंत खाली करवाना। व्यक्तियों तथा आवश्यक वस्तुओं का सुरक्षित स्थानों पर परिवहन। विस्थापित लोगों हेतु अस्थायी सुरक्षित आवास की व्यवस्था करना।
2	खोज व बचाव	पुलिस, नगर सेना, NGOs, स्काउट, NSS, NCC, SDRF, गृहरक्षा	<ul style="list-style-type: none"> संकट में फंसे लोगों को बचाना व सुरक्षित स्थान पर भेजना। संकटग्रस्त पशुओं को बचाना। 3. गुमशुदा व्यक्तियों की खोज।
3	प्रभावित क्षेत्र का सुरक्षा घेरा	पुलिस, नगर सेना, SDRF	<ul style="list-style-type: none"> प्रभावित स्थल पर अनहोनी से बचने हेतु सुरक्षा घेरा ताकि भीड़ को आपदा स्थल से दूर रखा जा सके।
4	यातायात नियंत्रण	पुलिस, यातायात पुलिस, NGOs	<ul style="list-style-type: none"> प्रभावित स्थल के आस-पास वाहनों को न आने देना। राहत कार्य में लगे वाहनों को शीघ्र परिवहन हेतु व्यवस्था। आवश्यकता पड़ने पर वाहनों की व्यवस्था।
5	कानून व्यवस्था	पुलिस, नगर सेना, SDRF	<ul style="list-style-type: none"> आपदा के समय भगदड़ आदि को रोकने की व्यवस्था। अफवाहों को रोकना। दंगे तथा लूटपाट को रोकना। प्रभावितों को जान माल की सुरक्षा।
6	मृत देहों का निस्तारण	चिकित्सा विभाग, पुलिस, नगर परिषद्	<ul style="list-style-type: none"> महामारी व प्रदूषण से बचने हेतु मृत देहों का तुरंत विस्थापन। मृत देहों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था। रासायनिक या जैविक या महामारी की दशा में मृत देहों के पोस्टमार्टम की व्यवस्था।

			<ul style="list-style-type: none"> मृतकों के सन्दर्भ में उनके रिश्तेदारों को सूचना।
7	मलबे का निस्तारण	पुलिस, नगरपरिषद्, प्रशासन SDRF	<ul style="list-style-type: none"> अतिआवश्यक सेवाओं के पुनः स्थापना हेतु मलबे को हटाना। मलबे को उचित स्थान पर डालना। मलबे को सावधानी पूर्वक हटाना जिससे मूल्यवान वस्तुओं व मृत देहों को नुकसान न हो।

तालिका 8: केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता

6.7 मानवीय राहत व सहायता –

राहत व पुनर्वास के अर्न्तगत विभिन्न प्रकार की मानवीय आवश्यकताएँ आती हैं, जो सामान्य मानव जीवन हेतु अत्यावश्यक होती हैं जो जिले में आपदा के समय सामान्य मानव जीवन हेतु अत्यावश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के निम्न मानदंड होंगे –

क्रं.	अत्यावश्यक मानवीय सुविधाएं	मानक स्तर के कार्य
1	भोजन	<ol style="list-style-type: none"> दूध, ब्रेड, दूध पाउडर इत्यादि का वितरण भोजन के पैकेट दानदाताओं से, घर से एकत्रित करके, रसद विभाग। फल इत्यादि का वितरण।
2	पेयजल	<ol style="list-style-type: none"> नगरपरिषद् द्वारा पेयजल टैंकर उपलब्ध करवाना। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा स्वच्छ पेयजल। पूर्व में विद्यमान जल स्रोतों की सफाई व क्लोरीन डलवाना। पेयजल आपूर्ति तुरंत बहाल करना।
3	दवाईयों	<ol style="list-style-type: none"> सरकारी अस्पताल द्वारा आवश्यक दवाओं – बुखार, उल्टी – दस्त आदि का वितरण। दवा व्यवसायियों के पास पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करना।
4	वस्त्र	<ol style="list-style-type: none"> जिला प्रशासन व दानदाताओं द्वारा कम्बल व वस्त्र वितरण NGOs, NSS, NCC, द्वारा पुराने वस्त्रों का संग्रहण व जरूरत मंदों में वितरण।
6	अस्थायी आवास	<ol style="list-style-type: none"> अस्थायी आवास (स्कूल, कॉलेज, सरकारी भवन) की व्यवस्था। बारिश से बचाव हेतु तिरपाल वितरण अस्थायी टेंट
7	हेल्पलाईन	<ol style="list-style-type: none"> आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना। आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर तुरंत हेल्प लाईन नम्बर की स्थापना।
8	वीआईपी भ्रमण	<ol style="list-style-type: none"> नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, सरकार के मंत्रियों के निरीक्षण की व्यवस्था। परिवहन तथा भीड़ का नियंत्रण।

9	निजी संस्थाओं का सहयोग	1. निजी विद्यालय –अस्थायी आवास के रूप में
		2. निजी अस्पतालों के संसाधनों का प्रयोग
		3. निजी बिल्डरों से जेसीबी, टैक्टर ट्रॉली, डम्पर आदि की सहायता लेना।

तालिका 9: मानवीय राहत व सहायता

जिले में आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु एक SOP (Standard Operating Procedure) निर्धारित किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से आपदा तथा आपदा के स्तरों को परिभाषित किया जायेगा। इसके पश्चात् चेतावनी तथा उसका प्रसारण होगा। आपदा के स्तर तथा आवश्यकता को देखते हुए बाहरी सहायता प्राप्त करने पर विचार किया जायेगा। आपदा स्थल से जिला मुख्यालय तक सूचनाएँ भेजने हेतु विशेष व्यवस्था होगी। डीडीएमपी में संचार माध्यमों का प्रबंधन, सहायता, संसाधन तथा राहत उपलब्ध करवाने के विभिन्न मानक स्तरों का भी उल्लेख किया गया है।

खण्ड - 4

क्र०	आपदा नियंत्रण कक्ष	अधिकारी	दूरभाष / मोबाईल
1	राज्य स्तर	श्री एन.आर.साहू, राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन मंत्रालय, रायपुर)	0771-2223471
		श्रीमती हीना अनिमेश नेताम आपदा प्रबंधन मंत्रालय, रायपुर	9993116811
2	जिला स्तर	श्री के०एस०पटले, बालश्रम परियोजना निदेशक, रायपुर	0771-2413233 / 9926615200
3	तहसील स्तर	रायपुर	श्री उमेश साहू तहसीलदार 0771-2224163 / 83053.77283
		तिल्दा	श्री योगेन्द्र वर्मा प्रभारी तहसीलदार 0771-233601 / 9828211112
		आरंग	श्री अनुभव शर्मा 0771-258545 / 9826140500
		अभनपुर	श्रीमती पार्वती पटेल 0771-2774204 / 9617237611
4	नगर निगम	श्री बी०एल०चंद्राकर सहायक अभियंता अग्निशमन विभाग	0771-2274101 / 9301953236
	नगर निगम, बिरगांव	श्री अर्जुन सिंह पवार स्वच्छता निरीक्षक	9109803128
5	चिकित्सा विभाग	डॉ० आर. के. चन्द्रवंशी, सी०एम०एच०ओ०	0771-2535304 / 9425261843
6	जिला सेनानी, नगर सेना	श्री संजय मिश्रा, जिला सेनानी	0771-2426823 / 9826118056
7	पुलिस नियंत्रण कक्ष, सिविल लाईन	-	100, 4287100
8	भारतीय सेना	मेजर मो. अल्लमास	9596488755

रायपुर जिले के अधिकारियों के नाम, विभाग एवं दूरभाष के संबंध में जानकारी संशोधित 2018

क्र.	अधिकारी गण	पद नाम	दूरभाष	मोबाइल
1	श्री बी.आर. चुरेन्द्र	आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर	253660	
2	श्री बसव राजू	कलेक्टर रायपुर	2426024, 2882450	
3	श्री दीपक सोनी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर	2426739	9425270001
4	रेणुका श्रीवास्तव	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर	2426766	94792 68670
5	सुश्री अर्चना पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	7869453050	7974364217
6	श्रीमती पूनम शर्मा	डिप्टी कलेक्टर		
7	श्री संदीप अगवाल	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर	2538566	7415841725
8	श्री विनायक शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग	258545	9406988880
9	श्री हरबंश मिरी	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर		98261 20342
10	श्री हरिओम द्विवेदी	तहसीलदार रायपुर	2224163	9926050505
11	श्री मूलचंद चौपडा	तहसीलदार आरंग	258545	7587761361
12	श्री टी.आर. महेश्वरी	तहसीलदार तिल्दा	233601	9165506006
13	श्री शशिकांत कुरै	तहसीलदार अभनपुर	2774204	9691053879
14	श्री संजय मिश्रा	जिला सैनानी नगर सेना रायपुर	2426823	9826118056
15	श्रीमती कृष्णा खटिक	जोन आयुक्त न.पा.नि. रायपुर जोन क. 1	2236295	9301953270
16	श्री के.डी. चंद्राकर	जोन आयुक्त न.पा.नि. रायपुर जोन क. 2		9893302018
17	श्री रमेश जायसवाल	जोन आयुक्त न.पा.नि. रायपुर जोन क. 3	2236295	93019 53205
18	श्री आर.के.डोंगरे	जोन आयुक्त न.पा.नि. रायपुर जोन क. 4	2229016	9301953221
19	श्री हेमंत शर्मा	जोन आयुक्त न.पा.नि. रायपुर जोन क. 5		93019 53212
20	श्री जी.एस.क्षत्रिय	जोन आयुक्त न.पा.नि. रायपुर जोन क. 6	2273284	93019 53204
21	श्री संतोष पाण्डेय	जोन आयुक्त न.पा.नि. रायपुर जोन क. 7	2593648	9425203000
22	श्री राकेश गुप्ता	जोन आयुक्त न.पा.नि. रायपुर जोन क. 8	2886088	9329102500
23	श्रीमती नोविता सिन्हा	नायब तहसीलदार	9827104946	9981121206
24	कु. उमंग जैन	नायब तहसीलदार		704927006
25	श्री सृजन सोनकर	नायब तहसीलदार		7000258095
26	श्री जी.एस.राठौर	खादय नियंत्रक	2426979	9424266467
27	श्री एस.एल.कुंवर	संयुक्त संचालक समाज कल्याण	2536017	9424231812

क्रम	बाढ नियंत्रण कक्ष	प्रभारी अधिकारी	दूरभाष नं.	मोबाइल नं.
1	राज्य स्तरीय	श्रीमती हिना अनिमेष नेताम उपायुक्त क्षेत्रीय उपायुक्त भू अभिलेख रायपुर	0771-2223471	
2	जिला स्तरीय	श्री के.एस.पटले बाल श्रम परि.अधिकारी रायपुर	0771-2413233	99266 15200
3	तहसील रायपुर	श्री हरिओम द्विवेदी तहसीलदार रायपुर	2224163	9406005966
4	तहसील अमनपुर	श्री शशिकांत कूर्ते तहसीलदार अमनपुर	2774204	9691053879
5	तहसील आरंग	श्री मूलचंद चौपडा तहसीलदार आरंग	07720 258545	7587761361
6	तहसील तिल्दा	श्री टी.आर.महेश्वरी तहसीलदार तिल्दा	07721 233601	9165506006
7	नगर पालिक निगम रायपुर	श्री बी.एल.चंद्राकर सहा.अभि. अग्नि शमन विभाग नगर निगम	0771 2274101	93019 53236
8	जिला सेनानी नगर सेना रायपुर	श्री संजय मिश्रा कमांडेंट	2426823	9826118056
9	श्री उपेन्द्र किन्डो	अधीक्षक भू-अभिलेख		
10	डॉ.रविन्द्र कुमार चंद्रवंशी महामारी नियंत्रक प्रभारी	जिला चिकित्सालय रायपुर	0771 4044108	97548 60328
11	श्री अर्जन सिंह पवार स्वच्छता निरीक्षक	नगर पालिक निगम बीरगांव		9109803128
विकास खण्ड स्तरीय नियंत्रक कक्ष एवं महामारी नियंत्रक प्रभारी				
12	डॉ.निवेदिता लकडा बी.एम.ओ.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धरसीवा		94252 27608
13	डॉ. ए.के. सिन्हा बी.एम.ओ.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिल्दा		97537 82300
14	डा.के.एस. राय बी.एम.ओ.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आरंग	07720 258702	94242 10361
15	डा. अमित बी.एम.ओ.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमनपुर	0771 2774914	94079 22150
पशु चिकित्सक				
16	डा.शैलेन्द्र खरे	धरसीवा		
17	डा.एच.आर. ओगरे	अमनपुर		93000 72205
18	डा.एस.के.द्विवेदी	आरंग		88895 71715
19	डा.राजीव देवरस	तिल्दा		94255 20029
				94255 72409

राज्य आपदा मोचन बल (एस.डी.आर.एफ.)			
20	श्री एल.पी.वर्मा जवानों की संख्या 34	संभागीय सेनानी रायपुर	0771 24266825 94252 60168
21	श्री आर.के. पाण्डेय जवानों की संख्या 34	संभागीय सेनानी जगदलपुर	07782 264006 94255 42251
22	श्री एस. के. ठाकुर जवानों की संख्या 34	संभागीय सेनानी बिलासपुर	07752 235570 98261 91508
23	श्री एल.पी.वर्मा जवानों की संख्या 34	संभागीय सेनानी दुर्ग	0771 24266825 94252 60168
24	श्री एस.के.ठाकुर जवानों की संख्या 34	प्रशिक्षण केन्द्र परसदा जिला बिलासपुर	07774 2412290 98261 91508
25	श्री ए.के.सिंह	केन्द्री प्रशिक्षण केन्द्र माना कैम्प	94255 19992

बाढ बचाव पार्टी नं. 01 प्रभारी हवलदार श्री श्यामलाल

क्रमांक	सैनिक क्रमांक	पद	नाम
1	2	3	4
1	89	हवलदार	श्यामलाल
2	191	नायक	राजेश कुमार
3	63	सैनिक	उमेश कुमार
4	590	सैनिक	अजय साहू
5	452	सैनिक	उदेश्याम
6	360	सैनिक	अमृतलाल
7	249	सैनिक	रामस्वरूप
8	277	सैनिक	अजय शर्मा
9	34	सैनिक	जितेन्द्र कुमार
10	677	सैनिक	नन्दलाल
11	211	सैनिक	मुकेश कुमार

राज्य आपदा मोचन बल रायपुर संभाग रायपुर में उपलब्ध बाढ़ बचाव सामग्री की सूची

क्रम	सामग्री का नाम	संख्या
1	2	3
1	लाईफ बाय	130 नग
2	लाईफ जैकेट	65 नग
3	सर्व लाइट	06 नग
4	रोप लाइविंग गन	01 नग
5	यामहा इंजन 25 एच.पी	04 नग
6	यामहा इंजन 40 एच.पी.	02 नग
7	रबर बोट	01 नग
8	एल्युमिनियम बोट	01 नग
9	पाल फुनर	02 नग
10	चैन सा 160/180	03 नग
11	चैन सा 360	01 नग
12	मेगाफोन	02 नग
13	वाकीटाकी	02 नग
14	पर्सनल लाइटिंग सिस्टम	04 नग
15	डिविंग सूट विथ कम्पलीट	02 सेट
16	डिविंग सूट	01 सेट
17	अण्डर वाटर टार्च	02 नग
18	पोर्टेबल जनरेटर 10 केवीए एवं टली	01 नग
19	पोर्टेबल इफ्लोटेबल एम जेसी	01 नग
20	अंडर वाटर कम्यु सेट	01सेट
21	पोर्टेबल शेल्टर छोटा	01 नग
22	पोर्टेबल शेल्टर बड़ा	01 नग
23	ईमर्जेसी पोर्टेबल लाइट (आशका)	03 नग
24	रोप 1.5 एम.एम	04 नग
25	स्टेचर (फोल्डिंग)	02 नग

पिछले 10 वर्षों में घटित आपदाओं का आंकलन

क्र.	आपदा	घटना वर्ष		घटना स्थल		जन हानि						पशु हानि			संपत्ति हानि	
		घटना वर्ष	तहसील	गाँव	मृतक			घायल			मृतक	घायल	लापता	संपत्ति हानि	फसल क्षति	
					पुरुष	महिला	बच्चे	पुरुष	महिला	बच्चे						पुरुष
1	बाढ़															
2	सूखा															
3	आग	2010-11	रायपुर				13	2	6							
			अमनपुर	1			1									
			तिल्दा	2			2									
			आरंग													
4	आकशीय बिजलीघाज		आरंग				2									
5	लू															
6	सप्टेशविट्टु मधुमक्खीधरि दश		रायपुर				2	1	5							1
			अमनपुर	1			1	2								
			तिल्दा	2			2									
			आरंग				1									
7	बाँध का टूटना															
2	इमारत पतन															
	पानी		रायपुर				5	1	4							
			अमनपुर	1			2	1								
			तिल्दा													
			आरंग						2	2						

पिछले 10 वर्षों में घटित आपदाओं का आंकलन

क्र.	आपदा	घटना वर्ष	घटना स्थल		जन हानि						पशु हानि			संपत्ति हानि		फसल क्षति	
			तहसील	गाँव	मृतक		घायल		लापता		मृतक	घायल	लापता	संपत्ति हानि	सिंचित	असिंचित	
					पुरुष	महिला	बच्चे	पुरुष	महिला	बच्चे							पुरुष
1	बाढ़																
2	सूखा																
3	आग	2011-12	रायपुर														
			अमनपुर	1		4											
			तिल्दा	3		2		1									
			आरंग			1											
4	आकशीय बिजलीघाज																
			तिल्दा	4		3		1									
			आरंग			2		3									
6	सर्पदंशबिच्छे मधुमक्खी/हिरा दंश		रायपुर			5		2									
			अमनपुर	1		1		2									
			तिल्दा	2		2											
			आरंग			2		2									
7	बाँध का टूटना																
12	इमारत पतन		रायपुर			18		7		25							
	पानी		अमनपुर	1		2		1		1							
			तिल्दा														
			आरंग			7		3		2							

पिछले 10 वर्षों में घटित आपदाओं का आंकलन

पिछले 10 वर्षों में घटित आपदाओं का आंकलन

क्र.	आपदा	घटना स्थल		जन हानि						पशु हानि			संपत्ति हानि			
		घटना वर्ष	तहसील	गाँव	मृतक		घायल		लापता		मृतक	घायल	लापता	संपत्ति हानि	फसल क्षति	
					पुरुष	महिला	बच्चे	पुरुष	महिला	बच्चे					पुरुष	महिला
1	बाढ़															
2	सूखा															
3	आग	2013-14	रायपुर						8	2	5					
			अमनपुर	1					5	2						
			तिल्दा	4					3	3	1					
			आरंग						3	3	1					
4	आकशीय विजलीघाज		तिल्दा	1						1						
			आरंग						2	2	1					
6	सर्पदशविच्छेद मधुमक्खी/हिरा दंश		रायपुर						3	5	2					
			अमनपुर	1					1	1						
			तिल्दा	2					1	1						
			आरंग						1		1					
7	बाँध का टूटना															
12	इमारत पतन															
	पानी		रायपुर						15		10					
			अमनपुर	1					7	1						
			तिल्दा													
			आरंग						7	2	3					

